त्रयोदश माला, खंड 36, अंक 14

गुरुवार, 7 अगस्त, 2003
16 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 22/3/04

(खण्ड 36 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 36, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 7 अगस्त, 2003/16 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने के बारे में	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280	17-72
अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 से 2585 . .	72-248
सभा पटल पर रखे गए पत्र	249
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा	250
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2003-2004 . . .	250
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक — पुर:स्थापति	251
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) अंबाला कैंट स्थित तेल डिपो को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन लाल कटारिया	251
(दो) राजस्थान में ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में रज्जु मार्ग (रोपवे) सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव .	252
(तीन) झारखंड में देवघर से गोड्डा होते हुए राजमहल तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रदीप यादव . .	252
(चार) तमिनाडु में एकमब्राकुप्पम रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. एन. वेंकटस्वामी	252
(पांच) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए नाबार्ड को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	253
(छह) पालनपुर-श्यामखली और जोधपुर-भिलड़ी रेल लाइन पर भूमिगत और उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	254

विषय		कॉलम
(सात)	रक्सौल रेलवे स्टेशन के समीप स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन के डिपो को सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. मदन प्रसाद जायसवाल	254
(आठ)	केरल में वायनाड में भूमिहीन जनजातियों को बसाने के लिए राज्य सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेश चेन्नितला	254
(नौ)	झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसल सूखे के कारण बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	255
(दस)	सिंडीकेट बैंक के मुख्यालय को मणिपाल से बंगलौर स्थानान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री विनय कुमार सोराके . .	255
(ग्यारह)	गंगा नदी पर फरक्का पुल की मरम्मत किए जाने और वहां पर एक वैकल्पिक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अबुल हसनत खां . .	256
(बारह)	आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए 190 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन को बनाए रखे जाने की आवश्यकता	
	श्री राम नायडू दग्गूबाटि	256
(तेरह)	उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आगरा – कानपुर राजमार्ग का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	257
(चौदह)	तमिलनाडु में एन्नोर पत्तन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चौड़ा करने और इसे चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. कृष्णास्वामी	258
(पंद्रह)	हिमाचल प्रदेश के 'गिरीपार' क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य . .	258

लोक सभा

गुरुवार, 7 अगस्त, 2003/16 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने के बारे में

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, वह संविधान की भावना के विपरीत है। *(व्यवधान)* यह लोकतंत्र की हत्या है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मित्रों, मुझे विभिन्न मुद्दों पर कई सदस्यों से प्रश्नकाल निलम्बित करने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रश्नकाल को निलम्बित किए जाने और स्थगन प्रस्तावों में बताये गए महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं : उच्चतम न्यायालय द्वारा हड़तालों पर लगायी गई रोक, लोकलेखा समिति का प्रतिवेदन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि। ये उन मुद्दों में से कुछेक मुद्दे हैं, जिन पर मुझे कई सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

आप सभी जानते हैं कि आज हमने संविधान संशोधन का मुद्दा लेने का निर्णय किया है और कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि आज कोई 'शून्यकाल' नहीं होगा। आज मध्याह्न 12.00 बजे से ही हम इन संविधान संशोधनों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बीच मुझे प्रश्नकाल निलम्बित करने के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सबसे पहले हमारा नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इनका भी नोटिस है। पी०ए०सी० का जो विषय है और प्रश्न काल स्थगित करने के जो नोटिस हैं, मैं एक के बाद एक लेने की बात कह रहा हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारा नोटिस पहले नम्बर पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जानते हैं कि मैं एक मिनट में सब डिसपोज आफ कर सकता हूं, लेकिन जो पी०ए०सी० का विषय है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारा विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वह नम्बर एक पर है।

अध्यक्ष महोदय : यहां नम्बर का प्रश्न नहीं है। मैं एक के बाद एक सदस्य को उसके नोटिस पर बोलने का मौका दे सकता हूं। अभी मैं इनको बोलने को कह रहा हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इसके बाद हमारा नम्बर आएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पूरा होने के बाद मैं आपको भी सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक अनर्थकारी निर्णय है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक अभूतपूर्व निर्णय हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य : वे सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं? *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमें एक असंगत और अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। संसद के दो कार्य हैं : एक कानून बनाना और दूसरा उत्तरदायिता निश्चित करना। यह संसद का अधिकार और कर्तव्य है कि कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाये।

महोदय, नियम 308 के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, और यह लोक लेखा समिति का कर्तव्य है कि वह लेखाओं की जांच करें। मैं संबंधित नियम पढ़ता हूं।

> "भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जांच के लिये, जो समिति ठीक समझे, एक लोक लेखा समिति होगी।"

नियम 308(2) नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत पैराओं के मद्देनजर लोक लेखा समिति की भूमिका के बारे में बताता है।

केवल लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैराओं पर निर्णय दे सकती है। और जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सिफारिशों या निष्कर्षों में परिवर्तन करने, उनसे सहमत होने या उन्हें अस्वीकार करने में सक्षम है। उस लोक लेखा समिति को मुख्य दस्तावेज नहीं दिये गए। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि लोक लेखा समिति को दस्तावेज उपलब्ध कराने से पहले वे एक सेवानिवृत्त पत्रकार को उपलब्ध कराये गए। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है – मैं नहीं जानता कि समिति में क्या हुआ – "समिति ने सर्वसम्मति से यह महसूस किया कि रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज विशेषाधिकार हनन के दोषी हैं" *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्षजी, यह आरोप बेसलैस है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय यह आपके प्रति लोक लेखा समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गयी सिफारिश थी। मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : ये देश को बर्बाद करने वाले हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, श्री जयपाल रेड्डी जी गैर-जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिवेदन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि ये प्रश्नकाल का निलम्बन क्यों चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : अध्यक्ष जी, ये विषय से हटकर बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)* आप विषय पर बात क्यों नहीं करते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जयपाल रेड्डी से केवल यह जानना चाहता हूं कि वह क्यों चाहते हैं कि प्रश्नकाल का निलंबन किया जाए।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जी, हां।

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : जब तक आप प्रश्नकाल का निलंबन नहीं करते हैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्हें नियमों का पता होना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने कोई भी असंसदीय बात नहीं कही है मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो कि प्रतिवेदन के अनुसार सच नहीं हैं। मैं अपने विचार से प्रतिवेदन की सही व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यह व्याख्या उनके विचारों के अनुसार नहीं कर सकता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही यह निर्णय ले चुके हैं। कि प्रश्नकाल को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं यथाशीघ्र प्रश्नकाल शुरू करना चाहता हूं। मैंने उन्हें संक्षेप में बात कहने की अनुमति दी है ताकि मैं समझ सकूं कि वे प्रश्नकाल का निलंबन क्यों चाहते हैं?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कृपया उनके बाद मुझे बोलने का समय दीजिए। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, लोक लेखा समिति के बारे में वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे लोक लेखा समिति की ओर से कोई निर्णय नहीं दे सकते। हम उस समिति के सदस्य हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा उद्धृत किये गए पैराओं पर दिया गया प्रतिवेदन था जो

कि सभा पटल पर रखा गया। लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य है कि वह उन पैराओं की जांच करे। समिति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है : ''जबकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों को सार्वजनिक कर दिया गया है, ''

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यदि यह बहस चल रही है तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात समाप्त होने के बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं तो लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। प्रतिवेदन कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि एक प्रमुख संवैधानिक प्राधिकारी है, ने स्वयं कहा है *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : प्रतिवेदन में यह नहीं कहा गया है। प्रतिवेदन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कहा गया है न कि नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के बारे में।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे अपनी बात कहने दीजिए। *(व्यवधान)* नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने स्वयं यह कहा है कि स्थिति असंगत हो गयी है क्योंकि नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन को सार्वजनिक कर दिया गया है जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन को सार्वजनिक नहीं किया गया *(व्यवधान)* नियंत्रक और महालेखा परीक्षक *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ सकता हूं कि आप सब इस मुद्दे पर उद्वेलित हैं चूंकि हमें प्रश्नकाल शुरू करना है। मैं शीघ्रातिशीघ्र प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिए लोक लेखा समिति को भी इन्कार किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लोक लेखा समिति ने सभा में यह रिपोर्ट दी कि सरकार के इन्कार के कारण यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है। *(व्यवधान)* यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। इससे एक संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इससे संसदीय प्रणाली में रूकावट आयी है।

अतएव सदन को इसके अतिरिक्त किसी और मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए। *(व्यवधान)* अत: प्रश्नकाल को निलंबित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, डा० विजय कुमार मल्होत्रा आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुझे यह नहीं बताया है कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। उनकी बात सुने बिना मैं कैसे विनिर्णय दे सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (त्रिचुर) : महोदय, वे किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उनका व्यवस्था का प्रश्न किसी नियम के अंतर्गत तो होगा। उन्हें नियम बताना चाहिये *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि पीएसी की रिपोर्ट कल सदन में रखी गई थी। पी०ए०सी० की रिपोर्ट के बाद *(व्यवधान)* महोदय, उन्हें मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका भी कुछ पाइंट हो सकता है और रूलिंग पार्टी का भी कुछ पाइंट हो सकता है और उसको सुनना चाहिए।

[अनुवाद]

तभी मैं निर्णय ले पाऊंगा कि प्रश्नकाल निलंबित किया जा सकता है या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी और आप बोल चुके हैं। अब आप उन्हें भी बोलने दीजिए। उसके बाद मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात भी सुनना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपने श्री एस०ए० जयपाल रेड्डी को किसी भी मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी। आपने उन्हें इसलिए बोलने की अनुमति दी क्योंकि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल के निलंबन की सूचना दी थी। अत: हम जानना चाहते हैं कि डा० मल्होत्रा किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, वह किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, पी०ए०सी० की रिपोर्ट को बाद में अखबारों और टी०वी० में, जो रिपोर्ट पी०ए०सी० ने नहीं दी, हाउस में नहीं आई, पी०ए०सी० ने नहीं दी, उसको बाद में बताया गया कि पी०ए०सी० की रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट के बारे में श्री जयपाल रेड्डी जी कह रहे हैं। पी०ए०सी० की रिपोर्ट में सिर्फ इतना है कि सी०वी०सी० ने पेपर हमको नहीं दिखाए, इसलिए हम यहां पेश नहीं कर रहे हैं। जो सी० एंड ए०जी० ने कहा है, वह पी०ए०सी० की तरफ से डाल रहे हैं। आपको एक मैम्बर ने लिख कर दिया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों के सदस्यों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। मैं इस बात को और स्पष्ट करता हूं

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उन्हें उस नियम विशेष को बताना चाहिए जिसके अंतर्गत वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कल आपको मैम्बर्स ने लिख कर दिया है कि रिपोर्ट गलत पेश की जा रही है। आपने कहा कि प्रिवलेज का सवाल उठाइए। मैं कहना चाहता हूं कि मैजोरिटी-ऑफ-दि-मैम्बस-ऑफ-पी०ए०सी० ने इस रिपोर्ट को जाली बताया है, गलत बताया है, जो रिपोर्ट यहां पेश की गई है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह संसद की अवमानना है *(व्यवधान)* उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिए। कोई रिपोर्ट जाली कैसे हो सकती है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी उसी पाइंट के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने उसी पांइट के बारे में बताया है, जो पांइट सदन के सामने हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : यह रपोर्ट नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० मल्होत्रा आप इस बारे में अपना मत व्यक्त कर सकते हैं कि सभा को क्यों न स्थगित कर दिया जाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ प्रिवलेज का सवाल है क्योंकि इन्होंने हाउस की मर्यादा को भंग किया है। *(व्यवधान)* जो सी०वी०सी० की रिपोर्ट आई जिसे 1999 में रखा था, उन्होंने इसे आपरेशन विजय के साथ जोड़ दिया। महोदय, यह एकदम अनुपयुक्त है हमने इनके खिलाफ जो प्रिवलेज का क्वश्चन आपके सामने रखा है, आप उस पर रूलिंग दीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाये गये व्यवस्था संबंधी प्रश्न को स्वीकार नहीं करता। अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मुझे जानने दीजिये कि श्री सोमनाथ चटर्जी क्या कहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम सूची में है। वह इस बारे में बोलना चाहते हैं कि प्रश्नकाल को क्यों निलम्बित कर दिया जाना चाहिए। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि वे दूसरे पक्ष के सदस्यों को अपनी बात रखने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : जब उस तरफ से कोई बोलता है तो हमें बैठने के लिए कहा जाता है लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये सब खड़े हो जाते हैं। यह कौन सा तरीका है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा, जब आपके बोलने में वे बाधा पहुंचा रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको बोलने दिया जाये। अब जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे हैं, उन्हें भी बोलने दिया जाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बात भी सुनी जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी बात सुनने के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है, आप बोलिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : हम बैठ जायेंगे लेकिन इनको कौन बिठाएगा? जब मैं बोल रहा था तो आपने इनको क्यों नहीं बिठाया? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट इंतजार करें। मैं आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। मैं विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी सत्तापक्ष के सदस्य बोलें तो विपक्षी सदस्य बाधा न पहुंचाये। मैं सत्तापक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जब विपक्षी सदस्य बोलें तो सत्ता पक्ष के सदस्य उन्हें भी अपनी बात कहने दें। अब श्री सोमनाथ चटर्जी, अपनी बात कहें। मेरा यह अनुरोध दोनों पक्ष के सदस्यों से है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं तो चुपचाप बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलने का मौका दें। मैं अपने आप बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णुपद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारी बात सुननी पड़ेगी, और उसके बाद यह बोलेंगे *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सरकार के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है? यह सभा कैसे चल सकती है? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे पता है कि इन्हें कैसे रोका जाये। आप ने जो कुछ किया है मैं उस सबका पर्दाफाश करूंगा। चिन्ता मत करें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्नकाल का निलंबन करने और स्थगन प्रस्ताव दोनों की सूचनाएं एक साथ मिली हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, इसलिए मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भी प्रथा है कि किसी राजनीतिक दल के नेता को बोलने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम संविधान (संशोधन) विधेयकों को पारित करने पर सहमत हो गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे फोन किया था और मैंने उनसे कहा है कि हम सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे *(व्यवधान)* लेकिन अब मुझे यहां बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़े विपक्षी दल के नेता की बात नहीं सुनी जा रही है *(व्यवधान)* यह सभा कौन चालयेगा? *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम सभा की कार्यवाही संचालन में सरकार को कोई सहयोग नहीं करेंगे। अब सरकार यह निर्णय ले कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : देश को यह पता चलने दीजिये कि अपने भ्रष्ट कार्यों को छिपाने के लिए ये जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी मेम्बर्स से रिक्वैस्ट करता हूं। आप सुनिये, मैं खड़ा हूं, प्लीज सिट डाउन।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलायी जा सकती है बशर्ते कि सभा में सभी पार्टियां दूसरे दल के सदस्यों को बोलने दें। मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं जब कभी अनुमति दूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब आप लोग स्पीकर को नहीं बोलने देंगे तो अन्य मैम्बर्स को कैसे बोलने देंगे। कृपया बैठिये। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण जब कभी बोलना चाहें, उन्हें बोलने दिया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्पीकर को नहीं बोलने देंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को भी नहीं बोलने देना चाहते। मेरे खड़े होने पर भी आप बोले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं जो एक साधारण बात कहना चाहता हूं, सदस्य उसे भी नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभा शानदार ढंग से कार्य करे। आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि मध्याह्न 12.00 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयकों पर चर्चा होनी है। विपक्षी दलों ने भी कहा है कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सत्तापक्ष को भी यह बात महसूस करनी चाहिए कि जब विपक्ष ने सरकार के साथ सहयोग करने की बात कही है, तो उन्हें विपक्ष के सदस्यों को बोलने देना चाहिए। इसी तरह जब सत्तापक्ष के सदस्य बोलें तो विपक्ष भी उन्हें अपनी बात रखने दे।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : तो आप पहले श्री विजय मल्होत्रा को बोलने दें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किस को परमिशन देनी है और किस को नहीं देनी है, यह मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह इम्पार्टेंट विषय जरूर है। शायद यह विषय रिजैक्ट या स्वीकृत करना नियम के अनुसार होगा लेकिन जब लोग चाहते हैं कि यह विषय क्वैश्चन ऑवर के पहले लेना चाहिये तो मुझे उन लोगों से पूछना पड़ता है कि आप क्यों सोचते हैं कि यह अर्जेंट है। वे बोल रहे हैं कि उसके बाद श्री मल्होत्रा बोलने के लिये खड़े रहे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया और व्यवधान पैदा किया। मैंने उनसे विनती की है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद, कृपया शांति रखें। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों की बात सुनी जाये। यदि सत्तापक्ष का कोई सदस्य बोलना शुरू करे और विपक्ष के सदस्य उस पर आपत्ति व्यक्त करें, तब तो बहुत मुश्किल बात होगी। हम सब नियमों के अनुसार चलें और श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, पहले डा० मल्होत्रा को अपनी बात समाप्त करने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० जसवन्त सिंह यादव (अलवर) : सर, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को बोलने दिया जाये, उन्हें पहले बोलने नहीं दिया गया। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन्हें बोलने का मौका दे रहा हूं, उसके बाद आपको मौका देने का प्रश्न आयेगा। मैं प्रभुनाथ सिंह जी को भी मौका दूंगा, पहले जरा उन्हें सुनिये।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : उनके पहले मल्होत्रा साहब बोलें, पूरे हाउस को पता लगना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या है। *(व्यवधान)* उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिये *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वह विगत की बात हो गयी है, आप भविष्य की बात करें।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : या फिर उनके बाद मल्होत्रा साहब बोलें। अगर पी०ए०सी० के मैम्बर ने उस रिपोर्ट की खिलाफत की है तो पूरे हाउस को उसके बारे में पता लगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कीर्ति आजाद जो बात हो गई, उसे देखने के बाद मैंने कहा है। इसके बाद मैं प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने का मौका देने वाला हूं। उसके बाद देखेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, सत्तापक्ष के इस तरह के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आपको सभा स्थगित कर देनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभा की कार्यवाही में व्यवधान सत्तापक्ष के के सदस्य कर रहे हैं लेकिन इसका आरोप विपक्ष को दिया जायेगा *(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : देश में किये गये बड़े-बड़े घोटालों को छिपाने के लिए ही सत्तापक्ष इस तरह का कार्य कर रहा है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल दोनों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही का संचालन सुचारू, ढंग से हो। मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि हमें सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सभा के आज के कार्य को पूरा करना चाहता हूं क्योंकि यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल तभी संभव है जब आप सब इसमें सहयोग दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं। हम इस मुद्दे को क्यों उठाना चाहते हैं इसके मुख्यत: दो कारण हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है कि यह कार्य नहीं कर सकती। सरकार ने एक ऐसा रूख अपनाया हुआ है जिसके कारण लोक लेखा समिति के लिए यह अंसभव लगता है कि वह अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन कर सके – यद्यपि सरकार द्वारा किये गये व्यय की जांच करना उसका सांविधिक दायित्व है। लेकिन सरकार द्वारा जानबूझकर बाधक रवैया अपनाये जाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।

दूसरी बात यह कि लोकलेखा समिति के समक्ष जो मुद्दा था वह बड़े पैमाने पर किये गये भ्रष्टाचार से संबंधित था। इसलिए अब इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मुझे अपनी पूरी बात नहीं कहने दी गयी। और अब ये उन सब बातों को कह रहे हैं *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मुझे भी कृपया अपनी बात कहने की अनुमति दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हैं तो आप को बोलने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए। मैं अन्य मेम्बर्स को बोलने का मौका देने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

यदि कुमारी ममता बनर्जी श्री प्रभुनाथ सिंह के बाद बोलना चाहें तो वह बोल सकती हैं। मैं केवल 'प्रश्नकाल' ही नहीं चलाना चाहता बल्कि सभा की कार्यवाही पूरे दिन चलाना चाहता हूं। यदि सारे दल यही चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। यदि विभिन्न दल ऐसा

नहीं चाहते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि हम भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं तो हमें सभा में कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मेरी शिकायत यह है कि लोक लेखा समिति, जिसके कुल 22 सदस्यों में से 14 सदस्य सत्ताधारी गठबंधन के हैं, का यह प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकृत होने के बावजूद

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिये। मैं अन्य मेम्बर्स को बोलने का मौका देने के लिए तैयार हूं। बीच में बोलने की इजाजत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनसे सहमत नहीं है, तो आप बाद में उनसे उस विषय पर बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस मुद्दे पर स्वयं लोक लेखा समिति में विचार-विमर्श हुआ था और विषय यह था कि मुख्य सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन दिया जाये या नहीं। तत्पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि यह मामला माननीय लोक सभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके बाद, पूर्व सभापति द्वारा यह मामला अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया गया, और पूर्व सभापति के बाद, नये सभापति ने भी इस मुद्दे के समाधान के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष से सम्पर्क किया। महोदय, आपने सोच विचार कर, यह निदेश दिया कि इस विषय पर लोक लेखा समिति के सदस्यों का दृष्टिकोण जाना जाये और तदनुसार उससे आपको अवगत कराया जाये।

इसी आधार पर लोक लेखा समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया *(व्यवधान)* मैं यह रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरी मांग यह है कि समिति की बैठकों के सभी कार्यवाही सारांश और साक्ष्य सभा पटल पर रखे जायें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, किसी को आपस में बात करने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हूं। महोदय लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है : "रक्षा सौदों" के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के प्रश्न पर समिति ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि "आप्रेशन विजय" सेना के लिए अधिप्राप्ति की पुनरीक्षा पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा सौदों की अधिप्राप्ति करता है, द्वारा रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तत्पश्चात् समिति ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि रक्षा मंत्री द्वारा संभावित विशेषाधिकार हनन जिसे समिति के कार्यकरण में हस्तक्षेप करना भी माना जा सकता है, के मामले को विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया जाए। इसलिए समिति में इस पर कोई विचार में भिन्नता नहीं थी कि रक्षा मंत्रालय के लिये यह आवश्यक था कि वह ..." *(व्यवधान)*

महोदय, यह क्या हो रहा है? मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता *(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अन्य सदस्य भी बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, महोदय *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कार्य करने का यह एक नया ढंग है। वे विमत टिप्पण पेश क्यों नहीं करते? वे समिति में इनका बहुमत भी था। यह एक अजीब बात है। इसलिए हमारा कहना तो यह है कि यह संसद के कार्यकरण और संसदीय लोकतंत्र पर जानबूझकर किया गया हमला है, क्योंकि ये लोग संवैधानिक और सांविधिक निकायों पर हमला करते आये हैं। हम रोज इसी मुद्दे को उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी० आई०) इन सब का दुरूपयोग किया जा रहा है। सर्वत्र यही हो रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी बातें कही गयी हैं जिसकी सरकार में कोई हैसियत नहीं है। संसद के कार्यकरण का यह ढंग है। संसदीय लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि मंत्रिपरीषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। जहां तक सरकारी व्यय का संबंध है, लोकसभा एक मात्र निकाय है, जिसके प्रति सरकार जवाबदेह होती है। जनता से कर वसूले जाते हैं, पर जन-प्रतिनिधियों को इस बारे में जांच करने का कोई अधिकार नहीं? इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता था कि वह यहां आते और पूरी स्थिति स्पष्ट करते। प्रधानमंत्री इस मामले से स्वयं को दूर क्यों रख रहे हैं? प्रधानमंत्री यहां क्यों नहीं आते? इसलिए हमारी मांग है कि इस मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाये, और इस पूरे मामले पर चर्चा करायी जाये *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है। वह व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.33 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय : इनका व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। कृपया उनकी बात सुनें। वे इस सभा के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का अधिकार है। मैंने उन्हें व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारेबाजी को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। दूरदर्शन पर कुछ भी न दिखाया जाये। दूरदर्शन प्रसारण बंद कर दिया जाये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन

*261. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, विशेषकर दूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में, ट्रांसमीटरों/नये दूरदर्शन केन्द्रों के उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन के कई ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और वे स्पष्ट प्रसारण करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए गये टी०वी० ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार होने के बावजूद भी चालू नहीं हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(छ) उपरोक्त कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं योजना के दौरान अब तक (1.4.2002 से 31.7.2003 तक) 14 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का पहले ही उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन कर दिया गया है और पहाड़ी और दूरवर्ती क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में इस समय 4 स्टूडियो और 36 ट्रांसमीटरों के उन्नयन से संबंधित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन नेटवर्क में ट्रांसमीटर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी उपकरणों में खराबी आती है तो उसे तत्परता के साथ ठीक किया जाता है। प्रसारण के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए दूरदर्शन सतत् रूप से प्रयासरत है।

(घ) और (ङ) 20 दूरदर्शन और 18 आकाशवाणी परियोजनाएं चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं और इन्हें स्टॉफ की स्वीकृति प्राप्त होने तथा स्टॉफ उपलब्ध होने पर चालू कर दिया जाएगा। चुराचांदपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र हालांकि तकनीकी रूप से तैयार है तथापि, संपर्क भाषा के बारे में निर्णय के लंबित रहते इसे चालू नहीं किया जा सका।

(च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्टॉफ संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और संपर्क भाषा के मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

(छ) दसवीं योजना के हिस्से के रूप में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीख संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान उन्नयित/उन्नयित किए जा रहे दूरदर्शन केन्द्र/ट्रांसमीटर

I. दसवीं योजना के दौरान अब तक (31.7.2003 तक) चालू की गयी ट्रांसमीटर उन्नयन परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना
1	2
आन्ध्र प्रदेश	उ०श०ट्रा० विशाखापट्नम (डीडी-II)
छत्तीसगढ़	उ०श०ट्रा० अम्बिकापुर (डीडी-I)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2
गुजरात	उ०श०ट्रा० सूरत (डीडी-I)
जम्मू और कश्मीर	उ०श०ट्रा० नौशेरा (डीडी-I)
	उ०श०ट्रा० साम्बा (डीडी-I)
कर्नाटक	उ०श०ट्रा० धारवाड़ (डीडी-II)
	उ०श०ट्रा० मैसूर (डीडी-I)
	उ०श०ट्रा० मैसूर (डीडी-II)
मध्य प्रदेश	उ०श०ट्रा० गुना (डीडी-I)
महाराष्ट्र	उ०श०ट्रा० चन्द्रपुर (डीडी-I)
	उ०श०ट्रा० रत्नगिरि (डीडी-I)
पंजाब	उ०श०ट्रा० जालंधर (डीडी-II)
उत्तर प्रदेश	उ०श०ट्रा० कानपुर (डीडी-II)
पश्चिम बंगाल	उ०श०ट्रा० बेलूरघाट (डीडी-I)

II. दसवीं योजना के हिस्से के रूप में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर/स्टूडियो उन्नयन परियोजनाएं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परियोजना	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	उ०श०ट्रा० महबूब नगर (डीडी-I)	2006-07
अरूणाचल प्रदेश	उ०श०ट्रा० ईटा नगर (डीडी-II)	2003-04
	उ०श०ट्रा० ईटा नगर (डीडी-I)	2003-04
बिहार	उ०श०ट्रा० सहरसा (डीडी-I)	2006-07
छत्तीसगढ़	स्टूडियो रायपुर	2005-06
	उ०श०ट्रा० बिलासपुर (डीडी-I)	2006-07
गुजरात	उ०श०ट्रा० राधनपुर (डीडी-I)	2005-06
	उ०श०ट्रा० बड़ोदरा (डीडी-I)	2003-04
	उ०श०ट्रा० बड़ोदरा (डीडी-II)	2003-04
हरियाणा	उ०श०ट्रा० हिसार (डीडी-I)	2005-06
	उ०श०ट्रा० हिसार (डीडी-II)	2005-06
हिमाचल प्रदेश	उ०श०ट्रा० धर्मशाला (डीडी-I)	2005-06
जम्मू और कश्मीर	उ०श०ट्रा० गुर्ज (डीडी-I और डीडी-II)	2003-04
	उ०श०ट्रा० टिथवाल (डीडी-I और डीडी-II)	2003-04
झारखण्ड	स्टूडियो रांची	2005-06
कर्नाटक	उ०श०ट्रा० रायचूर (डीडी-I)	2003-04
केरल	उ०श०ट्रा० कालीकट (डीडी-II)	2004-05
मध्य प्रदेश	उ०श०ट्रा० छतरपुर (डीडी-I)	2006-07
	उ०श०ट्रा० सागर (डीडी-I)	2005-06
महाराष्ट्र	उ०श०ट्रा० अम्बजोगाई (डीडी-II)	2004-05
	उ०श०ट्रा० जलगांव (डीडी-I)	तकनीकी रूप से तैयार
	उ०श०ट्रा० कोल्हापुर (डीडी-I)	2006-07
मणिपुर	उ०श०ट्रा० इम्फाल (डीडी-II)	2003-04
	उ०श०ट्रा० इम्फाल (डीडी-I)	2003-04
मेघालय	उ०श०ट्रा० शिलांग (डीडी-II)	तकनीकी रूप से तैयार
	उ०श०ट्रा० शिलांग (डीडी-I)	2003-04
मिजोरम	उ०श०ट्रा० एजवाल (डीडी-II)	तकनीकी रूप से तैयार
	उ०श०ट्रा० एजवाल (डीडी-I)	2003-04
नागालैण्ड	उ०श०ट्रा० कोहिमा (डीडी-II)	तकनीकी रूप से तैयार
	उ०श०ट्रा० कोहिमा (डीडी-I)	2003-04
राजस्थान	उ०श०ट्रा० अजमेर (डीडी-II)	2004-05
	उ०श०ट्रा० बीकानेर (डीडी-I)	2006-07
सिक्किम	उ०श०ट्रा० गंगटोक (डीडी-II)	तकनीकी रूप से तैयार

1	2	3
तमिलनाडु	उ०श०ट्रा० धर्मपुरी (डीडी-I)	2005-06
	उ०श०ट्रा० तिरूनेलवेली (डीडी-I)	2005-06
उत्तर प्रदेश	स्टूडियो गोरखपुर	2006-07
	उ०श०ट्रा० बरेली (डीडी-II)	2004-05
	उ०श०ट्रा० फैजाबाद (डीडी-I)	तकनीकी रूप से तैयार
उत्तरांचल	स्टूडियो देहरादून	2006-07
पश्चिम बंगाल	उ०श०ट्रा० खड़गपुर (डीडी-I)	तकनीकी रूप से तैयार

[अनुवाद]

सेट टॉप बॉक्सों के बिना फ्री-टू-एयर चैनल्स

*262. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केबल ऑपरेटरों ने शहरों में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी०ए०एस०) को जबरदस्ती लागू करने के लिए केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबल ऑपरेटरों ने उपभोक्ताओं को 72 रुपए प्रतिमाह की दर पर फ्री-टू-एयर सेवा उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ङ) केबल ऑपरेटरों के इस दृष्टिकोण पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या प्रधान मंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था और मंत्रालय को निर्देश जारी किया था कि यह फैसला उपभोक्ताओं के हित में होना चाहिए; और

(छ) नागरिकों को कम कीमत पर टी०वी० कार्यक्रम उपलब्ध कराने और फ्री-टू-एयर चैनलों के लिए सेट टॉप बॉक्स लगाने कीअनिवार्यता को प्रतिबंधित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कृत्यक बल की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने 7 मई, 2003 की अधिसूचना के माध्यम से, चारों महानगरों में बेसिक सर्विस टियर के चैनल पैकेज में शामिल किए जाने के लिए फ्री-टु-एयर चैनलों की न्यूनतम संख्या तीस विनिर्दिष्ट की है। बेसिक सर्विस टियर के चैनल-पैकेज में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित दूरदर्शन चैनलों, मनोरंजन, समाचार, खेलकूद, बाल-कार्यक्रमों एवं संगीत की शैलियों के अनिवार्य प्रसारण को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए और ये महानगरों में ऐसे चैनलों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में अवश्य हों। सरकार ने बेसिक सर्विस टियर में प्रसारित कार्यक्रमों के अभिग्रहण हेतु चार महानगरों में किसी केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता से मांगी जा सकने वाली 72/-रुपये प्रतिमाह की अधिकतम राशि (करों के अतिरिक्त) भी विनिर्दिष्ट की है। बेसिक सर्विस टियर के अतिरिक्त फ्री-टु-एयर चैनल भी उपभोक्ताओं को उक्त अधिकतम राशि में उपलब्ध कराए जाएंगे। (अधिसूचना की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू०एमआईबी०एनआईसी० इन में उपलब्ध है।

(च) सरकार का इस बात पर बल है कि इसे उपभोक्ताओं के अनुकूल लागू किया जाए।

(छ) सेट टॉप बॉक्स केवल पे चैनलों के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को देखने के लिए जरूरी है न कि फ्री-टु-एयर चैनल देखने के लिए।

- उपभोक्ताओं का सशर्त पहुंच प्रणाली से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :–
  - (i) उपभोक्ता को केवल अपने मनपसंद पे चैनलों के लिए भुगतान करना होगा।
  - (ii) वह अपने व्यय के संबंध में योजना बना सकता है और घर में देखे जाने वाले कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को विनियमित कर सकता है।
  - (iii) फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए किसी सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है।
- उपभोक्ताओं के लिए लागत किफायती होगी क्योंकि उन्हें केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जो वे देखते हैं और देखना चाहते हैं।
- बहु प्रणाली संचालकों, प्रसारकों, केबल आपरेटरों आदि के प्रतिनिधियों की कार्यान्वयन समिति द्वारा सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन का बारीकी से प्रबोधन किया जाएगा। वे

उपभोक्ता सुरक्षा समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विनिमय करेंगे और उनकी शंकाओं का निवारण करने के लिए कदम उठाएंगे। बहु प्रणाली संचालकों और प्रसारकों द्वारा जायज और कम कीमत पर सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछेक बहु प्रणली संचालक आकर्षक प्रारम्भिक पेशकशों की पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली, 1994 में सरकार द्वारा 6 जून, 2003 की अधिसूचना (इसकी प्रति मंत्रालय के वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू०एमआईबी०एन आईसी०इन में उपलब्ध है) के माध्यम से संशोधन किया गया है जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि केबल ऑपरेटर सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से किराया और प्रतिभूति जमा अथवा उसके प्रतिदाय तथा वारंटी, मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था करेगा।

- वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भी सीमा शुल्क में कमी की अवधि को 30 सितम्बर, 2003 तक बढ़ा दिया है। 24 जून की अधिसूचना के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 16% की छूट दी गई है, इससे स्वदेशी उद्योग में वृद्धि होने की संभावना है।

सेना का आधुनिकीकरण

*263. **श्री के० येरननायडू :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने सेना का धीमी गति से आधुनिकीकरण किए जाने पर चिंता जताई है;

(ख) क्या भारतीय सेना के उपकरण और हथियार चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के मुकाबले पुराने पड़ गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की गति तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) आधुनिकीकरण तथा उपस्कर अधिग्रहण के कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा की बाध्यताओं, खतरे की संभावनाओं के विश्लेषण तथा शत्रुओं की सामरिक नीतियों पर आधारित होते हैं। इस अनवरत कवायद के आधार पर रक्षा मंत्रालय अपने उपस्करों का नियमित रूप से उन्नयन करता रहता है।

सभी हथियार तथा हथियार प्रणालियां समय आने पर पुरानी पड़ जाती हैं तथा उन्हें बदले जाने की जरूरत होती है। भारत की जैसी बड़ी सेना में अल्पावधि में प्रत्येक उपस्कर को बदलना संभव नहीं है। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

भारती सेना एक दीर्घावधिक संदर्शी योजना तथा पंचवर्षीय सेना योजनाओं के जरिए आधुनिकीकरण हेतु एक सुविचारित एवम् विस्तृत योजना का अनुसरण कर रही है। अपने आधुनिकीकरण अभियान के एक भाग के रूप में सेना ने सभी शस्त्रों तथा सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उपस्कर खरीदने की योजना बनाई है। कोई भी राष्ट्र अपने सभी हथियारों/हथियार-प्रणालियों को 'अत्याधुनिक' स्तर पर नहीं बनाए रख सकता। भारतीय सेना के पास 'अत्याधुनिक' प्रचलित तथा लगभग पुराने पड़ चुके उपस्करों का एक तर्कसंगत सम्मिश्रण है।

सेना के हथियार तथा हथियार प्रणालियां खरीदने हेतु वर्ष 2001- 02 के दौरान 131 संविदाएं की गई हैं तथा वर्ष 2002-03 के दौरान 94 संविदाएं की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण-स्कीमें निम्नलिखित हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान अंतिम रूप दिया गया है :–

फायर पावर : (1) टी-90 टैंकों के लिए 3 यूबीके (रिफ्लेक्स मिसाइल), (2) टर्मिनल से निर्देशित गोलाबारूद क्रासनोपोल, (3) धातु भेदी राइफल, (4) स्वचालित ग्रेनेड लांचर, (5) बहुप्रयोजन ग्रेनेड लांचर एवं गोलाबारूद, (6) 84 किमी० राकेट लांचर (7) एकबार उपयोग-राकेट लांचर, (8) फ्लेम थ्रोवर, (9) कॉकर्स/कॉकस-एम मिसाइल, (10) पृथ्वी मिसाइल, (11) विशेष स्नाइपर राइफल, (12) पैरा विशेष बलों के लिए एसाल्ट राइफल, (13) स्नाइपर राइफल एस०वी०डी०।

रात्रि में दिखाई न देने के निराकरण के लिए : (1) थर्मल इमेजिंग फायर नियंत्रण प्रणाली, (2) टी-90 टैंकों के लिए थर्मल इमेजिंग साइट, (3) थर्मल इमेजिंग स्टैंड एलोन साइट।

निगरानी : (1) चालकरहित विमान सर्चर मार्क-2, (2) रेडार फ्लाई कैचर, (3) सामरिक नियंत्रण रेडार, (4) थर्मल इमेजिंग एकीकृत निगरानी उपस्कर, (5) लंबी दूरी टोही निगरानी प्रणाली, (6) हस्तधारित थर्मल इमेजर, (7) युद्ध स्थल निगरानी रेडार (अल्प दूरी), (8) रेंज फाइंडर सहित रात्रि दूरबीन, (9) हथियार टोही रेडार।

संचार उपस्कर : (1) 5 वाट/20 वाट का रेडियो सेट, (2) कवचित युद्धक वाहन रेडियो सेट एच०एफ० 100 वाट, (3) रेडियो रिले (लो बैंड), (4) रेडियो सेट स्टार्स-वी 25 वाट, (5) छोटा पी०ए०बी०एक्स०, (6) बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल, (7) कवचित लड़ाकू वाहन रेडियो सेट 5 वाट/50 वाट।

गतिशीलता : (1) कवचित रिकवरी वाहन डब्ल्यु जेड टी-3, (2) के एम०टी०-6 बारूदी सुरंग प्लो, (3) कवचित इंजीनियर टोही वाहन, (4) एच०एम०वी० इंजीनियर्स, (5) कवचित जल-थल चारी डोजर, (6) इंजीनियर्स बारूदी सुरंग प्लो, (7) बिजली नौका।

बारूदी सुरंग हटाने संबंधी उपस्कर : (1) बारूदी सुरंग रोधी बूट, (2) बारूदी सुरंग हटाने वाला वाहन।

काम चलाऊ बम-रोधी उपस्कर : (1) फाइबर ऑप्टिक निगरानी उपकरण, (2) इलेक्ट्रॉनिक स्टैथोस्कोप, (3) बम उन्मूलन कंबल, (4) बम निष्क्रिय करने के लिए सूट, (5) टेलिस्कोपिक मेनीपुलेटर, (6) एक्स-रे जनरेटर, (7) आंखों से देखकर तलाशी लेने वाला किट (8) नॉन लाइनियर जंक्शन डिटेक्टर।

मिश्रित उपस्कर : (1) 2.5 के०वी०ए०, 4 के०वी०ए०, 7.5 के०वी०ए०, 11 के०वी०ए० आदि जनरेटर सेट।

इसके अलावा, उच्च तुंगता-क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए स्लीपिंग बैग बहुप्रयोजन बूट, आंतरिक तथा बाहरी दस्ताने, रुकसेक आदि जैसे उन्नत श्रेणी के विशेष वस्त्र तथा पर्वतारोहण संबंधी उपस्कर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

गत दशक के दौरान सेना के आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय में अच्छी खासी वृद्धि हुई। सेना के आधुनिकीकरण पर वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए 1312 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के मुकाबले में वर्ष 2001-02 में 4950 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल की खपत

***264. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल की कुल कितनी खपत हुई;

(ख) इन शीर्षों के अंतर्गत सरकारी उपक्रमों की वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में इन शीर्षों के अंतर्गत खपत में कमी लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) देश में डीजल और पेट्रोल की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) 2001-02 और 2002-03 के दौरान देश में पेट्रोल और डीजल के उत्पादन और खपत की स्थिति निम्नानुसार थी :–

(टी०मी०टी०)*

वर्ष	पेट्रोल		डीजल	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
2001-02	9,702	7,011	39,944	36,546
2002-03	10,363	7,570	40,254	36,645

*(हजार मीट्रिक टन)

जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा खपत का कोई व्यापक आंकड़ा आधार नहीं रखा जाता है, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र सहित सामान्य रूप से पेट्रोल और डीजल के उपयोग का संरक्षण करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्न उपाय सम्मिलित हैं :–

(i) कतिपय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में एथेनोल अनिवार्य बनाना।

(ii) तेल संरक्षण के उपायों की जागरूकता में वृद्धि करना।

(iii) परिवहन प्रणालियों में सी०एन०जी०/एल०पी०जी० का उपयोग बढ़ाना।

(iv) वाहनों के लिए ईंधनों पर व्यय को सीमित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिशानिर्देश जारी करना।

[अनुवाद]

स्टेशनों पर खानपान/जलपान और अन्य स्टाल

***265. श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दक्षिण मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों और अन्य स्टेशनों पर जलपान/खानपान स्टाल और पुस्तक/पत्रिका स्टाल पर्याप्त संख्या में हैं :

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(ग) प्रत्येक स्टेशन पर खानपान/जलपान और पत्र-पत्रिका स्टाल के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड आनाए गए हैं और ये कितनी अवधि तक के लिए आबंटित किए जाते हैं; और

(घ) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दुकानों आदि और खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पर्याप्त प्रतियोगिता लाई जा सके और इन स्टालों पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खानपान/वेंडिंग इकाइयों और बुक स्टाल सुविधाओं की आवश्यकताओं का निर्णय यात्रियों की जरूरतों, जो मुख्यरूप से भीड़-भाड़ न करते हुए किसी स्टेशन विशेष पर संभाले गए यात्री यातायात की मात्रा पर निर्भर होती है, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस समय लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष के लिए होती है।

(घ) आबंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से, बड़ी खानपान इकाइयों का ठेका समाचार-पत्रों में अधिसूचना के जरिए प्रतिष्ठित और अनुभवी खानपान प्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित करके दो पैकेट खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है। जहां तक बड़ी इकाइयों से भिन्न खानपान इकाइयों को ठेका देने का संबंध है, समाचार-पत्रों में अधिसूचना के जरिए आवेदन पत्र आमंत्रित करके एक विस्तृत और मानक चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है। बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों/संघों/साझेदारी उद्यमों, वास्तविक कामगारों की पंजीकृत सहकारी समितियों/रेलवे स्टेशनों पर लगे बुक स्टालों के वेंडरों को बुक स्टालों का आवंटन समाचार-पत्रों में पर्याप्त प्रचार कर उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करके किया जाता है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता की जांच की जाती है। भारतीय रेलों पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड करने और उनके व्यावसायीकरण के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की स्थापना की गई है।

रेलवे सुरक्षा कोष

*266. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा कोष की स्थापना से अब तक इसमें कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है;

(ख) क्या रेलवे ने सुरक्षा कोष को गैर-सुरक्षा कार्यों में खर्च कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे अधिकारी सुरक्षा कोष का उपयोग करने में असफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनेक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सुरक्षा कार्य न करने के संबंध में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) रेल संरक्षा निधि की स्थापना होने के बाद से अर्थात् 1.4.2001 से 31.3.2003 तक इस निधि में जमा की गई राशि 799 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। यह निधि सड़क संरक्षा संबंधी कार्यों जिनमें (i) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना और (ii) व्यस्त समपारों पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण करना शामिल है, में इस्तेमाल की जाती है।

विगत दो वर्षों के दौरान इस निधि का किया गया उपयोग इस प्रकार रहा है :–

करोड़ रुपए में/शुद्ध

योजना शीर्ष	2001-02		2002-03		
	बजट अनु०	वास्तविक	बजट अनु०	संशोधन अनु०	वास्तविक
सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-समपार	50	53	125	115	82
सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-ऊपरी सड़क पुल/ निचले सड़क पुल	250	87	325	149	82

निधियों का कम उपयोग मुख्यत: सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल योजना-शीर्ष के अंतर्गत हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपरी सड़क/निचले सड़क पुलों के निर्माण के मामले में, रेलवे केवल पुल (रेलपथ के ऊपर/नीचे) का निर्माण करती है, जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निधियों का कम उपयोग, राज्य सरकारों की ओर से नक्शों तथा आरेखणों को अंतिम रूप देने में देरी करने, पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने में विलंब, अपनी वार्षिक योजना में कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण न करने तथा राज्य सरकारों के पास धन की तंगी आदि कारणों से हुआ है, रेलवे अपने हिस्से का काम तभी शुरू करती है जब राज्य सरकार पहुंच मार्गों का कार्य शुरू कर देती है और दोनों कार्य भी एक साथ पूरे हो जाए ताकि रेलवे निधियों का बिना वजह रुकान न हो, राज्य सरकारों द्वारा कार्य प्रारंभ करने में किए जाने

वाले विलंब के कारण ही रेलवे अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की स्थिति में नहीं होती है। सड़क संरक्षा संबंधी कार्य-समपार योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग चौकीदार तैनात करने की नीति के संशोधन, जो कि समीक्षाधीन थी और जिसे हाल ही में मई 2003 में अंतिम रूप दिया गया है, के कारण हुआ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस

*267. **श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2004 से उद्योगों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय किया है जबकि वाहनों के लिए अब भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का संकट बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई०जी०एल० के पास जनवरी, 2004 से प्राकृतिक गैस की सामान्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए कोई परियोजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) की उपलब्धता के संबंध में कोई संकट नहीं है।

(ग) और (घ) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई०जी०एल०) 113 सी०एन०जी० भरण केन्द्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में सी०एन०जी० की संपूर्ण मांग को पूरा कर रही है। आई०जी०एल० की दिल्ली में सी०एन०जी० की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए चरणबद्ध रूप में और अधिक सी०एन०जी० स्टेशन खोलने की योजना है।

मिग विमानों की ओवरहॉलिंग

*268. **श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ही मिग-23, मिग-25, मिग-27 और मिग-29 लड़ाकू विमानों की ओवरहॉलिंग की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उक्त लड़ाकू विमान की ओवरहॉलिंग की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। देश में मिग-23, मिग-27 और मिग-29 वायुयानों के लिए संपूर्ण मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई हैं परंतु मिग-25 के लिए नहीं।

(ख) नासिक स्थित 11 बेस मरम्मत डिपो में मिग-23 और मिग-29 वायुयानों की क्रमशः वर्ष 1988 और 1997 से संपूर्ण मरम्मत की जा रही है। मिग-25 वायुयानों के लिए भारत में संपूर्ण मरम्मत सुविधाएं स्थापित नहीं की गई हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। अतः संपूर्ण मरम्मत की सुविधाएं स्थापित करना किफायती नहीं है। मिग-27 वायुयानों के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संपूर्ण मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं।

(ग) वायुसेना मुख्यालय और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत में इन वायुयानों की संपूर्ण मरम्मत करके 986.84 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की गई है।

[अनुवाद]

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर

*269. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ उनके उत्पादों और सेवाओं की प्रति बिक्री हेतु सहयोग ज्ञापन (एम०ओ०सी०) पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहयोग ज्ञापन पर एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच एक दूसरे के हितों को प्रोत्साहन देने हेतु इसीप्रकार के सहयोग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०) ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी०एस०यू०) के साथ किसी सहयोग ज्ञापन (एम०ओ०सी०) पर

हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, आई०ओ०सी० द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के साथ निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक एम०ओ०सी० पर हस्ताक्षर किए गए हैं :–

(i) उच्च संभाव्यता वाले मार्गों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुनिंदा आई०ओ०सी० खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर०ओज) पर आकर्षक दरों पर संचार व्यापार केन्द्र स्थापित करना।

(ii) बी०सी०एन०एल० के रीचार्ज कूपनों (एक्सेल), वर्चुअल कालिंग कार्डों (वी०सी०सी०), संचारनेट कार्डों आदि जैसे उत्पादों की बिक्री करने के लिए आई०ओ०सी० के एल०पी०जी० नेटवर्क का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना।

(iii) रीयल-टाइम ट्रक-ट्रेकिंग सिस्टम का सृजन बी०एस०एन० एल० के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके करना जिसकी सेवाएं अनन्य तौर पर आई०ओ०सी० के बेड़े के ग्राहकों और आई०ओ०सी० के स्वयं के परिवहन वाहनों के लिए किया जा सकता है।

(iv) आर०ओज और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर बी०एस०एन०एल० के बिल संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की संभावना का पता लगाना।

(v) बेहतर संप्रेषण और संयोजन के लिए टावरों के निर्माण के लिए आई०ओ०सी०के०आर०ओज पर स्थान को उपयोग में लाने की संभाव्यता का पता लगाना।

(vi) आई०ओ०सी० के सभी आर०ओज०, आपूर्ति केन्द्रों और कार्यालयों के लिए संयोजन सेवा उपलब्ध कराने की संभावना का पता लगाना।

(vii) संयुक्त कार्य दल की चर्चाओं के दौरान उभर कर आने वाला अन्य कोई प्रस्ताव।

उपर्युक्त उपायों से बी०एस०एन०एल० उत्पादों और सेवाओं के विपणन में सुविधा होगी और लायल्टी कार्यक्रमों के माध्यम से आई०ओ०सी०एल० के ग्राहकों को अथवा अन्यथा दोनों कंपनियों के परस्पर लाभ के लिए मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध होगी।

फिलहाल आई०ओ०सी० और बी०एस०एन०एल० का एक संयुक्त कार्य दल इस सहयोग हेतु एक व्यापार नमूना विकसित करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी०एस०यूज) सांझे कारोबारी हित में ऐसे सहयोग अवसरों का पता लगाते रहते हैं और उनका मूल्यांकन करते रहते हैं।

भारत-ईरान गैस पाइप लाइन परियोजना को रद्द करना

*270. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भारी मात्रा में गैस मिलने के मद्देनजर सरकार भारत-ईरान गैस पाइप लाइन परियोजना को रद्द करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) के आयात की नीति की भी और समीक्षा की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी चैनलों को 'अपलिंकिंग' की अनुमति

*271. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री भास्करराव पाटील :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्रसारणकर्त्ताओं को भारत से टी०वी० चैनलों को 'अपलिंक' करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या है जिन्हें इस प्रकार की अनुमति दी गई है और वे किन चैनलों का संचालन करती हैं तथा प्रत्येक चैनल की विषय-वस्तु क्या है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों द्वारा प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों की अवहेलना करने के समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) आज की तारीख तक, सरकार ने भारत से 92 चैनलों की अपलिंकिंग के लिए 33 कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। इन 33 कंपनियों में से 10 कंपनियों में विदेशी इक्विटी के अलग-अलग घटक हैं।

(ख) कतिपय शर्तों जिनमें, अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं के अध्यधीन अपलिंकिंग हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :–

(i) गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ii) कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन।

(iii) 90 दिनों की अवधि के लिए अपलिंक की गई सामग्री के रिकार्डों का रखरखाव।

(iv) चैनल के कार्यक्रम अथवा विषयवस्तु की मानीटरिंग के लिए अपनी स्वयं की लागत पर आवश्यक मानीटरिंग की व्यवस्था करना।

(ग) ऐसी शिकायतों/चैनलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दिशानिर्देशों के कतिपय पहलुओं को नजरअंदाज करने संबंधी शिकायतों के पहलुओं सहित स्टार न्यूज/एम०सी०सी०एस० का समग्र आवेदन जांचाधीन है।

विवरण

समाचार और मनोरंजन चैनल

अनुमत समाचार चैनल

कंपनी का नाम	चैनल का नाम	भारतीय इक्विटी	विदेशी इक्विटी
1 2	3	4	5
एशियानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड	एशियानेट (एनॉलाग) मलयालम	100	0
एशियानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड	एशियानेट ग्लोबल (डिजिटल)	100	0
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लिमिटेड	तारा बंगला	93.03	6.97
इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्रा०लि०	इंडिया टीवी	100	0
इंडियाविजन सेटेलाइज कम्यु०	इंडियाविजन	100	0
जैन स्टूडियोज लि०	जैन टीवी	77.95	22.05
जीवन टेलीकास्टिंग कार्पोरेशन लि०	जीवन टीवी	87.52	12.48
मा टीवी नेटवर्क लि०	मा टीवी	100	0
मलयालम कम्युनिकेशन	कैराली	100	0
मावीज सत्काम प्रा०लि०	जया टीवी	100	0
न्यू दिल्ली टीवी लि०	एनडी टीवी इंडिया	83.53	16.47
न्यू दिल्ली टीवी लि०	एनडी टीवी इंडिया	83.53	16.47
राज नेटवर्क लि०	राज टीवी	100	0
सहारा संचार लि०	सहारा समय नेशनल और	100	0
सहारा संचार लि०	सहारा समय एनसीआर	100	0

1	2	3	4	5
	सहारा संचार लि०	सहारा समय राजस्थान	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा समय मुम्बई	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा समय बिहार	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा समय म०प्र०	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा समय उ०प्र०	100	0
	स्काई (बी) बंगला प्रा०लि०	आकाश बी	100	0
	एस टीवी एण्टरप्राइजेज लि०	पंजाब टुडे	100	0
	सन टीवी लि०	सूर्या न्यूज	100	0
	सन टीवी लि०	तेजा न्यूज	100	0
	सन टीवी लि०	उदय न्यूज	100	0
	सन टीवी लि०	सूर्या टीवी	100	0
	सन टीवी लि०	सन न्यूज	100	0
	सन टीवी लि०	सन टीवी	100	0
	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लि०	सीएन बीसी-टीवी 18	89.07	10.93
	टीवी लाइव इंडिया प्रा०लि०	टीवी लाइव	100	0
	टीवी टुडे नेटवर्क लि०	आज तक	92.5	7.5
	टीवी टुडे नेटवर्क लि०	हेडलाइन टुडे	92.5	7.5
	टीवी टुडे नेटवर्क लि०	मुम्बई आज तक	92.5	7.5
	टीवी टुडे नेटवर्क लि०	दिल्ली आज तक	92.5	7.5
	उदय टीवी लि०	उदय टीवी	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी उर्दू	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी उड़िया	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी गुजराती	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी कन्नड़	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी मराठी	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी बंगाली	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी तेलुगु	100	0

1	2	3	4	5
ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०		ईटीवी राजस्थान हिन्दी	100	0
ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०		ईटीवी बिहार हिन्दी	100	0
ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०		ईटीवी म०प्र० हिन्दी	100	0
ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०		ईटीवी उ०प्र० हिन्दी	100	0
विजय ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन प्रा०लि०		विजय	100	0
जी टेलीफिल्म्स लि०		अल्फा मराठी	42.46	57.54
जी टेलीफिल्म्स लि०		अल्फा गुजराती	42.46	57.54
जी टेलीफिल्म्स लि०		अल्फा बंगला	42.46	57.54
जी टेलीफिल्म्स लि०		अल्फा पंजाबी	42.46	57.54
जी टेलीफिल्म्स लि०		जी न्यूज	42.46	57.54
जी टेलीफिल्म्स लि०		जी टीवी	42.46	57.54

अनुमत्त मनोरंजन चैनल

कंपनी का नाम	चैनल का नाम	भारतीय इक्विटी	विदेशी इक्विटी
1	2	3	4
एशियानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड	एशियानेट (डिजिटल) मलयालम	100	0
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लिमिटेड	तारा मराठी	93.03	6.97
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लिमिटेड	तारा पंजाबी	93.03	6.97
ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड लिमिटेड	तारा गुजराती	93.03	6.97
कोक्सवैन टेक्नोलॉजीज	कोक्सवैन	89.85	10.15
दोक्षात ट्रांसवर्ल्ड लि०	विन टीवी	100	0
एण्टरटेनमेंट टीवी एन/डब्ल्यू प्रा०लि०	इटीसी पंजाबी	100	0
एण्टरटेनमेंट टीवी एन/डब्ल्यू प्रा०लि०	इटीसी हिन्दी*	100	0
जैमिनी टीवी प्रा०लि०	जैमिनी टीवी	100	0
जैमिनी टीवी प्रा०लि०	तेजा टीवी	100	0
इनटेलीविजन लि०	नम टीवी	91.30	8.7
इनटेलीविजन लि०	स्प्लैस टीवी	91.30	8.7
एम०एच० वन टीवी नेटवर्क लि०	एम एच वन	100	0

1	2	3	4	5
	राज टीवी नेटवर्क लि०	राज डिजिटल प्लस	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा टीवी एण्टरटेनमेंट	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा टीवी डिजिटल	100	0
	सहारा संचार लि०	सहारा टीवी	100	0
	संदेश टेलीफिल्म्स प्रा०लि०	साधना	100	0
	संस्कार इन्फो० टीवी प्रा०लि०	संस्कार	100	0
	श्री अधिकारी ब्रदर्स टीवी एन/डब्ल्यू लि०	सब टीवी	94.86	5.14
	सन टीवी लि०	सन II	100	0
	सन टीवी लि०	के टीवी	100	0
	सन टीवी लि०	सूर्या II	100	0
	सन टीवी लि०	एससीवी	100	0
	सन टीवी लि०	उषे टीवी	100	0
	तमिलन कलाइकूदम प्रा०लि०	तमिलन टेलीविजन	100	0
	टेक्नोलॉजी मीडिया ग्रुप प्रा०	टीएमजी एण्टर०	100	0
	उदय टीवी लि०	उदय टीवी II	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी तमिल	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी पंजाबी	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी मलयालम	100	0
	ऊषोदय एण्टरप्राइजेज लि०	ईटीवी असमी	100	0
	जी टेलीफिल्म्स लि०	जी म्यूजिक	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	अल्फा कावेरी	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	अल्फा भारती	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	अल्फा कृष्णा	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	जी सिनेमा	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	मानसी	42.46	57.54
	जी टेलीफिल्म्स लि०	कॉमेडी टीवी	42.46	57.54

[हिन्दी]

एल०पी०जी० एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं

*272. श्री मानसिंह पटेल :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल कंपनियों द्वारा एल०पी०जी० एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन में की गई अनियमितताओं के बारे में जन प्रतिनिधियों से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत छह महीनों में प्राप्त हुई ऐसी शिकायतें मिली हैं;

(ग) किन-किन मामलों में जांच कार्य पूरा हो गया है और इनमें से किन-किन मामलों में शिकायतें सही पाई गई हैं; और

(घ) जांच के निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) सरकार को खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर०ओ०), एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस०के०ओ०-एल०डी०ओ० डीलरशिपों के आबंटन, खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की बहाली, डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन, डीलरशिपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुन: आरम्भ किए जाने और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्य विपणन संबंधी मामलों के बारे में विभिन्न जन प्रतिनिधियों और अन्य की ओर से पिछले छह महीनों के दौरान 1693 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटनों में शिकायतकर्ताओं ने आय छिपाने, चयन किए गए उम्मीदवारों द्वारा निवास स्थान के संबंध में असत्य घोषणा, डीलर चयन बोर्ड द्वारा पक्षपात आदि के आरोप लगाए हैं। शिकायतों की जांच डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों में उपबंधित शिकायत निवारण पद्धति के अनुसार की जाती है। 9 मई, 2002 को डीलर चयन बोर्डों को भंग किए जाने से पहले चयन प्रक्रिया अथवा चुने गए उम्मीदवारों के विरुद्ध शिकायतें निर्णय हेतु अध्यक्ष, डीलर चयन बोर्ड को भेजी जाती थी। डीलर चयन बोर्डों को भंग किए जाने के बाद ऐसी शिकायतों पर निर्णय विधिवत जांच के बाद संबंधित तेल कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। अध्यक्ष और/अथवा डीलर चयन बोर्डों के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों और गंभीर अनियमितताओं की अन्य शिकायतों की जांच महानिदेशक, मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (डी०जी०,ए०ए०सी०) द्वारा की जाती है। पिछली छह महीनों में प्राप्त हुई और डी०जी०, ए०ए०सी० द्वारा जांच की गई 6 शिकायतों में से 3 मामलों में जांच कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन 3 मामलों में शिकायतें सिद्ध नहीं हुई हैं। शेष 3 मामलों के संबंध में जांच शिकायतकर्ताओं/कंपनी से कतिपय स्पष्टीकरण/कागजात प्राप्त न होने के कारण लंबित है।

[अनुवाद]

बारुदी सुरंग विस्फोट में मारे गए/घायल हुए नागरिक

*273. श्री भान सिंह भौरा :
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से लगी सीमा पर बारुदी सुरंग विस्फोटों के कारण बड़ी संख्या में नागरिक या तो मारे गए या घायल हुए है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और आज तक मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) पीड़ितों अथवा मृतकों के परिवारों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेना द्वारा इन क्षेत्रों से बारुदी सुरंगों को हटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं और पूरे सीमा क्षेत्र से बारुदी सुरंगों को कब तक हटा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यह सूचना संबंधित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमिगत बारूदी सुरंगों से हताहत सिविलियनों के लिए अनुग्रह मुआवजा देने की एक नई स्कीम 16 जनवरी, 2003 को शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमिगत बारुदी सुरंगों के विस्फोटों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अब तक प्राप्त कुल 17.5 लाख रुपए के दावे मंजूर किए गए हैं।

(घ) बारूदी सुरंगें हटाना एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य है जिसमें बहुत समय लगता है। यह कार्य शारीरिक, यांत्रिक और विस्फोटक-पदार्थों जैसे साधनों का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करके और सुरक्षा संबंधी सौ प्रतिशत सावधानियां बरतकर व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अत: हमारी सीमाओं के साथ-साथ लगाई गई बारुदी सुरंगों वाले क्षेत्र कब

तक इन सुरंगों से पूर्णत: मुक्त हो जाएंगे, इस बारे में सही-सही समय निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता।

विद्युत शुल्कों को तर्कसंगत बनाना

*274. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शुल्कों को तर्कसंगत बनाने और प्रति राजसहायता में कटौती करने के उद्देश्य से एक नई विद्युत शुल्क नीति की घोषणा का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान प्रति राजसहायता (क्रास सब्सिडी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त राजसहायता के कब तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-3 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) के परामर्श से टैरिफ नीति तैयार करेगी। परामर्श प्रक्रिया को आरंभ किया गया है।

अधिनियम की धारा 79(2) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी०ई०आर०सी०) केन्द्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ नीति निरूपण संबंधी सलाह भी देगा। आयोग से अपनी सलाह देने का अनुरोध किया गया है।

अधिनियम की धारा 61 में यह व्यवस्था है कि विनियामक आयोग टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तों को निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ धारा 61(छ), जिसमें अपेक्षा की गई है कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत की आपूर्ति लागत को परिलक्षित करती है और साथ ही विनियामक आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रास सब्सिडी को कम अथवा समाप्त करती है, से निर्देशित होंगे।

''कोल बेड मिथेन'' के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं

*275. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए ''कोल बेड मिथेन'' (सी०बी०एम०) ब्लाकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ''कोल बेड मिथेन'' के जिन ब्लाकों के लिए अब तक प्रस्ताव किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और ऐसे ब्लाकों के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) निजी/अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों को किसी ब्लाक का ठेका दिए जाने से पूर्व किए जाने वाले समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में सी०बी०एम० की खोज का कार्य शुरू किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्य सरकार को रायल्टी दिए जाने और केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच लाभ के बंटवारे संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। कोल बेड मिथेन (सी०बी०एम०) नीति के अंतर्गत ब्लाकों के द्वितीय प्रस्ताव में सरकार ने देश में कोयला/लिग्नाईट धारक क्षेत्रों में स्थित नौ ब्लाकों से सी०बी०एम० के अन्वेषण और उत्पादन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन ब्लाकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) आज तक सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन०ओ०सीज)/निजी कंपनियों के साथ आठ सी०बी०एम० ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इन ब्लाकों का ब्यौरा और कार्य की प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) सफल बोलीदाता को सरकार के साथ संविदा पर हत्साक्षर करने होते हैं। संविदा में न्यूनतम प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम और सी०बी०एम० नीति के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त कंपनी द्वारा बोली में दिए गए उत्पादन स्तर भुगतान शामिल होते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ०एन०जी०सी०) ने अपने अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) कार्यक्रम के अनुसार दो कूपों और सात स्लिमहोल्स का वेधन पश्चिम बंगाल में रानीगंज बेसिन में सी०बी०एम० की संभाव्यता का आकलन करने के लिए किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने सी०बी०एम० के अन्वेषण और उत्पादन के लिए रानीगंज बेसनि में तीन ब्लाकों के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों/निजी कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

(छ) और (ज) सी०बी०एम० नीति के अनुसार कूप शीर्ष पर बिक्री मूल्य पर यथामूल्य दस प्रतिशत की दर से सी०बी०एम० के

उत्पादन पर रायल्टी का भुगतान कंपनी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को किया जाना है। सी०बी०एम० ब्लाकों से उत्पादन स्तर भुगतान (पी०एल०पी०) और वाणिज्यिक खोज बोनस की हिस्सेदारी के लिए कुछ राज्य सरकारों का प्रस्ताव 12वें वित्त आयोग को भेजने का निर्णय किया गया है।

विवरण-I

सी०बी०एम० नीति के दूसरे दौर (सी०बी०एम०-2) के तहत प्रस्तावित ब्लाकों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र	ब्लाक का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	जीवी(उत्तर)–सीबीएम-2003/2
2.	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	सोनहट	एसएच(उत्तर)–सीबीएम-2003/2
3.	गुजरात	बाड़मेर-सांचोर	बीएस(3)–सीबीएम-2003/2
4.	झारखंड	दक्षिणी कर्णपुरा	एसके–सीबीएम-2003/2
5.		उत्तरी कर्णपुरा	एनके(पश्चिम)–सीबीएम-2003/2
6.	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	एसटी–सीबीएम-2003/2
7.	महाराष्ट्र	वर्धा	डब्ल्यूडी–सीबीएम-2003/2
8.	राजस्थान	बाड़मेर	बीएस(1)–सीबीएम-2003/2
9.		बाड़मेर	बीएस(2)–सीबीएम-2003/2

विवरण-II

उन सी०बी०एम० ब्लाकों का ब्यौरा जिनके लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं :–

क्र० सं०	राज्य	ब्लाक का नाम	संविदाओं के हस्ताक्षर किए जाने की तारीख	अवार्ड प्राप्त करने वाला संविदाकार	क्षेत्र व० कि०मी० में
1.	झारखंड	बोकारो	26.7.02	ओ०एन०जी०सी०-इंडियन आयल का०लि० (आई०ओ०सी०)	95.00
2.	झारखंड	उत्तरी कर्णपुरा	26.7.02	ओ०एन०जी०सी०-आई०ओ०सी०	340.00
3.	झारखंड	झरिया	6.2.03	ओ०एन०जी०सी०-सी०आई०एल० (कोल इंडिया लि०)	85.00
4.	मध्य प्रदेश	सोहागपुर (पूर्व)	26.7.02	रिलायंस इंडिस्ट्रीज लि०	495.00
5.	मध्य प्रदेश	सोहागपुर (पश्चिम)	26.7.02	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०	500.00
6.	पश्चिम बंगाल	रानीगंज (पूर्व)	26.7.02	एस्सार आयल लि०	500.00
7.	पश्चिम बंगाल	रानीगंज (उत्तर)	6.2.03	ओ०एन०जी०सी०-सी०आई०एल० (कोल इंडिया लि०)	350.00
8.	पश्चिम बंगाल	रानीगंज (दक्षिण)	31.5.01	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लि० (जी०ई०ई०सी०एल०)	210.00

सी०बी०एम० नीति के अनुसार संविदा की अवधि चार चरणों में बांटी जाती है जिनमें प्रथम चरण तीन वर्ष के लिए अन्वेषण हेतु होता है। अपने आर एण्ड डी कार्य के रूप में ओ०एन०जी०सी० ने झरिया सी०बी०एम० ब्लाक में चार परीक्षण कूपों और छह ''कोर होल्स'' का वेधन किया था और सी०बी०एम० संभाव्यता के आकलन के लिए उत्तरी रानीगंज ब्लाक में दो कूपों और सात ''कोरहोल्स'' का वेधन किया है। जी०ई०ई० सी०एल० ने रानीगंज (दक्षिण) ब्लाक में एक परीक्षण कूप और दो ''कोर होल्स'' का वेधन किया है और एक परीक्षण कूप का वेधन प्रगति पर है। शेष ब्लाकों के लिए अन्वेषण आरम्भ होने से पहले औपचारिकताएं संबंधित अवार्ड प्राप्तकर्ता संविदाकारों द्वारा पूरी कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

*276. **श्री अरुण कुमार :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सो में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन से हैं, जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम दोहन किया जाता है; और

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, लघु पनबिजली, बायोमास और सौर से 80,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विकेन्द्रित प्रणालियों जैसे बायोगैस संयंत्रों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, सौर जल तापकों, आदि की स्थापना के लिए भी गुंजाइश है। देश में अनुमानित संभाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में तथा प्रमुख कार्यक्रमों के लिए राज्यवार संभाव्यता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) सरकार राज्यों में अक्षय ऊर्जा विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी और तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए वित्तीय सहायता, आवधिक ऋण, अनुकूल अक्षय ऊर्जा विद्युत नीतियों सहित राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों को उपलब्ध कराकर अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, विकास और उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

विवरण-I

प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता

क्रम सं०	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
1.	पवन विद्युत	45,195 मेगावाट
2.	लघु पनबिजली (25 मेवा० तक)—	
	सकल संभाव्यता	15,000 मेगावाट
	पहचान किए गए स्थलों की संभाव्यता	10,324 मेगावाट
3.	बायोमास विद्युत/बायोमास गैसीफायर	16,000 मेगावाट
	खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत	3,500 मेगावाट
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा	2,700 मेगावाट
	अक्षय स्रोतों से विद्युत (कुल)	**82,395 मेगावाट**
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	20 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
6.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (संख्या)	120 लाख
7.	सौर जल तापन प्रणाली	140 मिलियन वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

विवरण-II

प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की राज्यवार अनुमानित संभाव्यता

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली*** (मेगावाट)	खोई सहउत्पादन (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (एमएसडब्ल्यू) (मेगावाट)	बायोगैस संयंत्र* (सं० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8275	254.63	200	123	10.66
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1059.03	0	0	0.08
3.	असम	0	118.00	0	8	3.08

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	0	194.02	200	62	9.40
5.	छत्तीसगढ़	0	57.90	0	20	
6.	गोवा	0	2.60	0	0	0.08
7.	गुजरात	9675	156.83	200	112	5.54
8.	हरियाणा	0	30.05	0	23	3.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1624.78	0	1	1.26
10.	झारखंड	0	170.05	0	10	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0	1207.27	0	0	1.29
12.	कर्नाटक	6620	652.61	300	151	6.80
13.	केरल	875	466.85	0	37	1.51
14.	मध्य प्रदेश	5500	336.32	0	92	14.91
15.	महाराष्ट्र	3650	599.47	1000	287	8.97
16.	मणिपुर	0	105.63	0	2	0.39
17.	मेघालय	0	181.50	0	2	0.24
18.	मिजोरम	0	190.32	0	2	0.03
19.	नागालैंड	0	181.39	0	0	0.07
20.	उड़ीसा	170	156.76	0	22	6.05
21.	पंजाब	0	65.26	150	45	4.12
22.	राजस्थान	5400	27.26	0	62	9.15
23.	सिक्किम	0	202.75	0	0	0.07
24.	तमिलनाडु	3050	338.92	350	151	6.16
25.	त्रिपुरा	0	9.85	0	2	0.29
26.	उत्तर प्रदेश	0	267.06	1000	176	20.21
27.	उत्तरांचल	0	1478.24	0	5	
28.	पश्चिम बंगाल	450	182.62	0	147	6.95
29.	अंडमान व निकोबार	0	6.40	0	0	0.02
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0	6	0.14

1	2	3	4	5	6	7
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0	0.02
32.	दमन एवं दीव	0	0.00	0	0	0.0
33.	दिल्ली	0	0.00	0	131	0.13
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0.0
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0	3	0.04
36.	सभी राज्यों के लिए एक समान**		0.00	100	1020	
	कुल	45195	10324.37	3500	2700	120.63

*झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल की संभाव्यता को क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया है।

**अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक अपशिष्ट के लिए।

***पहचान किए गए स्थलों की संभाव्यता।

टिप्पणी : बायोमास विद्युत और बायोमास गैसीफायर के लिए अनुमानित संभाव्यता केवल राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध।

विवरण-III

दिनांक 31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	बायोमास* विद्युत (मेगावाट)	बायोमास गैसीफायर (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)	सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत (केडब्ल्यूपी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	92.60	155.61	160.05	15.38	11.95	275
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	32.10	0.00	0.18		0
3.	असम	0.00	2.00	0.00	0.12		0
4.	बिहार	0.00	44.90	0.00	0.02		0
5.	छत्तीसगढ़		1.00	11.00	0.50		
6.	गोवा	0.00	0.05	0.00	0.02		0
7.	गुजरात	173.10	7.00	0.50	11.36	2.45	0
8.	हरियाणा	0.00	48.30	4.00	0.96		0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	93.24	0.00	0.01		0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	102.24	0.00	0.12		0
11.	झारखंड		4.05	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	124.30	182.38	109.38	4.50	1.00	30
13.	केरल	2.00	69.52	0.00	0.73		25
14.	मध्य प्रदेश	22.60	38.96	0.00	4.53	2.70	339
15.	महाराष्ट्र	401.20	206.33	24.50	3.82	1.90	185
16.	मणिपुर	0.00	5.45	0.00	0.00		0
17.	मेघालय	0.00	30.71	0.00	0.00		0
18.	मिजोरम	0.00	14.76	0.00	0.20		0
19.	नागालैंड	0.00	20.47	0.00	0.00		0
20.	उड़ीसा	0.00	7.30	0.00	0.07		0
21.	पंजाब	0.00	107.40	22.00	0.70	0.75	250
22.	राजस्थान	60.70	23.85	0.00	0.22		50
23.	सिक्किम	0.00	35.60	0.00	0.00		0
24.	तमिलनाडु	990.30	76.40	106.00	2.65	1.98	211
25.	त्रिपुरा	0.00	16.01	0.00	1.00		0
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	21.50	46.50	2.75	3.00	325
27.	उत्तरांचल		64.60		0.00		
28.	पश्चिम बंगाल	1.10	92.28	0.00	2.97		50
29.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	5.25	0.00	0.17		50
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00		50
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00		0
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00		0
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.07		0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00		650
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00		0
36.	सभी राज्यों के लिए एक समान**	1.60	0.00	0.00	0.32		0
	कुल	1869.50	1509.24	483.93	53.37	25.73	2490

*खोई सहउत्पादन सहित

31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	आईबीपी/ सीबीपी/ एनबीपी (संख्या)	जल पंपन पवन चक्की (संख्या)	एरोजनरेटर हाईब्रिड प्रणाली (किलोवाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	354334	132	5	16
2.	अरूणाचल प्रदेश	1721	0	0	0
3.	असम	53769	2	3	6
4.	बिहार	123963	40	42	0
5.	छत्तीसगढ़	8078	8		
6.	गोवा	3428	21	0	14.7
7.	गुजरात	359047	165	432	0
8.	हरियाणा	45414	59	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	44194	8	0	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2013	4	0	0
11.	झारखंड	925	4		
12.	कर्नाटक	365243	63	20	7.75
13.	केरल	90823	163	79	8
14.	मध्य प्रदेश	216970	120	0	0
15.	महाराष्ट्र	687657	484	26	123.14
16.	मणिपुर	2026	4	0	0
17.	मेघालय	2671	4	0	0
18.	मिजोरम	3015	0	0	0
19.	नागालैंड	1792	7	0	0
20.	उड़ीसा	198692	45	0	0
21.	पंजाब	72279	668	0	0
22.	राजस्थान	66735	71	222	4
23.	सिक्किम	4125	0	0	10
24.	तमिलनाडु	203808	289	52	24.5
25.	त्रिपुरा	2069	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	382784	1366	0	0
27.	उत्तरांचल	2912	49		
28.	पश्चिम बंगाल	220969	68	0	0
29.	अंडमान एवं निकोबार	137	0	2	0
30.	चंडीगढ़	97	0	0	0
31.	दादर एवं नागर हवेली	169	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	676	56	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	573	1	0	5
36.	सभी राज्यों के लिए एक समान**	0	0	0	0
	कुल	3523108	3901	883	219.09

आई०बी०पी०/सी०बी०पी०/एन०बी०पी० = संस्थागत/सामुदायिक/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय 31.3.2003 के अनुसार				एसपीवी पंप (संख्या)	सौर कुकर (संख्या)
		एसएलएस	एचएलएस	एसएल	पीपी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2648	1161	32152	21.656	603	11985

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	738	750	4937	7.9	0	530
3.	असम	98	2787	541	7.5	45	80
4.	बिहार	490	679	28275	0	128	450
5.	छत्तीसगढ़	1237	3612	3192	0	5	37000
6.	गोवा	69	51	443	1.72	15	1500
7.	गुजरात	1764	2552	31603	24.9	42	70410
8.	हरियाणा	612	9666	32727	24.2	270	20615
9.	हिमाचल प्रदेश	1494	11948	20697	1.5	6	27280
10.	जम्मू एवं कश्मीर	389	15317	9202	40	18	345
11.	झारखंड	135	102	16374	0	3	280
12.	कर्नाटक	1009	6135	7334	18.91	337	250
13.	केरल	1090	18679	39681	44.7	749	195
14.	मध्य प्रदेश	5714	159	8564	22.4	76	141600
15.	महाराष्ट्र	3388	721	8683	6.44	189	56635
16.	मणिपुर	370	650	3883	11	12	365
17.	मेघालय	593	540	4875	42	5	1165
18.	मिजोरम	315	1645	5812	0	37	110
19.	नागालैंड	271	143	95	6	0	0
20.	उड़ीसा	5665	2937	8795	36.52	4	3170
21.	पंजाब	1766	2870	14995	46	1580	22050
22.	राजस्थान	6473	34864	4716	25.8	268	36600
23.	सिक्किम	271	143	95	6	0	20
24.	तमिलनाडु	2272	471	12818	26	760	1355
25.	त्रिपुरा	760	2238	20805	24.57	10	80
26.	उत्तर प्रदेश	550	50938	52815	129.2	229	45310
27.	उत्तरांचल	250	32204	27027	80.03	9	7090
28.	पश्चिम बंगाल	1461	26890	3662	475	48	7930

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान एवं निकोबार	358	405	796	167	25	60
30.	चंडीगढ़	0	275	1675	0	14	1525
31.	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	1	80
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	301	0	4753	15	84	27990
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	85	0	0
35.	पांडिचेरी	62	13	637	0	21	90
36.	सभी राज्यों के लिए एक समान**	0	3295	28197	0	18	16685
	कुल	43613	234840	440856	1396.946	5611	540830

एसएलएस = सड़क रोशनी प्रणाली; एचएलएस = घरेलू रोशनी प्रणाली; एसएल = सौर लालटेन; पीपी = विद्युत संयंत्र; एसपीवी = सौर प्रकाशवोल्टीय

[अनुवाद]

कोयले की घटिया गुणवत्ता के कारण राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

*277. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को सप्लाई किए गए बहुत अधिक राख और घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के फलस्वरूप विद्युत बोर्डों की परियोजनायें अक्षम और अनुत्पादक बन गई हैं;

(ख) यदि हां, तो व कौन से राज्य हैं जिनके विद्युत बोर्डों (एस०ई०बी०) को भारी घाटा हो रहा है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण को सुधारने और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन इकाइयों को आधुनिक बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक हैं। आजकल के बॉयलरों का निर्माण अधिक राखयुक्त कोयले को जलाने के लिए किया गया है।

(ख) विद्युत केन्द्रों की बंदी और संचालन कार्य में दक्षता का अभाव घटिया किस्म के कोयले के कारण हो सकता है। वित्तीय घाटों को ठीक-ठीक बता पाना संभव नहीं है।

(ग) सुधार कार्यों को समयबद्ध ढंग से अंजाम देने के लिए केन्द्र और राज्यों की संयुक्त प्रतिबद्धता के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन सुधार कार्यों का उद्देश्य राज्य विद्युत क्षेत्र की कार्यदक्षता में सुधार लाना तथा पारेषण और वितरण से जुड़ी हानियों में कमी लाना है। समझौता ज्ञापनों को उनमें स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य के उल्लेख के साथ समझौता करार का रूप दिया जा रहा है। अब तक 27 राज्यों को ही इसमें शामिल किया गया है।

ए०पी०डी०आर०पी० के तहत विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाते हुए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी लाकर अभिनिर्धारित वितरण सर्किलों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने हेतु कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जिन 24 राज्यों के साथ त्रि-पक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं उससे उन राज्यों के विद्युत बोर्डों द्वारा देय 37,400 करोड़ रुपये राशि के पुराने बकायों के प्रतिभूतिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

पुराने और रुग्ण तापविद्युत उत्पादन यूनिटों की कार्य दक्षता में सुधार लाने हेतु जीवन विस्तार/आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत राख की अधिक मात्रा की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। कोयले में राख की मात्रा सम्बन्धी क्रियाकलाप जिन यूनिटों में शुरू किया जाना है वे 10वीं योजना के लिए निर्धारित जीवन विस्तार कार्यक्रम के तहत शामिल है। देश में 10वीं योजना के दौरान संस्थापित 9750 मेगावाट क्षमता के 30 विद्युत केन्द्रों (100 यूनिट) और 13900 मेगा वाट क्षमता के 16

विद्युत केन्द्रों (60 यूनिट) को जीवन विस्तार/आधुनिकीकरण और नवीकरण कार्य हेतु अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के जिन यूनिटों को शामिल किया गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में हैं।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 10वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार कार्य हेतु अभिनिर्धारित ताप विद्युत यूनिटें

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	यूनिट संख्या	वर्तमान क्षमता (मेगा वाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	बनाबट		उत्पादन शुरू होने का वर्ष
					बॉयलर	टीजी	
1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगल							
1.	संथालडीह	1	120	400	एवीबी	भेल	1974
2.		2	120		एवीबी	भेल	1975
3.		3	120		एवीबी	भेल	1978
4.		4	120		एवीबी	भेल	1981
5.	बांडेल	1	80	360	बि०एंड डब्लू०यूएस	डब्लूएच० यूएसए	1965
6.		2	80		बि०एंड डब्लू०यूएस	डब्लूएच० यूएसए	1966
7.		3	80		बि०एंड डब्लू०यूएस	डब्लूएच० यूएसए	1966
8.		4	80		बि०एंड डब्लू०यूएस	डब्लूएच० यूएसए	1966
9.	दूर्गापुर-डीवीसी	3	140	170	बि०एंड डब्लू०यूके	जीई० यूएसए	1966
	कुल पश्चिम बंगाल	9 यूनिट	940	930			
बिहार							
10.	बरौनी	4	50	200	पोलैंड	पोलैंड	1969
11.		5	50		पोलैंड	पोलैंड	1971
	कुल-बिहारी	2 यूनिट	100	200			
उत्तर प्रदेश							
12.	ओबरा	1	40		केकेबिडब्लू	एलएमडब्लू	1967
13.		2	40		केकेबिडब्लू	एलएमडब्लू	1968

1	2	3	4	5	6	7	8
14.		3	40		केकेबिडब्लू	एलएमडब्लू	1968
15.		4	40		केकेबिडब्लू	एलएमडब्लू	1969
16.		5	40		केकेबिडब्लू	एलएमडब्लू	1971
17.		6	94	1587	भेल	भेल	1973
18.		7	94		भेल	भेल	1974
19.		8	94		भेल	भेल	1975
20.		9	200		भेल	भेल	1980
21.		10	200		भेल	भेल	1979
22.		11	200		भेल	भेल	1977
23.		12	200		भेल	भेल	1981
24.		13	200		भेल	भेल	1982
25.	पनकी	3	105	180	भेल	भेल	1976
26.		4	105		भेल	भेल	1977
27.	हरदुआगंज	3	60	248	भेल	भेल	1972
28.		4	60		भेल	भेल	1972
29.		5	60		भेल	भेल	1977
30.		7	105		भेल	भेल	1978
	कुल उत्तर प्रदेश	19 यूनिट	1977	2015			
मध्य प्रदेश							
31.	सतपुड़ा	1	62.5	391	एवीबी	आईजीई	1967
32.		2	62.5		एवीबी	आईजीई	1968
33.		3	62.5		एवीबी	आईजीई	1968
34.		4	62.5		एवीबी	आईजीई	1968
35.		5	62.5		एवीबी	आईजीई	1970
36.	अमरकंटक	1	30	282	एसजी	एईजी	1965
37.		2	20		एसजी	एईजी	1965
38.		3	120		एवीबी	भेल	1977
39.		4	120		एवीबी	भेल	1978
	कुल-मध्य प्रदेश	9 यूनिट	602.5	673			

विवरण-II

पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 10वीं योजना के दौरान नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य हेतु अभिनिर्धारित ताप विद्युत यूनिटें

क्रम सं०	यूटिलिटी/बोर्ड का नाम	केन्द्र का नाम	यूनिट सं०	क्षमता (मेगा वाट)	बनाबट		उत्पादन शुरू होने का वर्ष
					बॉयलर	टीजी	
			उत्तर प्रदेश				
1.	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा	1	110	भेल	भेल	1984
2.			2	110	भेल	भेल	1985
	कुल-उत्तर प्रदेश		2 यूनिट	220			
			मध्य प्रदेश				
3.	एमपीएसईबी	सतपुड़ा	6	200	भेल	भेल	1979
4.			7	210	भेल	भेल	1980
5.			8	210	भेल	भेल	1983
6.			9	210	भेल	भेल	1984
	कुल-मध्य प्रदेश		4 यूनिट	830			
			पश्चिम बंगाल				
7.	डब्लूबीपीडीसीएल	कोलाघाट	1	210	एवीबी	भेल	1990
8.			2	210	एवीबी	भेल	1985
9.			3	210	एवीबी	भेल	1984
10.			4	210	भेल	भेल	1993
11.			5	210	भेल	भेल	1991
12.			6	210	भेल	भेल	1993
	कुल-पश्चिम बंगाल		6	यूनिट	1260		
			बिहार				
13.	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर	1	110	भेल	भेल	1985
14.			2	110	भेल	भेल	1986
	कुल बिहार		2 यूनिट	220			

[हिन्दी]

हथियार और गोला-बारूद की चोरी

*278. **श्री रामशकल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी आयुध डिपो हेतु वर्तमान सुरक्षा प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या वर्तमान सुरक्षा, हथियारों और गोला-बारूद की चोरी, और असामाजिक तत्वों तथा आतंकवादियों को इनकी बिक्री रोकने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) देश के सभी आयुध/गोलाबारूद डिपुओं में हथियारों तथा गोलाबारूद की चोरी तथा छिटपुट चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद है, जो इस प्रकार हैं :–

(1) सभी आयुध डिपुओं में चार-दीवारी, भीतरी तथा बाहरी बाड़ मौजूद हैं।

(2) प्रवेश तथा निकास द्वारों की संख्या न्यूनतम रखी गई है।

(3) फ्लड लाइटें लगाई गई हैं तथा सुरक्षा को कड़ा करने के लिए निगरानी टावर स्थापित किए गए हैं।

(4) आयुध डिपुओं में हथियारों और गोलाबारूद की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा अनुदेश तथा स्थायी प्रचालन प्रक्रिया तैयार करके कार्यान्वित किए जाते हैं।

(5) प्रत्येक डिपो में बार-बार जांच/आकस्मिक जांच की जाती है। आवधिक निरीक्षणों के दौरान विरचना मुख्यालय द्वारा भी आकस्मिक जांच की जाती है।

(6) प्रत्येक डिपो में समय-समय पर स्टॉक का माल-सूची से मिलान किया जाता है।

(7) सभी डिपुओं में कड़ी लेखाकरण-प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है तथा उनकी मानीटरी की जाती है।

(8) संरक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिन और रात, दोनों के दौरान, मोबाइल गश्ती दल तैनात किए जाते हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया दलों को तत्पर रखा जाता है।

(9) गार्ड-चौकियों तथा सुरक्षा-अधिकारियों के बीच पर्याप्त संचार-प्रणालियां मुहैया कराई गई है।

(10) कार्य-समाप्ति पर सभी दरवाजों पर सही ढंग से ताले लगाए जाते हैं तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूरी जांच की जाती है।

(11) सभी शेडों तथा भवनों में दरवाजों की संख्या न्यूनतम है तथा प्रवेश प्रतिबंधित और नियंत्रित है। खिड़कियों तथा रोशनदानों पर मजबूत ग्रिल लगाए गए हैं।

(12) हथियार तथा गोलाबारूद लाने-ले जाने का कार्य सदैव सशस्त्र रक्षा-दलों की मौजूदगी में किया जाता है।

सेना के आदेशों के अनुसार केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही शस्त्र/गोलाबारूद की बिक्री की अनुमति है तथा शस्त्र/गोलाबारूद की अंधाधुंध बिक्री नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा तथा सुरक्षा उपायों का उन्नयन किया जाता है।

आयुध/गोलाबारूद डिपुओं से शस्त्र अथवा गोलाबारूद असामाजिक तत्वों अथवा आतंकवादियों के पास पहुंचने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

[अनुवाद]

प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सुदृढ़ बनाना

*279. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान और चालू वर्ष में देश में प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया नेटवर्क के विकास और इसे सुदृढ़ बनाने हेतु क्या नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान किए गए निवेश और इसके तत्संबंधी प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान नीतिगत निर्णय के कार्यान्वयन हेतु क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन ने 21 स्टूडियो और 387 ट्रांसमीटर चालू किए थे जिससे डी०डी० 1 चैनल की कवरेज 86.9 प्रतिशत से 89 प्रतिशत और डी०डी० 2 चैनल की कवरेज 11.02 प्रतिशत से 35.9 प्रतिशत तक बढ़ी है। इसमें पूंजीगत व्यय 1360.53 करोड़ रुपये था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88.39 लाख रुपये की लागत पर 12 लघु मीडिया केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं।

नौवीं योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी परियोजनाओं (संख्या 88) पर 553.82 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिनसे कवरेज 98.84 प्रतिशत तक बढ़ी थी।

(ग) और (घ) जहां तक प्रसार भारती का संबंध है दसवीं योजना में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में कवर न किए गए क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान, निर्माण सुविधाओं का डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण, उपग्रह प्रसारण उपक्रमों का डिजीटलीकरण और आधुनिकीकरण, पुराने स्टूडियो ट्रांसमीटर और उपग्रह प्रसारण उपकरण की प्रतिस्थापना, स्टूडियो सुविधाओं का स्वचालन, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का स्वचालन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज का विस्तार, स्थलीय कवरेज का डिजीटल प्रसारण और सीमित विस्तार करना शामिल हैं।

एक सार्वजनिक सूचना के जरिए सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं जिसे देश के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है और इस स्कीम का प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र भेज दिए गए हैं। इस समय दसवीं योजना के हिस्से के रूप में दूरदर्शन की 12 स्टूडियो और 97 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। 'के०यू०बैंड प्रसारण' की एक प्रायोजित स्कीम तैयार कर ली गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीप समूह क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार हेतु विशेष पैकेज सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया था और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की नीति का पालन करती है। प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर निजी हाथों में हैं और सरकार उनके प्रबंधन में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करती है। तथापि, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

देश में प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया नेटवर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 और चालू वर्ष में निम्नलिखित नीतिगत निर्णय लिए गए है :–

क(i) वैज्ञानिक/तकनीकी/विशेष विषयों वाली मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 74 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी तक विदेशी निवेश की अनुमति देना।

(ii) समाचार और समसामयिक विषयों वाले समाचारपत्रों और आवधिकों को प्रकाशित करने वाली भारतीय संस्थाओं में 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमति देना।

(iii) वैज्ञानिक/तकनीकी/विशेष विषयों वाली मैगजीनों/आवधिकों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण की अनुमति देना।

ख स्वचालित अनुमोदन माध्यम से विज्ञापन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करना।

ग विज्ञापन नीति के दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

प्रेस सम्मेलनों के आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में लघु मीडिया केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

अखबारी कागज, व्यावसायिक श्रेणी के छायाचित्रीय एवं प्रसारण उपस्कारों के आयात की अनुमति समाचार पत्रों, प्रत्यायित पत्रकार और उन चैनलों को दी जाती है जिनके पत्रकार क्रमशः पत्र सूचना कार्यालय में प्रत्यायित हैं। अद्यतन प्रसारण एवं संचार सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है।

सरकार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से प्रिंट मीडिया में अनेक विज्ञापन जारी करती है। विज्ञापन-स्थान के थोक क्रेता के रूप में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए रियायती दरें है। इस समय इस मुद्दे की विस्तार पूर्वक जांच की गयी है और विज्ञापन नीति संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 1.5.2002 से लागू किए जा चुके हैं।

समाचारपत्रों द्वारा किए गए सिंडिकेट समझौते के संबंध में वर्तमान प्रणाली को उदार और कारगर बनाने के उद्देश्य से जून, 2003 में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

सरकार ने पात्रता संबंधी मापदण्डों को पूरा किए जाने के अध्याधीन अल्प शक्ति एफ०एम० सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी/प्रबंधन संस्थान सहित सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई, तीन महानगरों में चरणबद्ध क्षेत्रवार तरीके से और चेन्नई में एक बार में ही 1 सितम्बर, 2003 से सशर्त पहुंच प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करके सशर्त पहुंच प्रणाली की शुरूआत की गई है।

चरण-II हेतु रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिशें करने की बाबत एक समिति का गठन किया गया है।

सिर पर मैला ढोने वालों को इस प्रथा से मुक्ति तथा उनका पुनर्वास

*280. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के उद्धार तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के एक दशक के पश्चात् भी अनुमानित लाभार्थियों के 40 प्रतिशत से भी अधिक लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ऋण आवेदनों को बैंकों द्वारा अव्यवहार्य करार देते हुए अस्वीकार कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सिर पर मैला ढोने वालों के उद्धार और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(च) क्या सरकार पुनर्वासित सिर पर मैला ढोने वालों को वृत्तिका के रूप में दी जा रही राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001-2002 तक 6.76 लाख अनुमानित सिर पर मैला ढोने वालों में से 4.08 लाख या 60.3% को पुनर्वासित किया गया है।

(ख) सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास एक सतत् प्रक्रिया हैं सरकार ने वर्ष 2007 तक सिर पर मैला ढोने के कार्य के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

(ग) ऐसे कोई उदाहरण मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन०एस०एल०आर०एस०) के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 40.00 करोड़ रु० का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत धनराशि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं है।

(च) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए धनराशि

2432. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण को बढ़ाने के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण में वृद्धि के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों के ब्यौरा निम्नानुसार है :

	2000-01	2001-02	20002-03
विद्युत उत्पादन	5410.70	7757.28	7932.46
पारेषण	2166.14	2353.00	2577.00

विद्युत वितरण राज्य का विषय है तथापि, उप-पारेषण एवं वितरण स्कीमों के सुदृढ़ीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय राज्य सरकारों को निधि उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के विवरण निम्नानुसार हैं;

2000-01	615.70 करोड़ रुपये
2001-01	शून्य
2002-03	2134.78 करोड़ रुपये

(ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान विद्युत उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 10वीं योजना में 41,110 मे०वा० की क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य के अलावा विद्युत मंत्रालय ने देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है;

- अक्षय ऊर्जा स्रोतों में 3000 मे०वा० अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की आशा है इसके अलावा भुटान की ताला जल विद्युत परियोजना से भी 10वीं योजना में 1000 मे०वा० क्षमता प्राप्त होने की आशा है।
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो गठित किया गया है।
- वितरण क्षेत्र में तकनीकी हानियों में कमी। इस तथ्य की प्राप्ति के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) तैयार किया गया है।
- मौजूदा विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण जो प्रचालन एवं अनुरक्षण के बेहतर तरीके के साथ और अधिक विद्युत उपलब्धता एवं उत्पादन करने में मदद करेगा।
- राष्ट्रीय ग्रिड के क्रमिक विकास के जरिए विद्युत अधिशेष क्षेत्र से विद्युत अभाव वाले क्षेत्र को विद्युत का निर्यात ताकि अखिल भारतीय आधार पर विद्युत उत्पादन क्षमता का ईष्टतम उपयोग हो सके।
- कैप्टिव संयंत्रों की संस्थापना। नए विद्युत अधिनियम में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के स्वतंत्र रूप से निर्माण के लिए उदार ढ़ांचा उपलब्ध कराया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार रा०वि०बो०/पी०एस०यू० के विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

(मि०यू०)

राज्य	एसईबी/पीएसयू	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
दिल्ली	डीवीबी	2800	2677	3496
जम्मू व कश्मीर	जे एंड के	564	541	381
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	1165	1146	1317
हरियाणा	एचपीजीसी	3795	5314	6211
राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	10236	11256	14054
पंजाब	पीएसईबी	17599	18406	17166
उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	19582	20510	20967
	यूपीएचपीसी	5301	2030	1454
उत्तरांचल	उत्तरांचल	0	2914	3343
गुजरात	जीईबी	23337	22933	23456
	जीएसईसीएल	2883	3136	3398
	जीएसईजी लि०	0	171	878
महाराष्ट्र	एमएसईबी	45849	48929	48283
मध्य प्रदेश	एमपीईबी	22237	14735	16403

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	सीएसईबी	0	8148	7839
आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	29657	28369	26707
	एपीजीपीसीएल	1978	1950	2031
कर्नाटक	केपीसीएल	19440	9244	6823
	केईबी	237	231	264
	वीपीएनएल कर्नाटक	658	772	715
केरल	केएसईबी	6969	6719	4814
तमिलनाडु	टीएनईबी	25123	25547	24912
पांडिचेरी	पीपीसीएल	233	250	265
बिहार	बीएसईबी	2260	731	590
झारखंड	जेएसईबी	0	1523	1310
	तेनुघाट विन्ध्याचल	1333	1157	1369
उड़ीसा	ओपीजीसी	3006	2598	2613
	ओपीएचसी	4612	6456	3153
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईबी	3635	1387	510
	डब्ल्यूबीपीडीसी	7507	11777	13935
	डीपीएल	597	1041	1476
सिक्किम	सिक्किम	21	35	35
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
असम	एएसईबी	932	842	743
मेघालय	एमएसईबी	658	613	573
त्रिपुरा	त्रिपुरा	312	289	340
मणिपुर	मणिपुर	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	13	19	10
नागालैंड	नागालैंड	0	4	2
	कुल एसईबी/पीएसयू	264529	273776	272778
	अखिल भारत	499548	515247	531607

[अनुवाद]

तानसेट अम्बेरमाली गांवों के रेलवे स्टेशनों की स्थिति

2433. श्री चिंतामन बनगा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के तानसेट और अम्बेरमाली गांवों में सभी उपनगरीय रेलागाड़ियां रुकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन गांवों को रेलवे स्टेशन का दर्जा देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) वर्तमान में तानशेट और अम्बेरमाली गांवों में किसी भी गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) तानशेट और अम्बेरमाली मध्य रेलवे के कल्याण-कसारा खंड पर परिचालनिक केबिन हैं। इन स्टेशनों को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है और उसे वित्तीय रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है। अत:, इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

2434. श्री रामानन्द सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 5 या 6 महीने से अनाथों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि अनाथों को केवल एक माह की पेंशन का भुगतान किया जाता है लेकिन उनसे छ: माह की पेंशन के लिए कागज पर अंगूठा लगवा लिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) सरकार ने अनाथों को समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की देय राशि प्रदान करने के लिए क्या प्रबंध किये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टर विनिर्माण के लिए यूरोकॉप्टर के साथ संयुक्त उद्यम

2435. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी यूरोकॉप्टर ने भारत में अपने काउगर और फेनर फेमिली के मिलिट्री हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने हेतु हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पुराने चीता और चेतक हेलीकाकॉप्टरों को बलदने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पेरिस वायु प्रदर्शनी के दौरान दिनांक 17 जून, 2003 को हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और यूरोकॉप्टर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य हेलिकॉप्टर, संबंधित पुर्जों उप-असेम्बलियों तथा असेम्बलियों के उत्पादन, प्रणालियों के विकास तथा उपस्कारों के क्षेत्रों में सहयोगपूर्ण संबंधों का विकास करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) सैन्य विमानन के चीता और चेतक हेलिकाप्टरों के मौजूदा बेड़े को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

रेल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2436. श्री बी०वी०एन० रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 करोड़ रुपयों से अधिक की सभी रेल परियोजनाओं में वर्षों का विलंब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हजारों करोड़ रुपए तक लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 100 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लागत वृद्धि को रोकने और परियोजनाओं को बिना किसी विलंब के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) समय और लागत अधिक लगने की गणना केवल उन्हीं मामलों में व्यवहारिक होती है जिनमें परियोजना शुरू करते समय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि अनुसूची के अनुसार परियोजना में सुचारू रूप से प्रगति हो सके। फिर भी, परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य कार्य की प्रगति और संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं।

(ग) विगत दो वर्षों में चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकारों की भागीदारी और रक्षा मंत्रालय की भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था शामिल है।

विद्युत की कमी के कारण विद्युत में कटौती

2437. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और अन्य राज्य विद्युत की भारी कमी से ग्रस्त हैं जबकि पूर्वोत्तर विद्युत निगम (नॉर्थ ईस्टन इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन) अपनी अतिरिक्त विद्युत को बेचने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) अप्रैल-जून 2003 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में ऊर्जा की कमी 1.5% से 6.7% के बीच सीमित थी और व्यवस्ततमकालीन कमी 0 से 24.2% थी। अप्रैल-जून, 2003 के दौरान असम में ऊर्जा कमी और व्यस्ततमकालीन कमियां क्रमश: 6.7% और 15.4% थी।

असम राज्य में विद्युत कमी के मुख्य कारण निम्न है :

(i) राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन स्टेशनों में कम विद्युत उत्पादन

(ii) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के महंगे विद्युत स्टेशनों अर्थात असम गैस आधारित विद्युत परियोजना (ए०जी०बी०पी०पी०), कथलगुडी और दोयांग एच०ई० पी० से राज्यों द्वारा वित्तीय समस्याओं के कारण आवंटित हिस्सेदारी प्राप्त करने में असमर्थता।

(iii) पारेषण एवं रूपांतरण की समस्याएं

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (एन०ई०आर०ई०बी०) ने निर्णय लिया है कि नीपको स्टेशनों की अधिशेष विद्युत को क्षेत्र के भीतर राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात क्षेत्र से बाहर बेचा जा सकता है और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित दर पर विद्युत को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। नीपको को सलाह प्रदान की गई है कि वे जल विद्युत स्टेशनों में पानी की गिरावट को रोकने तथा गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का उत्पादन कम होने को रोकने के लिए क्षेत्र से बाहर विद्युत निर्यात की संभावना का पता लगाये।

(ग) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :

(i) नीपको असम राज्य को कुछ निर्धारित न्यूनतम कुल खरीद स्तर से ऊपर कम दर पर ए०जी०बी०पी०पी०, कथलगुडी से विद्युत आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है।

(ii) असम को पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० स्टेशनों के अनावंटित विद्युत से 60 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई है।

(iii) 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 350 मे०वा० की कुल क्षमता वाली विद्युत उत्पादन यूनिटों को नवीकरण और आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य क्षेत्रों में नियोजित 433 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में 495 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है। जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी होगी।

माननीय प्रधानमंत्री ने एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विविध विकासात्मक परियोजनाएं शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के विकास की स्कीम इस पैकेज का अंग है। त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ऐ०पी०डी० आर०पी०) के अंतर्गत वर्ष 2000-01 और 2002-03 में क्रमश:

36.82 करोड़ रुपये और 679.59 करोड़ रुपये मूल्य की स्कीमें स्वीकृत की गई है। जिनके लिए 36.82 करोड़ रुपये और 125.8 करोड़ रुपये प्रदान किये जा चुके हैं। इन स्कीमों के पूरा होने के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में सुधार होने तथा टीएण्डडी हानियों में कमी होने की प्रत्याशा है।

मुराद रेल पुल पर दरारें

2438. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को यातायात के लिए खोले गये मुराद रेल पुल के दक्षिणी खंभे में दरारें पड़ गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) नए मुराद रेलवे पुल के पिलर या एबटमेंट में कोई दरार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं में निवेश

2439. श्री शिवाजी माने : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने परियोजनावार कितना निवेश किया है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार राज्य क्षेत्र में घाटघर (पी०एस०एस०) को निष्पादित कर रही है दसवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली परियोजना में निवेश, जोकि विगत दो वर्षों में हुआ हैं, निम्नानुसार है :–

2001-2002	336.20 करोड़ रुपये
2002-2003	224.25 करोड़ रुपये
कुल	560.45 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार का गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ चल रही सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना (1450 मेगावाट) एक संयुक्त उपक्रम में हिस्सा है। पिछले दो वर्षों में सभी हिस्सेदार राज्यों ने इस परियोजना पर 395.9 करोड़ रुपये तक की राशि का खर्च वहन किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०), कायमकुलम का विद्युत खरीद समझौता

2440. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय भार को कम करने के लिए एन०टी०पी०सी० कायमकुलम के विद्युत खरीद समझौते (पी०पी०ए०) के नवीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित कायमकुलम विद्युत परियोजना, चरण-I (350 मे०वा०) मूलत: केरल को समर्पित थी। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (के०एस०ई०बी०) के साथ हस्ताक्षरित पी०पी०ए० की शर्तों के अनुसार पी०पी०ए० कायमकुलम की अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए वैद्य है तथा साथ ही पारस्परिक सहमत शर्तों के आधार पर समझौते का विस्तार करने का प्रावधान इसमें किया गया है। केरल सरकार/के०एस०ई०बी० के अनुरोध पर के०एस०ई०बी० के वित्तीय भार को कम करने के लिए कायमकुलम सी०सी०पी०पी० को एक क्षेत्रीय विद्युत स्टेशन बनाया गया है और 50% क्षमता तमिलनाडु को आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

अहमदनगर-बीड-पारली बैजनाथ रेल लाइन

2441. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदनगर-बीड-पारली बैजनाथ के बीच 250 मीटर लंबी रेल लाइन पर किये जा रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त लाइन पर कुल कितने रेल पुलों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और कितने रेल पुलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण में किसी समस्या का सामना किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रेल लाइन का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) अहमद नगर से नारायणदोह तक 15 कि०मी० के लिए अंतिम स्थाननिर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। शेष खंड में क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 0.40 हैक्टेयर वन भूमि जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, को छोड़कर 15 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। 6.25 लाख घन मी० में से 3.87 लाख घन मी० मिट्टी संबंधी कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 336 पुलों और 8 आर०ओ०बी०/आर०यू०बी० का प्रस्ताव है। फिर भी, इस लाइन पर निर्मित किए जाने वाले रेलवे पुलों की वास्तविक संख्या का पता अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने पर लग पाएगा। अभी तक 6 छोटे और 1 बड़े पुल पूरे किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

तमिलनाडु में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता

2442. श्री पी० कुमारासामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्रोतवार क्षमता कितनी है;

(ख) अब तक श्रेणीवार/स्रोतवार कितनी क्षमता का दोहन किया गया है; और

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) तमिलनाडु में पवन से लगभग 3040 मेगावाट, लघु पनबिजली से 340 मेगावाट, बायोमास सहउत्पादन से 350 मेगावाट, शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से 150 मेगावाट की संभाव्यता का आकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 6 लाख बायोगैस संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु समेत देश में अपारंपरिक ऊर्जा की संभाव्यता का दोहन करने के लिए सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 31.3.2003 के अनुसार तमिलनाडु में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार, राज्यों में व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी और तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए आवधिक ऋण एवं अनुकूल अक्षय विद्युत नीतियों सहित विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर आपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, विकास और उपयोग और बढ़ावा दे रही है।

विवरण

दिनांक 31.3.2003 के अनुसार तमिलनाडु में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संचयी वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम	दिनांक 31.3.2003 के अनुसार तमिलनाडु में संचयी उपलब्धियां
1	2	3
1.	पवन विद्युत (मेगावाट)	990
2.	लघु पनबिजली (मेगावाट)	76.40
3.	बायोमास सहउत्पादन (मेगावाट)	106.00
4.	बायोमास गैसीफायर (मेगावाट)	2.65
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)	1.98
6.	सौर विद्युत (किलोवाट)	211
7.	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	203808
8.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्र (संख्या)	289
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय (संख्या)	
	i. सड़क रोशनी प्रणाली	2272
	ii. घरेलू रोशनी प्रणाली	471
	iii. सौर लालटेन	12818
	iv. विद्युत संयंत्र (किलोवाट पीक)	26

1	2	3
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप (संख्या)	760
11.	जल पंपन पवन चक्की (संख्या)	52
12.	लघु हाइब्रिड प्रणाली/एरोजनरेटर (किलोवाट)	24.5
13.	सौर कुकर (संख्या)	1355
14.	बैटरी चालित वाहन (संख्या)	18
15.	ऊर्जा पार्क (संख्या)	15
16.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (ब्लॉक की संख्या)	21

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन०एस०के०एफ०डी०सी०) द्वारा सहायता

2443. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन०एस०के०एफ०डी०सी०) द्वारा प्रदान की गयी ऋण सहायता के सदुपयोग को सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान एन०एस०के०एफ०डी०सी० द्वारा सफाई कर्मचारियों को राज्यवार कुल कितनी ऋण सहायता उपलब्ध करायी गयी; और

(घ) सरकार ने सफाई कर्मचारियों की इस ऋण सहायता से आय अर्जित कराने वाली सफाई परियोजनाओं को स्थापित कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या नये कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन०एस०के०एफ०डी०सी०) द्वारा दी गई ऋण सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एन०एस० के०एफ०डी०सी० द्वारा सफाई कर्मचारियों को दी गई राज्यवार ऋण सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सफाई कर्मचारियों के पात्र सदस्यों को कौशल, उद्यमीय विकास में प्रशिक्षण देने की एक योजना एन०एस०के०एफ०डी०सी० द्वारा अक्तूबर 2002 में शुरू की गई है, जहां कि राज्य माध्यम एजेंसियों को 1.0 लाख रु० प्रति परियोजना तक की सहायता 100% अनुदान के रूप में निर्मुक्त की जाती है। इस योजना में (1) संस्थागत संयोजन कार्यक्रम (आई०एल०पी०) (2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस०टी०पी०) और (3) उद्यमीय विकास कार्यक्रम (ई०डी०पी०) है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000-01 से 2002-03 और वर्तमान वर्ष अर्थात 2003-04 में 30.6.2003 तक के दौरान वर्षवार और राज्यवार संवितरित निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-04 (30.6.03 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	652.74	0.00	1610.58	0.00	2263.32
2.	असम	99.15	480.87	0.00	0.00	560.02
3.	चंडीगढ़	17.08	21.30	14.65	0.00	53.03
4.	छत्तीसगढ़	0.00	280.60	62.496	217.591	560.69

1	2	3	4	5	6	7
5.	गुजरात	327.60	452.63	0.00	0.00	780.23
6.	हिमाचल प्रदेश	35.08	37.07	113.526	28.04	213.72
7.	हरियाणा	0.00	117.80	0.00	0.00	117.80
8.	झारखण्ड	0.00	246.585	0.00	0.00	246.59
9.	कर्नाटक	199.00	250.87	261.79	0.00	711.66
10.	केरल	0.00	0.00	21.01	0.00	21.01
11.	मध्य प्रदेश	373.00	222.00	168.75	0.00	763.75
12.	महाराष्ट्र	148.69	126.31	35.05	52.77	362.82
13.	मणिपुर	75.67	0.00	0.00	0.00	75.67
14.	मेघालय	0.00	11.70	0.00	0.00	11.70
15.	मिजोरम	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50
16.	उड़ीसा	100.33	0.00	0.00	0.00	100.33
17.	पांडिचेरी	0.00	30.9825	28.27	0.00	59.25
18.	पंजाब	0.00	0.00	99.88	0.00	99.88
19.	राजस्थान	81.22	133.16	335.29	22.58	572.25
20.	तमिलनाडु	262.50	0.00	55.85	0.00	318.35
21.	त्रिपुरा	0.00	159.40	0.00	0.00	159.40
22.	उत्तर प्रदेश	224.43	176.85	1154.20	349.575	1905.06
23.	उत्तरांचल	0.00	76.69	43.56	31.00	151.25
24.	पश्चिम बंगाल	258.90	199.795	0.00	8.55	467.25
	कुल	2911.89	3004.61	4004.90	710.11	10631.50

[हिन्दी]

आई०ओ०सी०एल० द्वारा खरीदी गयी भूमि पर कर

2444. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 1.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2780 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आई०ओ०सी०एल० वर्ष 1999 से 2000 के बीच राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदी गयी भूमि पर वार्षिक कर का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। 1999-2000 की अवधि के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन (आई०ओ०सी०) ने मध्य प्रदेश राज्य में रायपुर जिले में सिलतारा में एक सरकारी एजेंसी से केवल एक भूखण्ड खरीदा है। तथापि अब यह स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। आई०ओ०सी० ने इस भूमि के लिए वार्षिक कर हेतु 30,534.00 रुपये का भुगतान किया है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूरदर्शन/ आकाशवाणी का विस्तार

2445. श्री विष्णु पद राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र पोर्ट-ब्लयेर को विभिन्न भाषाओं के उद्घोषकों सहित पर्याप्त कर्मचारी, अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा प्रसारण गृह के समान स्टुडियो प्रदान नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरदर्शन/आकाशवाणी योजनाओं के विस्तार और अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हेतु कुछ प्रस्ताव हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) दूरदर्शन केन्द्र पोर्टब्लेयर को मौजूदा मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है। पोर्टब्लेयर में सुविधाओं में एक लघु स्टूडियो केन्द्र, उपग्रह अपलिंक और दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डी०डी० 1 और डी०डी० 2) शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप में दूरदर्शन सेवा के विस्तार/ सुधार के लिए एक विशेष पैकेज को सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्वराजग्राम और कालीघाट में दो अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्ष 2002-2003 के दौरान चालू किए गए थे।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में पोर्टब्लेयर के लिए स्टूडियो सुविधा सहित 10 कि०वा० एफ०एम० रेडियो ट्रांसमीटर की स्थापना की स्कीम का प्रस्ताव कर दिया गया है जिसके लिए 570 लाख रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। दसवीं पचंवर्षीय योजना में सॉफ्टवेयर योजना स्कीम के अंतर्गत आकाशवाणी पोर्टब्लेयर को वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान 4 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। सॉफ्टवेयर योजना स्कीम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान उपमहानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र) को 1.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है जिसमें आकाशवाणी पोर्टब्लेयर के लिए प्रावधान भी शामिल है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेलवे स्कूल

2446. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने रेलवे स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी०पी०सी०एल० द्वारा उपभोक्ता दुकानों का उपयोग

2447. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने दुकानों में अपने सिलेन्डरों के स्टाक और भण्डारण के लिए उपभोक्ता दुकानों का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी०पी०सी०एल० अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों का उपयोग गैर-रसोई गैस उत्पादों की बिक्री करने हेतु भी सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो बी०पी०सी०एल० और उपभोक्ता कंपनियों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) एल०पी०जी० (घरेलू) सिलेंडरों का विपणन अपने अधिकृत वितरकों के माध्यम से कर रही है, न कि किसी उपभोक्ता दुकान के माध्यम से।

(ग) और (घ) बी०पी०सी०एल० की अपने एल०पी०जी० उपभोक्ताओं को उपयोगिता बर्द्धित/सहज सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने विद्यमान एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क द्वारा गैर-एल०पी०जी० रसोई मदों जैसे प्रेसर कुकर, पैन, इत्यादि की बिक्री आरम्भ करने की योजना है। आज की स्थिति में निर्माताओं तथा बी०पी०सी०एल० के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य

2448. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जिलावार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2003-04 में उत्तर प्रदेश के लिए 74270 मि० यूनिट का उत्पादन लक्ष्य रखा है, जिसमें थमल के लिए 69510 मि०यू०, हाइड्रो के लिए 1720 मि०यूनिट तथा न्यूक्लियर के लिए 3040 मि०यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2003-04 के लिए संय वार उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार है :

केन्द्र	उत्पादन लक्ष्य (मि०यूनिट)
1	2
ताप (राज्य क्षेत्र)	
ओबरा	6440
पनकी	950
ह, गंज (ब व स)	810
पारीछा	970
अनपरा	11890
कुल ताप (राज्य क्षेत्र)	21060
हाइड्रो	
रिहन्द	900
ओबरा हाइड्रो	280
माताटीला	130
गंगा कैनाल	25
खेरा	385
कुल जल (राज्य क्षेत्र)	1720
ताप (केन्द्रीय क्षेत्र)	
सिंगराउली	15400
रिहन्द	7600
दादरी (ताप)	6400
ऊँचाहार	6400
टांडा	2350
औरैया जीटी	4600
दादरी जीटी	5700
कुल ताप (केन्द्रीय क्षेत्र) एनटीपीसी	48450
न्यूक्लियर	
नरोरा एपीएस	3040
कुल	74270

(ग) और (घ) अपेक्षा है कि उत्पादन केन्द्र कुशल प्रचालन के माध्यम से अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और इस प्रयोजनार्थ होने वाले अपेक्षित व्यय को विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा कर लेंगे।

योजना आयोग ने वर्ष 2003-04 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत सेक्टर के लिए 965.83 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है। उत्पादन निवेश के लिए योजना परिव्यय, जिला-वार की अपेक्षा परियोजना-वार किया जाता है।

बिना केबल के डी०डी० मैट्रो का प्रसारण

2449. श्री पी०आर० खूंटे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डी०डी० मैट्रो चैनल को देखा नहीं जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या हैं; और

(ग) देश के सभी भागों में बिना केबल कनैक्शन डी०डी० मैट्रो चैनल देखना कब तक संभव होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) डी०डी० मैट्रो चैनल को उपग्रह प्रणाली में देश के सभी भागों में देखा जा सकता है और यह स्थलीय प्रणाली में देश की 43.2 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। सतत् परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर, 49.3 प्रतिशत जनसंख्या को डी०डी० मैट्रो चैनल स्थलीय रूप से देखने को मिलेगा।

देश के सभी भागों में स्थलीय रूप से डी०डी० मैट्रो चैनल के प्रसार के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

मीडिया और प्रचार पर व्यय

2450. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में मीडिया और प्रचार पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2001-2002 में उक्त प्रयोजनार्थ किया गया व्यय बजटीय प्रावधान से अधिक था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु धनराशि का अन्यन से उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वचालित प्लेटफार्म टिकट बिक्री मशीन

2451. श्री अनंत नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में किन-किन स्टेशनों में स्वचालित प्लेटफार्म टिकट बिक्री मशीन लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार का देश के सभी प्रमुख स्टेशनों में स्वचालित प्लेटफार्म निकट बिक्री मशीन लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मशीनों को सभी रेलवे स्टेशनों में कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) हाल ही में, तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे के चेन्नई सैन्ट्रल और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्लेटफार्म टिकट बिक्री मशीनें लगाई गई हैं।

(ख) से (घ) प्लेटफार्म टिकट बिक्री मशीनों की व्यवस्था करना टिकट प्रणाली में सुधार हेतु चल रही प्रक्रिया का एक भाग है और इसे पूरा करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कर्नाटक में ऊर्जा पार्क परियोजना

2452. श्री कोलूर बसवनागौड़ : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में ऊर्जा पार्क परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कर्नाटक में विभिन्न संस्थाओं के लिए कितनी ऊर्जा पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) बेल्लारी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत की गई ऊर्जा पार्क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक में विशेषकर बेल्लारी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक ऊर्जा पार्क परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक में विभिन्न संस्थाओं के लिए अब तक कुल ग्यारह जिला स्तर की ऊर्जा पार्क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसा कि संलग्न विवरण में सूची दी गई है। इसके अलावा बंगलौर में स्थापना के लिए एक राज्य स्तर का अक्षय ऊर्जा जागरूकता/शिक्षा पार्क भी स्वीकृत किया गया है।

(ग) बेल्लारी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में अब तक कोई जिला स्तर की ऊर्जा पार्क परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) राज्य नोडल एजेंसी – कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास लि० (के०आर०ई०डी०एल०) से हाल ही में दो जिला स्तर के ऊर्जा पार्क परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, बेल्लारी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में ऊर्जा पार्क परियोजना की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसी से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

कर्नाटक में संस्थाओं की सूची, जहां जिला स्तर के ऊर्जा पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई है

क्र० सं०	संस्था का नाम
1.	बी०वी०बी० कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, विद्यानगर, हुब्बली, जिला धारवाड़।
2.	श्री जयचाम राजेन्द्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मनसा गंगोत्री, पी०ओ० मैसूर, जिला मैसूर।
3.	जवाहर लाल नेहरू नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाविले, शिमोगा, जिला शिमोगा।
4.	कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरतकल, श्रीनिवास नगर, दक्षिण कन्नड़।
5.	बापुजी इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, दावणगिरि, जिला दावणगिरि।
6.	पिलिकुला निसारगधमा, मंगलौर तालुक, जिला दक्षिण कन्नड।
7.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, एजूकेशन कॉम्पलैक्स, हेगड़ेदेवन कोर्ट तालुक, जिला मैसूर।
8.	के०एल०ई० सोसाइटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, उद्यमबाग, जिला बेलगाम।
9.	चिन्मय संदीपनी (के०सी०एस०टी०), चोकनहल्ली मेडीहाल, पी०ओ० कोलार, जिला कोलार।
10.	एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च मेलकोट, जिला मांडया।
11.	मंगलौर युनिवर्सिटी, मंगलौर।

अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन

2453. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में सेना के अधिकारियों के संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्तावों की जांच हेतु समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) समिति ने सेना मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट संगठनात्मक असंतुलनों के केन्द्र में दो अंतर-संबद्ध मुद्दों अर्थात् अधिक आयु प्रोफाइल और संवर्ग अवरोध का पता लगाया है। आयु प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से और पदोन्नति संबंधी संभावनाओं में सुधार लाने के लिए समिति ने कतिपय अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है। अल्पकालिक उपायों में अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रिक्तियां और बाद में आमेलन, सेना से बाहर का कार्यकाल, स्वैच्छिक वियोजन योजना के माध्यम से हटाना और अतिरिक्त नियुक्तियों का सृजन करना शामिल है।

सेना में आयु प्रोफाइल को कम करने के लिए लीन नियमित संवर्ग और वर्धित सहायता संवर्ग का आदर्श दीर्घकालिक समाधान के रूप में पता लगाया गया है। नियमित और सहायता संवर्गों के बीच आवश्यक अनुपात और सहायता संवर्ग को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उपायों को क्रमिक रूप से कार्यान्वित किए जाने की सिफारिश की गई है।

चूंकि इन सिफारिशों में सेवा संबंधी मुद्दों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है इसलिए कार्यान्वयन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दर्शायी जा सकती क्योंकि इसमें विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श किया जाना है।

सेना को संवेदनशील उपकरणों की आपूर्ति

2454. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा अन्य उग्रवाद प्रभावित राज्यों में तैनात सभी सेना की इकाइयों को सभी संवेदनशील उपकरणों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पूर्वी और उत्तरी कमान से अतिरिक्त उपकरणों हेतु प्राप्त कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पांच वर्षों, चार वर्षों और तीन वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के इतने अधिक समय से लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सेना को उपयुक्त हथियार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में उग्रवाद से लड़ने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के उपस्कर अधिप्राप्त किए गए हैं और उन्हें तैनात किया गया है। यूनिटों को उपस्कारों से सुसज्जित करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें नई आवश्यकताओं का पता लगाना भी शामिल है। उपस्कारों की सूची में थर्मल इमेजिंग रात्रिदर्शी उपकरण, निगरानी उपस्कर, इलेक्ट्रानिक युद्धक उपस्कर, इन्ट्यूजन डिटैक्शन सिस्टम बारुदी सुरंग से संरक्षित वाहन, देशी विस्फोटक युक्तियों और आधुनिक इन्फैंट्री हथियारों का प्रतिकार करने के लिए उपस्कर शामिल हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) से (च) उग्रवाद-रोधी कार्रवाइयों के संबंध में उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए सेना मुख्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय में प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। इस मंत्रालय में ऐसा कोई भी मामला पिछले तीन वर्षों से अधिक लंबित नहीं है।

घटिया गोलाबारूद की आपूर्ति

2455. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री रामजीवन सिंह :
डा० अशोक पटेल :
श्री चन्द्र विजय सिंह :
श्री रामजी मांझी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री भेरूलाल मीणा :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
डा० चरणदास महंत :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्रीमती रमा पायलट :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध निर्माणियों द्वारा सैन्य बलों को हजारों करोड़ रुपए के घटिया गोला बारूद की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक ने वर्ष 2003 की अपनी रिपोर्ट संख्या 6 में भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश की बर्बादी के ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाया है;

(ग) क्या सरकार ने आयुद्ध इकाइयों के अनुसंधान और विकास स्कंध द्वारा घटिया गोलाबारूद के उत्पादन को गंभीरता से लिया है;

(घ) यदि हां, तो आयुद्ध निर्माणियों द्वारा उत्पादित तथा सेना को आपूर्ति किए गए घटिया गोलाबारूद/खराब गोलों और सरकार द्वारा इस पर किए गए व्यय का निर्माणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घटिया गोलाबारूद/खराब गोलों के कारण कोई दुर्घटना हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने त्रुटिपूर्ण गोलाबारूद/गोलों की खरीद पर किए गए व्यय के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(झ) सरकार ने आयुद्ध निर्माणियों द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता को अद्यतन और सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 2003 की रिपोर्ट संख्या 6 में गोलाबारूद की कुछ किस्मों का उल्लेख है जिन्हें सेना द्वारा अलग कर दिया गया है।

(ग) निर्दिष्ट निरीक्षण एजेंसी द्वारा गोलाबारूद के विधिवत् रूप से स्वीकार करने के पश्चात् ही सेना को इनकी आपूर्ति की जाती है। व्यापक प्रयोक्ता परीक्षणों तथा मुहरबंद ब्यौरा धारण प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही अनुसंधान एवं विकास के जरिए सुधार किए जाते हैं।

(घ) सेना को किसी भी घटिया गोलाबारूद की आपूर्ति नहीं की जाती है। तथापि, अलग कर दिए गए गोलाबारूद के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(i) आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा हाईब्रिड डिजाइन के अनुसार 352 करोड़ रुपए की लागत से उत्पादित 125 मि०मी० फिन स्टैब्लाइज्ड आर्मर पाइरिसिंग डिस्कार्डिंग सैबोट, जिसका उत्पादन अब बंद किया गया है।

(ii) आयुध निर्माणी चांदा/आयुध निर्माणी बोलंगीर में त्रिआधारीय प्रणोदक के साथ 296.53 करोड़ रुपए की लागत से विनिर्मित 125 मि०मी० के उच्च विस्फोटक/उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोलाबारूद, जिसका उत्पादन अब बंद कर दिया गया है।

(iii) गोलाबारूद निर्माणी खड़की/आयुध निर्माणी चांदा द्वारा 3.92 करोड़ रुपए की लागत से उत्पादित डेटोनेटर (धातु)।

(ङ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित दुर्घटना की जांच की गई थी तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि उक्त दुर्घटना गोलाबारूद की वजह से नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) उत्पाद के अंतिम निरीक्षण तथा प्रूफ परीक्षण के अलावा कच्चे माल, संघटकों एवं उप असेंबलियों, जिनसे उत्पादन किया जाना है, की भी जांच की जाती है। गुणता आश्वासन एजेंसियों द्वारा उत्पादन के बीच के चरणों में भी निरीक्षण किए जाते हैं।

नेपाली कुलियों की गतिविधियां

2456. **डा० चरणदास महंत :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री भास्कर राव पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उन 400 से अधिक नेपाली कुलियों की जानकारी है जो कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ कार्य कर रहे थे और अब आई०एस०आई० एजेन्टों के साथ मिल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा नेपाली कुलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कारगिल युद्ध के दौरान सेना द्वारा काम पर लगाए गए नेपाली कुलियों के आई०एस०आई० एजेंटों के साथ मिल जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्पेस टी०वी० हेतु डी०टी०एच० के दिशानिर्देश

2457. **श्री वी० वैत्रिसेलवन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पेस टी०वी० को अपनी डी०टी०एच० प्रसारण योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त और गृह मंत्रालय ने कंपनी के इक्विटी स्तर पर चिंता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो इन मंत्रालयों द्वारा व्यक्त की गई चिंता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इन चिंताओं की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.01.2003 के पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि स्टार टी०वी० के दो कर्मचारियों द्वारा स्पेस टी०वी० को अंशदान के रूप में दी गयी मौजूदा इक्विटी को घरेलू शेयरधारिता के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस इक्विटी अंशदान हेतु निधिकरण स्टार टी०वी० द्वारा जमा की गयी 10 करोड़ रुपये की प्रतिभूति के विरुद्ध भारत में बैंक से वित्तीय सहायता के जरिए उगाहा गया है। तथापि, उन्होंने यह भी कहा हे कि डायरेक्ट-टू-होम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विदेशी इक्विटी धारिता की सीमा पर पात्रता मानदण्डों को लागू करने हेतु आश्य-पत्र के चरणों या लाइसेंस जारी करने अथवा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद के परिचालनों के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया है। उन्होंने राय व्यक्त की है कि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर है कि वह अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का निर्वचन करें।

गृह मंत्रालय का कथन है कि फर्म अथवा उसके निदेशों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है और इसलिए गृह मंत्रालय को सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ती नहीं है। गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि मैसर्स स्पेस टी०वी० प्रा०लि० को 9 जनवरी, 2000 को विनिगमित किया गया था। सर्वश्री जी० जगदीश कुमार और अजय के० शर्मा संवर्धक है और जी० सुब्रामण्यम फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस समय ये तीनों

अलग-अलग पदों में स्टार इंडिया प्रा०लि० में कार्यरत है। मैसर्स स्पेस टी०वी० के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के पते स्टार इंडिया प्रा० लि० के ही हैं।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मैसर्स स्पेस टी०वी० से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने संबंधी एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर 10 करोड़ रुपये का गैर प्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क अदा करने को कहा गया है ताकि यह मंत्रालय आशय-पत्र जारी कर सके :–

(क) आवेदक कम्पनी एक भारतीय उपग्रह या अन्तरिक्ष विभाग द्वारा स्वीकृत और संस्तुत किसी अन्य उपग्रह का इसकी डी०टी०एच० परियोजना सहित उपयोग करेगी।

(ख) आवेदक कम्पनी को आन्तरिक प्रचालन के प्रावधानों सहित सेट टॉप बाक्स की संरचना पर सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(ग) लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब आवेदक कम्पनी मार्च, 2001 में निर्धारित डी०टी०एच० दिशा-निर्देशों, और ऐसी स्वीकृति के लिए आवश्यक अन्य निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार विदेशी इक्विटी धारिता के संबंध में पात्रता मानदण्डों का पूरी तरह पालन करेगी।

(घ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर स्थित जबलपुर खण्डपीठ में भारत संघ एवं अन्य के विरूद्ध श्री रघुनाथ प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2003 का 1009 के अंतिम आदेशों के परिणाम की शर्त के अधीन लाइसेंस जारी किया जाएगा। (रिट याचिका को माननीय न्यायालय के दिनांक 26.6.2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि इक्विटी धारिता का ध्यान रखते हुए पात्रता मानदण्डों सहित निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात ही मैसर्स स्पेस टी०वी० को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

तारपीडो परीक्षण सुविधाओं की स्थापना में विलंब

2458. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष हेतु 1991 की रिपोर्ट संख्या 9 के पैराग्राफ 41 (रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौसेना) में फरवरी, 1982 में अनुमोदित, परिरक्षित जल में तारपीडो के परीक्षण हेतु झील परीक्षण सुविधा स्थापित करने में हुए विलंब के मामले पर प्रकाश डाला है जिसे 7.96 करोड़ रुपए के निवेश के बावजूद भी 12 वर्षों से भी अधिक समय के बीत जाने के बाद स्थापित किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तारपीडो परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सुरक्षित जल-क्षेत्र में तारपीडो के परीक्षण के लिए झील परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने में लगभग छह वर्ष का विलंब हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी छह वर्ष का विलंब बताया गया है।

(ख) इस विलंब का मुख्य कारण तारपीडो लांच तथा रिकवरी पोत की आपूर्ति किए जाने में संविदाकार की विफलता थी, अंततः जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया था।

(ग) और (घ) परियोजना मानीटरी समिति ने परियोजना की पुनरीक्षा, मानीटरी तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर बैठकें की हैं तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए हैं।

विशेष रेलगाड़ियों को शुरू किया जाना

2459. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने आगामी गोदावरी "पुष्कर्मा" हेतु कुछ विशेष रेलगाड़ियों को चलाने और राजामुंद्री से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ये रेलगाड़ियां किन-किन दिवसों पर चलेंगी; और

(ग) "पुष्कर्मा" में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों को सरकार क्या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 30.7.2003 से 10.8.2003 तक 12 दिनों के लिए कुल 25 विशेष गाड़ियां राजामुंद्री के लिए तथा 8 विशेष गाड़ियां बसर के लिए चलाई जा रही हैं।

(ग) स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, प्रतीक्षाशेड, पीने के पानी की टोटियां, शौचालय, बी०एस०एन०एल० टेलीफोन की सुविधायुक्त पूछताछ काउंटर, खान-पान स्टाल, प्रथमोपचार

केन्द्र, एम्बुलैंस, लैड डिस्प्ले बोर्डों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, दिन-प्रतिदिन की प्रतीक्षा सूची की स्थिति के आधार पर कार्यभार को देखते हुए मौजूदा सेवाओं के संवर्धन की योजना भी बनाई गई है।

मारूति उद्योग लिमिटेड का वैश्विक बाजार

2460. **डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में मारूति उद्योग लिमिटेड अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में तीव्र वृद्धि के पश्चात् घरेलू और वैश्विक क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने की योजना शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जापान की सुजुकी को सहायता से अपने वैश्विक बाजार का विस्तार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मारूति उद्योग लिमिटेड (एम०यू०एल०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने (एम०यू०एल०) निर्यात के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। चालू वर्ष तथा पिछले दो वर्षों के दौरान का निर्यात इस प्रकार रहा है :–

वर्ष	निर्यात (वाहनों की संख्या)
2003-2004 (जुलाई तक)	17746
2002-2003	32240
2001-2002	12233

छंटनी किए गए कर्मचारियों का पुनर्वास

2461. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से वर्षवार कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ख) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन छंटनी किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में छंटनी किए गए कर्मचारियों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

1999	–	1252 (अनंतिम)
2000	–	217 (अनंतिम)
2001	–	1481 (अनंतिम)
2002	–	720 (अनंतिम)

छंटनी किए गए कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति पैकेज का भुगतान किया जा रहा है।

गैस का मूल्य

2462. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए०पी०एम०) को समाप्त करने के पश्चात गैस के मूल्य के संबंध में गुजरात सरकार द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार मांग पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) गुजरात सरकार ने फरवरी, 2002 में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था एक कठिन अवधि से गुजर रही है। इस अभ्यावेदन का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

विद्युत, औद्योगिक उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत लागत में किसी भी वृद्धि से उद्योग के पंगु होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में भी गुजरात पर प्राकृतिक आपदाओं – चक्रवातों, दो क्रमिक सूखों और एक भूकंप की भी मार पड़ी

है। इसके अतिरिक्त निम्न हाईडल क्षमता और कोयला क्षेत्रों से दूरी के कारण गुजरात प्रतिकूल स्थिति में हैं। इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था, गैस मूल्य में वृद्धि के कारण अतिरिक्त लागत में वृद्धि को वहन करने की स्थिति में नहीं होगी।

इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भारत सरकार से गैस मूल्य में वृद्धि के संबंध में सावधानीपूर्वक कदम उठाने का अनुरोध किया क्योंकि इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस महत्वपूर्ण मोड़ पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) से (घ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के०सी० पंत की अध्यक्षता के तहत मंत्रियों के एक समूह ने गैस मूल्यनिर्धारण के प्रश्न पर विचार किया है। सरकार मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखेगी और पूरी तरह विचार करने के बाद इस मामले में निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

2463. **श्री आदिशंकर :**
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में नई रेल पटरियों को बिछाने, रेल मार्गों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आमान परिवर्तन हेतु हरियाणा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार द्वारा परियोजनावार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में पूरी की गई रेल परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) हरियाणा में नई एवं चालू रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना हेतु संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि कितनी है; और

(च) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में नई रेल लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आमान परिवर्तन के संबंध में हरियाणा सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	कि०मी०	अनुमानित लागत	कार्रवाई
नई लाइन				
1.	रोहतक-हिसार	68	158	सर्वेक्षण किया गया है लेकिन चल रहे निर्माण कार्यों के भारी ग्रो फारवर्ड, संसाधनों की तंगी और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति के कारण परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।
2.	कैथल-करनाल-यमुनानगर	133	296	-वही-
3.	पानीपत-मेरठ	104	275	-वही-
4.	चंडीगढ़-देहरादून	217	604	-वही-
5.	झज्जर के रास्ते रोहतक-रेवाड़ी	81	110	-वही-
6.	जींद-हिसार	60	180	इस लाइन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
7.	बहादुरगढ़-कनीना	90	270	-वही-
8.	सोनीपत-भिवानी	120	360	-वही-
9.	जाखल से भट्टूकलां	80	240	-वही-
10.	जींद-सोनीपत	88	190	योजना आयोग के "सिद्धांत: अनुमोदन" के लिए प्रस्ताव भेजा गया है जो अभी प्रतीक्षित है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कोई परियोजना पूरी नहीं की गई है।

(घ) से (च) राज्य में आंशिक रूप से/पूरी तरह से पड़ने वाली चालू रेल परियोजनाओं, मौजूदा स्थिति, 31.3.2003 तक किए जाने वाले संभावित खर्च, 2003-04 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	31.3.2003 तक किया अनुमानित नया खर्च	मार्च, 2003 तक प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1.	कालका और परवानू के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	36.99	0.28	0.01	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार से फरवरी, 2003 में टर्मिनस का स्थान ग्राम कामली से टिपरा करने के लिए अनुरोध किया गया है। संशोधित संरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	सादुलपुर-हिसार के मेटेरियल आशोधन सहित रेवाड़ी-सादुलपुर का आमान परिवर्तन	282.76	0.1	7.32	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
3.	रोहतक-जाखल के बीच दोहरीकरण	47.79	—	1.00	2003-04 के बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
4.	अंबाला-मुरादाबाद के बीच विद्युती-करण	157.76	127.52	30.00	अंबाला से सहारनपुर खंड पूरा हो गया है। सहारनपुर-मुरादाबाद का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
5.	दिल्ली सराय रोहिल्ला-गुड़गांव के बीच रेल विद्युतीकरण	12.00	—	5.70	अपेक्षित स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है।

राज्य में आंशिक रूप से/पूरी तरह से किए जा रहे चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्रम सं०	सर्वेक्षण का नाम	कि०मी०
1.	तुगलकाबाद-पलवल तीसरी लाइन	39
2.	दिल्ली-अहमदाबाद दोहरीकरण	934
3.	रेवाड़ी-भिवाड़ी	27

[अनुवाद]

भर्ती रैली

2464. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कर्नाटक में कितनी भर्ती रैलियों का आयोजन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान रक्षा प्राधिकारियों ने कर्नाटक में निर्धारित कोटे के अनुपात में कम युवकों की भर्ती की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक राज्य में निर्धारित कोटे को भरने के लिए और भर्ती रैलियों का आयोजन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में आयोजित की गई भर्ती रैलियों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	रैलियों की संख्या
2000-01	19
2001-02	19
2002-03	20
2003-04	05 (अब तक)

(ख) वर्ष 2000-01 में 2755 युवाओं को और वर्ष 2001-02 में 3994 युवाओं को क्रमशः 4056 तथा 3235 रिक्तियों के प्रति सेना में भर्ती किया गया।

(ग) सेना में रिक्तियां वार्षिक 'वेस्टेज रेट' और 'न्यू रेज़िंग' यदि कोई हो तो, पर आधारित हैं और इस प्रकार वर्षानुवर्ष भिन्न होती है।

(घ) पूरे कर्नाटक में नियमित भर्ती रैलियां आयोजित की जा रही हैं। नीति के अनुसार, राज्य के प्रत्येक जिले को वर्ष में दो बार शामिल किया जाता है। भर्ती रैलियों के लिए उपलब्ध सभी स्थानीय प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी का कार्य न करना

2465. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्णतया/समुचित रूप से कार्य न कर पा रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों को पूर्णता कार्यशील बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ग) ये सभी केन्द्र कब तक पूर्णरूपेण कार्य करने शुरू कर देंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) मॉडला (मध्य प्रदेश), राजगढ़ (मध्य प्रदेश) और सरायपल्ली (छत्तीसगढ़) स्थित आकाशवाणी केन्द्रों ने, तकनीकी रूप से तैयार होने के बावजूद, अपेक्षित पदों का सृजन न होने के कारण कार्य करना शुरू नहीं किया है।

(ख) पदों के सृजन से संबंधित मामले की, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) इन स्टेशनों को स्टॉफ की संस्वीकृति के पश्चात चालू कर दिया जाएगा।

रसोई गैस के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

2466. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इंदौरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औसत मासिक मूल्य क्या दर्ज किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) वर्ष, 2002-03 के दौरान एल०पी०जी० का औसत मासिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 197 अमरीकी डालर/मीट्रिक टन (एम०टी०) और 370 अमरीकी डालर/एम०टी० के बीच था। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में संचलन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

माह	मूल्य (अ० डा०/एम०टी०)
अप्रैल, 2002	197
मई, 2002	218
जून, 2002	219
जुलाई, 2002	219
अगस्त, 2002	229
सितम्बर, 2002	257
अक्तूबर, 2002	295
नवम्बर, 2002	327
दिसम्बर, 2002	327
जनवरी, 2003	338
फरवरी, 2003	369
मार्च, 2003	370

[अनुवाद]

दिल्ली में रेल ऊपरिपुल/रेल अधोगामी पुल परियोजनाएं

2467. **श्री साईदुज्जमा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निर्माणाधीन रेल ऊपरिपुलों/अधोगामी पुलों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) समपारों पर ऊपरिपुलों/उधोगामी पुलों के निर्माण हेतु दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त पुलों के निर्माण हेतु कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ङ) रेल ऊपरिपुलों/रेल अधोगामी पुलों को उनके निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(घ) लागत में भागीदारी के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात्

2001-02	0.50 करोड़ रुपये
2002-03	3.00 करोड़ रुपये
2003-04	1.00 करोड़ रुपये

आबंटित किए गए थे। निक्षेप कार्य के लिए निधियां प्रयोजक प्राधिकरण द्वारा मुहैया कराई जाती हैं।

विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	टिप्पणी
				(करोड़ रुपए में)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंखा रोड-दिल्ली रेवाड़ी खंड पर किमी० 14/14-15 पर समपार सं० 13-बी० के बदले ऊपरि सड़क पुल	उ०रे०	2000-01	459	23.91	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित। विस्तृत अनुमान 20.6.01 को स्वीकृत। ठेका जनवरी, 02 में दिया गया। पाये की शाफ्ट की ढलाई पूरी हो गई। पाये कैप का कार्य प्रगति पर। पहुंच मार्गों के लिए ठेके भी मई, 02 में डी०डी०ए० द्वारा दे दिए गए।
2.	रिंग रोड को चांदनी चौक, दिल्ली को जोड़ते हुए दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर किमी० 0/8-9 पर कोलकाता पुल सं० 254	उ०रे०	1999-00	निक्षेप	7.82	विस्तृत अनुमान स्वीकृत। प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित। दिल्ली नगर निगम ने 782 लाख रुपए जमा करा दिए गए। बाक्स सं० 1 की पुशिंग पूरी हो गई। बाक्स नं० 4 के पहले खंड की ढलाई पूरी हो गई। सैगमेंट की नीचली स्लैब ढाल दी गई।
3.	विकास मार्ग (दिल्ली) को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 को जोड़ते हुए टी०के०जे०-एस०बी०बी० खंड पर यमुना नदी के निकट मार्जिनल बांध पर ऊपरि सड़क पुल	उ०रे०	1998-99	निक्षेप	11.78	पी०डब्ल्यू०डी० ने मार्च, 2002 में 11.78 करोड़ रुपए की पूरी राशि जमा करा दी। विस्तृत अनुमान स्वीकृत। ठेका 19.9.02 को दे दिया गया। 68/73 पाए और 6/12 पाए केप ढाल दिए गए हैं। सभी सेवाएं शिफ्ट कर दी गई है।
4.	एस०पी० मार्ग-रिंग रेलवे पर किमी० 10/10-12 पर एस०पी० मार्ग और बरार स्क्वायर रेलवे स्टेशन के बीच 2 ऊपरि सड़क पुल	उ०रे०	1998-99	निक्षेप	5.85	प्राधिकरणों ने 5.84 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। ए1, पी और ए2 (3/3) की उपसंरचना पूरी हो गई। पी०एस०सी० स्पैन की स्टेज उत्थापित कर दी गई है। शटरिंग कार्य प्रगति पर है।
5.	दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर पालम रेलवे स्टेशन के निकट किमी०	उ०रे०	2001-02	निक्षेप	8.94	डी०डी०ए० ने 4.3.02 को 6.84 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित। ठेका

1	2	3	4	5	6	7
	18.02 पर समपार सं० 18-सी के बदले ऊपरि सड़क पुल का निर्माण					20.9.2000 को दिया गया। पुल सं० 26 डाइवर्ट कर दिया गया। आम पायों के लिए लदान ब्यौरे डी०डी०ए० द्वारा 15.2.03 को प्रस्तुत कर दिए गए। जी०ए० अनुमोदित। 80 में से 42 पाये ढाल दिए गए हैं।
6.	दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर बिजवासन में किमी० 23-182 पर समपार सं० 19-सी० के बदले निचले सड़क पुल का निर्माण	उ०रे०	2001-02	निक्षेप	11	डी०डी०ए० ने जुलाई, 02 में 11 करोड़ रुपए की पूरी राशि जमा करा दी है। ठेका 17.10.02 को दे दिया गया। थ्रस्ट बैड कास्ट। 2/4 बक्सों की पुशिंग पूरी हो गई। बाक्स 3 के दोनों सैगमेंट और बाक्स 4 का एक सैगमेंट ढाल दिया गया।
7.	दयावस्ती-न्यू आजादपुर खंड दिल्ली (सिटी रोड) पर समपार सं० 12 के बदले लारेंस रोड पर निचला सड़क पुल	उ०रे०	2001-02	निक्षेप	4.59	प्रौफाइल स्कैच एम०सी०डी० द्वारा दिसम्बर, 01 में स्वीकृत और अनुमोदित। विस्तृत अनुमान स्वीकृत एम०सी०डी० ने 3/2001 में 5.86 करोड़ रुपए की आंशिक राशि जमा करा दी और शेष राशि दिसम्बर, 2002 में जमा करा दी। मिट्टी जांच कार्य पूरा हो गया। एम०सी०डी० को सेवाएं शिफ्ट करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।
8.	जी०टी० रोड को जोड़ते हुए डी०ए०एम०-शामली खंड पर किमी० 3/9-10 पर रेल समपार सं० 63 पर ऊपरि सड़क पुल	उ०रे०	1999-00	निक्षेप	5.13	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित। पी०डब्ल्यू०डी० ने 1.88 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। कार्य करने के लिए 5.68 करोड़ रुपए के विस्तृत अनुमान 26.2.2002 को पी०डब्ल्यू०डी० को स्वीकृति और शेष राशि जमा कराने के लिए भेज दिया गया। शेष राशि जनवरी, 03 में जमा कराई गई। 10.5.03 को ठेका दे दिया गया। टेस्ट फाइल कास्ट।
9.	लारेंस रोड, प्रेमबाड़ी, दिल्ली के निकट रेलवे लाइन पर सड़क सं० 37 पर ऊपरि सड़क पुल चौड़ा करना	उ०रे०	2001-02	निक्षेप	4.59	प्रोफाइल स्कैच अनुमोदित, फरवरी, 03 में पार्टी द्वारा डी०ई० स्वीकार्य कर ली गई और स्वीकृत कर दी गई। पार्टी ने अभी धन जमा नहीं कराया है। राज्य पी०डब्ल्यू०डी० को भी डी०एम०आर०सी० पुलिया के दृष्टिगत सरेखण की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) *दिल्ली क्षेत्र में ऊपरि/निचले सड़क पुल के तीन प्रस्ताव, एक लागत में भागीदारी के आधार पर और दो निक्षेप शर्तों पर प्राप्त हुए थे, जो इस प्रकार हैं :–*

(i)	दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर विवेक विहार में किमी० 8/14-16 पर समपार सं० 156-बी के बदले निचले सड़क पुल का निर्माण	लागत में भागीदारी के आधार पर 1999-2000 में दिल्ली नगर निगम, दिल्ली द्वारा प्रायोजित	दिल्ली नगर निगम ने प्रोफाइल स्कैच और सार अनुमान स्वीकार कर लिए थे लेकिन अभी तक पहुंच मार्गों के लिए अनुमान प्रस्तुत नहीं किए हैं और कई अनुस्मारकों के बावजूद मौजूदा नियमों के तहत अन्य अपेक्षित पूर्वापेक्षाएं भी पूरी नहीं की है। 7 फरवरी, 2002 को प्रमुख सचिव/यू०डी०/दिल्ली के साथ

		आयोजित पिछली बैठक के दौरान सी०ई०/एम०सी०डी० ने डी०डी०ए० की तकनीकी समिति द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित संशोधित योजना प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था लेकिन वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
(ii) शाहदरा-गाजियाबाद खंड पर विश्वास नगर में सड़क सं० 58 पर किमी० 7/8-10 पर निचले सड़क पुल का निर्माण	निक्षेप शर्तों पर 2000-01 में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली द्वारा प्रायोजित	एस०ई०/पी०डब्ल्यू०डी०, निजामुद्दीन पुल (पूर्व) ने अगस्त 2000 में प्रस्ताव प्रायोजित किया था लेकिन ब्यौरे जैसे सेन्ट्रल वर्ज की चौड़ाई, सर्विस रोड, साइकिल ट्रैक और फुटपाथ आदि के अभाव में प्रस्ताव अटक गया जो राज्य सरकार से अभी प्रतीक्षित है।
(iii) तिलक पुल और थर्मल पावर संयंत्र टर्मिनेशन के बीच रिंग रोड समपार पर आई०पी० एस्टेट में ऊपरि सड़क पुल	निक्षेप शर्तों पर राज्य सरकार, निदेशक (पी एंड आई)/लोक निर्माण विभाग, द्वारा प्रायोजित	निदेशक/पी एंड आई ने आई०पी० थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति के लिए रेलपथ या तो मौजूदा रेलवे लाइन के ऊपर या दिल्ली-गाजियाबाद रेलवे लाइन ने ऊपर उठाने की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए रेलवे को कहा था जो व्यावहारिक नहीं पाया गया। अत: उन्हें तद्नुसार योजना बनाने के लिए कहा गया था। फिर भी, प्रोफाइल स्कैच और सार अनुमान स्वीकृति के लिए नवम्बर, 2001 में पी०डब्ल्यू०डी० को भेजे गए थे लेकिन उनसे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

रेलवे में परिचालन कर्मचारियों की भर्ती

2468. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री शिबु सोरेन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ी ड्राइवर, गैंगमैन और प्वाईंट्समैन हैं;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मंडल में उक्त कर्मचारियों की संस्वीकृत और स्थापित संख्या का पदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान रेलगाड़ी ड्राइवरों, गैंगमैन एवं प्वाईंट्समैन को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार और मंडलवार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इन श्रेणियों के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को गैंगमेन की रिक्तियों को भरने में कदाचार और अनियमित्ताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडलवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एयर ब्रेक प्रणाली

2469. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार विभिन्न रेलवे जोनों के अंतर्गत यात्री रेलगाड़ियों को सामान्य वैक्यूम एवं एयर ब्रेक प्रणाली द्वारा चलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य वैक्यूम और एयर ब्रेक प्रणाली द्वारा चलाई जा रही यात्री मेल एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की मंडलवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य वैक्यूम प्रणाली से चलाई जा रही यात्री मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को एयर ब्रेक प्रणाली से चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेल सुरक्षा कोष के अंतर्गत कितना धन नियत किया गया है;

(ङ) सभी यात्री मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को एयर ब्रेक प्रणाली में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो रेलवे सुरक्षा कोष का उद्देश्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय रेलें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध आधार पर सवारी डिब्बों में निवात ब्रेक प्रणाली को वात ब्रेक प्रणाली से परिवर्तित कर रही हैं। रेल संरक्षा निधि इस उद्देश्य के लिए नहीं है।

(ङ) मौजूदा कोचिंग स्टाक में निर्वात ब्रेक प्रणाली को वात ब्रेक प्रणाली से परिवर्तित करने के कार्य के मार्च, 2005 तक पूरा किया जाने की आशा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

(च) रेल संरक्षा निधि का उपयोग गतायु परिसंपत्तियों अर्थात् रेलपथ, पुल चल स्टॉक आदि को बदलने के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

रक्षा योजना बोर्ड का गठन

2470. श्री वाई०वी० राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा योजना बोर्ड का गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं; और

(घ) इसके कब तक गठित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण मध्य रेलवे में समूह "घ" के पदों की भर्ती

2471. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए समूह "घ" श्रेणी के अंतर्गत पदों की भर्ती शुरू करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो भर्ती कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां। दक्षिण-मध्य रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद को मांग-पत्र भेजा है।

(ख) जी, हां।

(ग) भर्ती प्रक्रिया के मार्च, 2004 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल परिसम्पत्तियों की बिक्री

2472. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने दैनिक खर्च पूरा करने या विकास कार्य शुरू करने के लिए कुछ परिसम्पत्तियों की बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ भूमि की बिक्री की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपनी परिचालन लागत को पूरा करने के लिए रेलवे को ऐसी बिक्री से किस हद तक मदद मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कबाड़ की बिक्री

2473. श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माफिया के साथ मिलीभगत कर रेलवे कबाड़ की बिक्री में भारी अनियमितता बरती गई;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयोग में आने वाली चीजों की भी कबाड़ के रूप में बिक्री कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) स्क्रैप की बिक्री-क्षेत्र में कई बार जांच की गई है। माफिया की मिलीभगत से ऐसी वस्तुओं जो प्रयोग के योग्य हैं, को स्क्रैप के रूप में या स्क्रैप की बिक्री के संबंध में अनियमितता का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

[अनुवाद]

रेल टेल और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

2474. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंडविड्थ और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं की हिस्सेदारी के लिए रेल टेल कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (रेल टेल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के तहत स्थापित किए जाने वाले संचार नेटवर्क का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) और रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (रेलटेल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में देश में बदलते हुए परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए नए व्यापार के अवसरों का पता लगाने से संबंधित है। बी०एस०एन०एल० और रेलटेल इस प्रयोजन के लिए सिनर्जीज, अवसंरचना तथा सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं। अतः किसी नए दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, बी०एस०एन०एल०, ग्रामीण टेलीफोनी की व्यवस्था करने और रेलपथ के साथ-साथ अपने सेलवन मोबाइल फोनों के लगातार कवरेज के लिए स्टेशनों पर छोड़े गए रेलटेल की ओ०एफ०सी० अवसरंचना का उपयोग कर सकता है। बी०एस०एन०एल० रेलटेल उनकी विभिन्न आवश्यकताओं जिसमें इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आई०एल०डी०) और नेशनल लांग डिस्टेंस (एन०एल०डी०) परिचालन भी शामिल हैं, के लिए लास्ट माइल तथा इंटरकनेक्शन भी मुहैया करा सकता है।

सहायक चेतावनी तंत्र (ए०डब्ल्यू०एस०) की स्थापना

2475. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति एच०आर० खन्ना समिति की रिपोर्ट में रेलवे में सहायक चेतावनी तंत्र (ए०डब्ल्यू०एस०) की स्थापना की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस यंत्र की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में (ए०डब्ल्यू०एस०) शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने मे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) रेलवे में उक्त तंत्र कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) रेल संरक्षा समीक्षा समिति (न्यायमूर्ति खन्ना समिति) ने अपनी सिफारिशों के पार्ट I के पैरा 6.2 और 6.3 के तहत भारतीय रेल पर गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी०पी०डब्ल्यू०एस०), सहायक चेतावनी प्रणाली (ए०डब्ल्यू०एस०) से भिन्न, प्रणाली के उपयोग की सिफारिश की है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) 1987 से, ए०डब्ल्यू०एस० मध्य और पश्चिम रेलों के मुंबई उपनगरीय खंडों पर 538 रेल पथ कि०मी० पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। दक्षिण और मध्य रेलों पर लगभग 280 रेल पथ कि०मी० पर आगे कार्य चल रहा है। मध्य रेलवे पर यूरोपीयन गाड़ी नियंत्रण प्रणाली के समान "रेडियो आधारित स्वचल गाड़ी नियंत्रण

प्रणाली'' की एक पायलट परियोजना के रूप में ए०डब्ल्यू०एस० का कार्य स्वीकृत किया गया था। फिर भी, अधिक लागत के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब मुंबई उपनगरीय खंड पर विद्यमान समान अभिकल्प और यूरो बेलिस (भूमि उपस्कर) के अनुरूप अभिकल्प पर आधारित ए०डब्ल्यू०एस० को भारतीय रेलों पर अपनाने पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

रेल संरक्षा समीक्षा समिति (आर०एस०आर०सी०)
भाग-I का सार

पैरा 6.2 ''पैरा 2.12.1 में उल्लिखित विशेषताओं वाली एक उपयुक्त रेलगाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए''

पैरा 2.12.1 ''समिति एक उपयुक्त प्रणाली अपनाने की सिफारिश करती है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों''

(घ) जब ड्राइवर ''चेतावनी'' या ''पीला'' सिगनल पार करता है तो उसे श्रव्य-दृश्य चेतावनी मिलनी चाहिए जिसका वह प्रत्युत्तर दे। निर्धारित समय में चेतावनी का प्रत्युत्तर न मिलने पर स्वत: ही ब्रेक लगने लग जाएगी और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यह प्रणाली प्रत्येक ऐसी घटना पर काम करेगी।

(ङ) चेतावनी सिगनल और ''स्टाप'' सिगनल पर पहुंचने के पश्चात्, मध्यवर्ती प्वाइंट पर गति की जांच की जाएगी। यदि गाड़ी की गति निर्धारित सीमा से अधिक है तो ब्रेक लगने लग जाएगी और अगले स्टाप सिगनल पर एस०पी०ए०डी० की संभावना रहती है।

(च) यदि ड्राइवर खतरे का सिगनल पार करता है तो ब्रेक लग जाएगी और गाड़ी खड़ी हो जाएगी।

पैरा 6.3 ''उपरोक्त पैरा 2.12.1 में उल्लिखित विशेषताओं वाली बेलिस-आधारित टी०पी०डब्ल्यू०एस० का विकास भारतीय रेल द्वारा तत्काल शुरू किया जाना चाहिए – पैरा 2.12.4 और 2.12.5''

पैरा 2.12.4 ''हम सिफारिश करते हैं कि पैरा 2.12.1 में उल्लिखित विशेषताओं वाली बेलिस-आधारित टी०पी०डब्ल्यू०एस० का विकास भारतीय रेल द्वारा तत्काल शुरू किया जाना चाहिए''

पैरा 2.12.5 भारतीय रेल के ''सी'' और ''ए'' मार्गों पर टी०पी० डब्ल्यू०एस० की व्यवस्था के संबंध में ''समिति द्वारा संस्तुत समय-सीमा और अनुमानित लागत नीचे दर्शाई गई है :–

मार्ग	अनुमानित लागत	समयावधि
''सी''	100 करोड़ रुपए	2 वर्ष (कनकरेंट
''ए''	910 करोड़ रुपए	5 वर्ष)

लक्षित ट्रांसमिटर्स को न पूरा किया जाना

2476. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान 161 परियोजनाओं को पूरा किए जाने का लक्ष्य था परन्तु उस वर्ष केवल 124 परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थानों की अनुपलब्धता के कारण 7 डी०डी०-आई-एच०पी०टी० और 12 एल०पी०टी०/वी०एल०पी०टी० को पूरा नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानों का चयन परियोजना की स्वीकृति के पूर्व या बाद किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं कि किसी विशेष वर्ष के लिए लक्षित परियोजनाओं को उसी वर्ष में पूरा कर लिया जाए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) भवनों और टॉवरों के निर्माण में विलंब, उपयुक्त स्थलों की अनुपलब्धता, कुछ क्षेत्रों में दुष्कर कार्य दशाओं, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब तथा कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण 37 परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हुआ।

(ग) टॉवरों के निर्माण में विलंब के कारण 7 डीडी-I उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हुआ। मुख्यत: उपयुक्त स्थलों की अनुपलब्धता के कारण 12 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हुआ।

(घ) उपयुक्त स्थलों के अभिनिर्धारण हेतु कार्रवाई की शुरूआत सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को सिद्धांतत:'' अनुमोदित किए जाने के बाद की जाती है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2002-2003 के दौरान 37 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं। 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को बीच में ही बंद कर दिया गया है क्योंकि लक्षित क्षेत्र नजदीकी ट्रांसमीटरों से कवर होता है। सुरक्षा संबंधी कारणों से एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना को आस्थगित कर दिया गया है। शेष 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को वर्ष 2003-2004 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(ज) परियोजनाओं का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जा रहा है और परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

परियोजना आबंटन राशि का व्यवस्थितिकरण

2477. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के लिए परियोजना आबंटन राशि को व्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेल मंत्री द्वारा 2002-03 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2002-03 से एक स्पष्ट एवं पारदर्शी सूत्र के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों का राज्यवार आबंटन किया जा रहा है। इस सूत्र के अनुसार, उपलब्ध निधियों का वितरण राज्य के क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या तथा पिछली बकाया परियोजनाओं के आधार पर किया गया है। इन मानदण्डों को दिया गया महत्व क्रमश: 15%, 15% तथा 70% के अनुपात में है।

दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग

2478. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के स्थान पर दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक सांविधिक आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर केन्द्रित ध्यान देने के लिए एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरूद्धार

2479. **श्री एन०एन० कृष्णदास :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का परिवर्तित पुनरूद्धार पैकेज चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पालघाट ईकाई को सहायक कंपनी का दर्जा देने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्व लिमिटेड नाम से किसी कंपनी को पंजीकृत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कंपनी के पुनरूद्धार के लिए कार्यान्वयनाधीन टर्नअराउन्ड योजना में इनस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के विभिन्न व्यवसाय समूहों को सहायक कंपनियों में बदलने की परिकल्पना की गई है ताकि संयुक्त उद्यम के भागीदारों का प्रवेश सुगम हो सकें। तदनुसार, इन्सट्रूमेंटेशन कन्ट्रोल वाल्वस लिमिटेड, पलक्कड को इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा की सहायक कम्पनी के रूप में गठित किया गया है।

लंबित प्रस्ताव

2480. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 2001-2002, 2002-2003 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आमान परिवर्तन और नई लाइनों के संबंध में प्राप्त लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और विदेशी वित्तपोषण एजेंसी के समन्वय से चालू वित्त वर्ष के दौरान उनमें से कुछ लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल का विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना

2481. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रस्ताव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) जी, हां। वर्ष 1998 में अल्पसंख्यक शिक्षा सैल का गठन किया गया था।

(ख) किसी वर्ष में उक्त उद्देश्य के लिए अनन्य रूप से निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) अल्पसंख्यक शैक्षिक सस्थाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य उन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, जिनमें प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, मूलभूत अवसरंचना प्रदान करना है।

वर्ष	आबंटित धनराशि (रु० लाख में)
2000-01	1800.0
2001-02	2000.00

2. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण जिसका उद्देश्य उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी शामिल करने को बढ़ावा देना है।

वर्ष	आबंटित धनराशि (रु० लाख में)
2000-01	1200.00
2001-02	1050.00
2002-03*	2835.00
2003-04*	3150.00

*10वीं योजना के दौरान, उपर्युक्त दो योजनाओं को क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण के रूप में मिला लिया गया है।

3. शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजना

वर्ष	स्वीकृत सहायता अनुदान (रु० करोड़ में)
2000-01	9.68
2001-02	9.35
2002-03*	5.49
2003-04*	5.00

(ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने उन अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए पहले ही नीतिगत मानदंड एवं सिद्धांत जारी किए हैं जो अनन्य रूप से धार्मिक उपदेश देने वाली संस्थाओं से अलग है।

रेल लाइनों का निजीकरण

2482. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रेल मंत्री** रेल लाइनों के निजीकरण के बारे में 7 मार्च, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजीकरण की जाने वाली रेल लाइनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निजीकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे पेंशन निधि

2483. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन लाभ के व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 1964 में गठित रेलवे पेंशन निधि का प्रत्येक वर्ष वित्त पोषण बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1974 के बाद नियमित बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि की कुल धनराशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 1964 में जन पेंशन निधि की स्थापना हुई थी, उससे पहले सरकारी बीमांककों द्वारा इसका परिकलन किया गया था। इसके बाद 1974 में बीमांकिक परिकलन किया गया था। बहरहाल, इस समय रेल अभिसमय समिति के परामर्श से पेंशन निधि का विनियोजन प्रति-वर्ष परिचालन अधिशेष में से किया जाता है, ठीक इसी तरह मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए किया जा रहा है।

(ग) 31 मार्च, 2002 को रेलवे पेंशन निधि का इति शेष 467.18 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

यमुनानगर ताप विद्युत संयंत्र को पूरा करना

2484. श्री जी०जे० जावीया : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना गत दस वर्षों से अधर में लटक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य पूरा होने की संभावना हे और इस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा में किन स्थानों पर ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक में 1 जनवरी, 1998 से अब तक कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ और उन पर संयंत्र-वार कितना खर्च किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की कमी के मद्देनज़र उपर्युक्त अतिरिक्त राज्यों में नये विद्युत संयंत्र स्थापित करके विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) जी हां। वित्तीय अड़चनों और क्रियान्वयक एजेंसी से संबंधित निर्णय न हो पाने के कारण यमुनानगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आज की तिथि तक हरियाणा के यमुनानगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 2x250 मेगावाट क्षमता प्रत्येक के दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है परियोजना का एक चरण जहां अंतराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा कार्यान्वित एवं 11वीं योजना में पूरा किया जाना प्रस्तावित है वहीं दूसरा चरण हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित और 10वीं योजना में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परियोजना पर अब तक 22.00 करोड़ रु० व्यय हुए हैं।

(घ) गुजरात, तमिलनाडु दिल्ली और हरियाणा के ताप विद्युत परियोजनाओं और इनमें प्रत्येक राज्य में वर्ष 1997-98 से 2002-03 तक की अवधि के दौरान उत्पादित विद्युत के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) योजना आयोग ने 10वीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट विद्युत क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य में गुजरात में राज्य क्षेत्र में 1881.62 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि (जिसमें 1450 मेगावाट क्षमता की सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी भागीदारी होगी) 684 मेगावाट तमिलनाडु में, 225.78 मेगावाट दिल्ली में और हरियाणा में 500 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से भी उनके हिस्से की बिजली प्राप्त होगी।

विवरण

गुजरात, तमिलनाडु दिल्ली और हरियाणा की ताप विद्युत परियोजनाओं और इनमें से प्रत्येक राज्य में वर्ष 1997-98 से अब तक की अवधि के दौरान उत्पादित विद्युत के राज्यवार ब्यौरे

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	1997-98 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)	1998-99 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)	1999-2000 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)	2000-2001 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)	2001-2002 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)	2002-2003 वास्तविक उत्पादन (मि०यू में)
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली						
बदरपुर	4473	4867	5022	5181	5275	5284
डीवीबी						
आइपी स्टेशन	1163	763	845	866	815	619
राजघाट	537	618	942	792	697	837
डीर्वाबी जीटी	811	683	746	1142	1165	1215
प्रगति जीटी						825
डीवीबी कुल	2511	2064	2533	2800	2677	3496
दिल्ली कुल	6984	6931	7555	7981	7952	8780
हरियाणा						
फरीदाबाद विस्तार	641	858	955	822	808	973
पानीपत	2892	2629	2837	2729	4274	4994
कुल एचपीजीसी	3533	3487	3792	3551	5082	5967
फरीदाबाद सीसीजीटी			1066	2290	2861	2697
हरियाणा थमल कुल	3533	3487	4858	5841	7943	8664
गुजरात						
जीईबी						
धुवरन	2792	2203	2358	2350	1791	1385
ऊकाई	4315	4365	4444	5382	4753	5312
जी०एनजीआर० 1-4	3915	4699	3110	3330	3806	4222
डब्ल्यू बोरी 1-6	8260	8592	9105	8916	9352	8893
सिक्का	1432	885	960	1098	1140	1131

1	2	3	4	5	6	7
कुच्छ लिंगनाइट	718	1011	964	965	980	1036
उतरन ओल्ड	73	0	0	0	0	0
उतरन जीटी	831	962	1057	720	782	890
धुवरन जीटी	143	130	131	137	42	0
जीदईबी थमल	22479	22847	22129	22898	22646	22869
जीएसईसीएल						
जी० नगर-5		748	1293	1348	1489	1636
डब्ल्यू० बोरी 7		173	844	1535	1647	1762
जीएसईसीएल कुल		921	2137	2883	3136	3398
जीएसइजी लि०						
हजीरा सीसीसीपी	2627	3184	0	0	171	878
जीएसईजी कुल	2627	3184	0	0	171	878
ए०ई०कं०						
एई कं० ओल्ड	356	332	398	425	377	438
साबरमती	2050	2168	2401	2402	2433	2523
वेतवा जीटी एण्ड एसटी	702	673	598	538	319	209
एइ कं०	3108	3173	3397	3365	3129	3170
इसार						
हजीरा आईएमपी			1268			
ईएसएस इमपोट			1268	558	661	1055
जीआईपीसीएल				558	661	1055
जीआईपीसीएल 1	1366	1543	1232	726	705	999
जीआईपीसीएल 2		557	703	505	589	952
सुरत लिग्नाइट		0	133	1303	1454	1599
कुल जीआईपीसीएल		2100	2068	2534	2748	3550
पगुथन जीटी		2781	3863	2482	727	1535
कैप्स न्यूक्लीयर	2119	2892	3395	3504	3570	3659

1	2	3	4	5	6	7
कवास जीटी (एनटीपीसी)	4135	4354	4788	4697	3757	4208
गांधार जीटी (एनटीपीसी)	2586	2165	2282	2791	3614	3372
कुल गुजरात थर्मल	36301	40604	41932	42208	40589	44035
तलिमनाडु टीएनईबी						
एन्नौर	1928	1799	1293	753	1150	1747
तूतीकोरिन	6916	6599	7449	7931	8108	8187
मेत्तूर	5427	5063	5782	6423	6396	6739
उत्तर चेन्नई	3416	3675	4334	4358	4672	4405
बेसिन ब्रिज जीटी	53	112	187	165	173	276
नरीमनम जीटी	29	13	31	16	0	0
कोविलकलप्पल सीसीजीटी				36	698	726
वलथूर जीटी						104
टीएनईबी थर्मल	17769	17261	19076	19682	21197	22184
नैवेली-1	3453	3772	3747	4158	4195	4421
नैवेली-2	9704	9569	9561	10519	10268	10495
नैवेली विस्तार				0	0	89
कुल नैवली	13157	13341	13308	14677	14463	15005
कायमकुलम	1894	2187	2233	2513	2244	1073
न्यूक्लीयर		161	1478	1281	1234	1209
बेसिन ब्रिज डी पी० नल्लूर सीसीजीटी					1036	2169
समलपट्टी				91	645	623
समलपट्टी डीजी				0	250	589
नैवेली जीरो यूनिट						406
तमिलनाडु थर्मल	30926	30763	33862	35731	38825	42185

[अनुवाद]

पट्टे पर रेल भूमि का आबंटन

2485. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को पट्टे पर रेल भूमि आवंटित करने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए राज्य-वार किन ठिकानों की पहचान की गई है;

(ग) पट्टे पर भूमि देने की क्या शर्तें हैं; और

(घ) विशेषकर उड़ीसा में कौन से निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के एकक आगे आए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ग) यदि रेलवे को रेलवे भूमि की अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए जरूरत नहीं होती तो उसका आबंटन दीर्घकालिक पट्टे पर केवल सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किया जा सकता है। भूमि को 1000/ रु० प्रति वर्ष के नाममात्र प्रभार सहित भूमि की लागत के 99% के भुगतान पर 35 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन, रेलवे भूमि को निजी क्षेत्र के लिए पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार, भूमि के लिए अनुरोध पर विचार मामले दर मामले के आधार पर किया जाता है। रेलवे स्वयं अपनी भूमि को दीर्घकालिक आधार पर देने का प्रस्ताव नहीं करती।

(घ) इस संबंध में रेलवे को सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, सम्बलपुर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

खर्चे में कटौती हेतु अभियान

2486. **श्री रामदास आठवले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, अतिथि सत्कार, खानपान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, सम्मेलन, यात्राओं (जिनमें विदेशी यात्राएं शामिल हैं) एस०टी०डी० और आई०एस०डी० टेलीफोन बिलों और बिजली के बिलों (विशेषकर एयर कंडीशनरों और कूलरों के बिल) जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे खर्चे में कटौती हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नि:शक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना

2487. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने हेतु उन अधिकारियों को भी इस प्रयोजनार्थ शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में, विशेषकर बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं, बाधामुक्त पहुंच और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रावधान हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के विभिन्न विभाग और साथ ही स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं। अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और लक्षित समूह की शिकायतों के निपटान के प्रयोजन से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की है। राज्य सरकारों ने भी इस प्रयोजन के लिए राज्य आयुक्तों को नियुक्त किया है। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत गठित केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्य करते हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष भी उठाता है। इस संबंध में समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए जाते हैं जिसमें सभी संबंधित पक्षों को संसाधनों को जुटाने और इस प्रयोजन के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

[अनुवाद]

गलत रिहीट फ्यूल कंट्रोल यूनिट

2488. **श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगुआर विमान के दो एयरो इंजन गलत रिहीट फ्यूल कंट्रोल यूनिटों के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी मरम्मत में 1.88 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना की संचालन शाखा क. इस चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पायलटों के जीवन को खतरे में डालने वाले तथा राष्ट्र को भारी क्षति पहुंचाने वाले ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना के दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई पहले से ही की जा चुकी है।

(ग) इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वायुसेना मुख्यालय द्वारा उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

तेल कंपनियों के विपणन प्रभागों को हानियां

2489. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के विपणन प्रभाव प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए की हानि उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हुई हानियों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) विपणन प्रभागों की संचालन लागत कम करने तथा अपव्यय और गैर वाणिज्यिक खर्चों से बचने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) बी०पी०सी०एल० तथा एच०पी०सी०एल० के विनिवेश पर हानियों का क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के प्रकाशित वित्तीय परिणामों के अनुसार वे पिछले 2 वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भी लाभ कमाती रही हैं।

(ग) तेल कंपनियों द्वारा सभी संभागों की प्रचालन लागतों को कम करने तथा अपव्ययी एवं गैर-वाणिज्यिक खर्चों को बचाने के लिए अनवरत आधार पर उपाय किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न के (क) और (ख) भागों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-दो

2490. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में शुरू की जाने वाली मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एम०यू०टी०पी०) चरण-दो की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर परियोजना-वार लगभग कितना व्यय होने की संभावना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार परियोजनाओं की लागत का 50% हिस्सा देने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम०यू०टी०पी०) चरण-II के अंतर्गत 10 परियोजनाओं तथा चल स्टॉक/पुर्नस्थापन तथा पुर्नवासन इत्यादि संबंधी कार्यों को आरम्भ करने का विनिश्चय किया गया है। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार 7 परियोजनाओं की 50% लागत को वहन करने के लिए सहमत हो गई है। बाकी तीन परियोजनाओं की 50% लागत वहन करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जा रही है।

(घ) 2005-2006 के दौरान एम०यू०टी०पी० चरण-II को शुरू करने की योजना बनाई गयी है। बहरहाल, दो अनुमोदित परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

विवरण

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम०यू०टी०पी०) (रेल घटक) चरण-II परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु० में)	क्या अनुमोदन प्राप्त हो गया है
1	2	3	4
1.	कुर्ला-सीएसटीएम: पाचवीं तथा छठी लाइनें	229	नहीं

1	2	3	4
2.	बोरिविली-सांताक्रुज-मुंबई सेंट्रल: छठी लाइन	294	नहीं
3.	पश्चिम रेलवे लोकल लाइन' पर 12 कार परिचालन	—	हां
4.	मध्य रेलवे लोकल लाइन' पर 12 कार परिचालन	—	हां
5.	बांद्रा-कुर्ला-ईस्ट-वेस्ट लिंक	480	नहीं
6.	कल्याण-दिवा: लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी	110	हां
7.	दिवा-थाणे-लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी	170	नहीं
8.	हार्बर लाइन का विस्तार-अंधेरी से गोरेगांव	59	नहीं
9.	डीसी से एसी में परिवर्तन – थाणे से सीएसटीएम	147	हां
10.	हेडवे में सुधार लाने के लिए लोकल लाइनों पर एस एण्ड टी को अपग्रेड करना	240	नहीं
	उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्य		
	(क) इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) खरीद/निर्माण/रिट्राफिटमेंट तथा अनुरक्षण/स्टेबलिंग सुविधाएं	1672	नहीं
	(ख) तकनीकी सहायता	20	नहीं
	(ग) पुर्नस्थापन तथा पुर्नवासन	71	नहीं
	(घ) संस्थानात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजी व्यय	10	नहीं
	जोड़	3502	

*कार्य पूरा हो चुका है। केवल चल स्टॉक की खरीद करनी है। चल स्टॉक की लागत उपर्युक्त घटक (क) में शामिल है।

दसवीं योजना के दौरान ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

2491. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के कितने प्रस्ताव हैं और उनकी अधिष्ठापन क्षमता तथा निवेश लागत कितनी है और किन उद्यमियों द्वारा वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाएं की गई है;

(ख) क्या विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कोई लक्षित तिथि तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ किस समझौते ज्ञापन/करार नामे पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) अतिरिक्त विद्युत वाले राज्यों से विद्युत का निर्यात सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव इस विद्युत के निर्यात हेतु ग्रिड में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) 10वीं योजना के दौरान कुल 25416.24 मेगावाट क्षमता की अड़सठ (68) ताप विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। 68 ताप विद्युत परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में 10वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के साथ वित्तीय व्यवस्था नहीं की है, वित्तीय प्रबंध परियोजना विकासकर्ताओं

द्वारा की जा रही है। परियोजना विकासकर्त्ताओं और अधिक मात्रा में विद्युत क्रय करने वाले संबद्ध राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य विद्युत क्रय करार किया जा रहा है।

(घ) से (च) वर्तमान में 220 केवी और इससे ऊपर के स्तर पर और एच०वी०डी०सी० प्रणाली के तहत कुल 8100 मेगावाट अंतर्राज्यीय पारेषण क्षमता उपलब्ध है। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के मध्य राय-राऊरकेला 400 केवी ऐसी लिंक के चालू होने के बाद पूर्वी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रिड पश्चिमी ग्रिड के साथ मिलकर कार्य करेंगे जिसके फलस्वरूप पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को 1500 मेगावाट विद्युत निर्बाध रूप से पारेषित की जा सकेगी।

विवरण

10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि (थर्मल)

केन्द्रीय क्षेत्र

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2
एनटीपीसी	
सिम्हाद्री (आन्ध्र प्रदेश)	500
तालचेर (उड़ीसा)	2000
रिहंद (उत्तर प्रदेश)	1000
रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश)	500
सीपत-I (छत्तीसगढ़)	1320
कहलगांव (बिहार)	660
बाढ़ (बिहार)	660
विन्ध्याचल (मध्य प्रदेश)	500
दादरी (उत्तर प्रदेश)	490
ऊंचाहार (उत्तर प्रदेश)	210
सीपत-II (छत्तीसगढ़)	660
उ० करनपुरा (झारखंड)	660
डीवीसी	
मेजिया-4 पश्चिम बंगाल	210
मेजिया-5 पश्चिम बंगाल	250
मैथान (झारखंड)	1000
चन्द्रपुर (तदैव)	500
नीपको	
त्रिपुरा (त्रिपुरा)	500
कोयला मंत्रालय-एनएलसी	
एनएलसी विस्तार-I (तमिलनाडु)	420
एनएलसी विस्तार-II (तमिलनाडु)	500
बरसिंगसर (राजस्थान)	250

राज्य क्षेत्र

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2
पंजाब	
जीएचटीपी-II (टी)	500
हरियाणा	
पानीपत-यू-7 व 8 (टी)	500
दिल्ली	
प्रगति (टी)	225.78
राजस्थान	
सूरतगढ़-III (टी)	250
रामगढ़-II (टी)	75.32
कोटा-4 (टी)	195
मैथानिया (टी)	140
उत्तर प्रदेश	
परीछा विस्तार (टी)	210
अनपारा "सी" (1000) (टी)	500
छत्तीसगढ़	
कोरबा पूर्व विस्तार (टी)	420
मध्य प्रदेश	
बीरसिंहपुर विस्तार (टी)	500

1	2
महाराष्ट्र	
पारली विस्तार (टी)	250
गुजरात	
केएलटीपीएस विस्तार (टी)	75
धुव्रण गैस (टी)	106.62
अकरीमोटा (टी)	250
तमिलनाडु	
पेरूंगलम (वलथूर) गैस (टी)	94
कुट्टालम गैस (टी)	100
आंध्र प्रदेश	
रायलसीमा-II (टी)	420
कर्नाटक	
रायचूर यू-7 (टी)	210
बेल्लारी (टी)	500
झारखंड	
तेनुघाट विस्तार (टी)	210
पश्चिम बंगाल	
बक्रेश्वर यू-4 व 5 (टी)	420
सागरडिघी-1	250
असम	
लकवा डब्ल्यूएच (टी)	38
मिजोरम	
बैराबी एचएफओ (टी)	22.92
मेघालय	
बाइरिनहट (टी)	24
मेंदीपथार	24
मणिपुर	
लीमाखोंग डीजी	18
त्रिपुरा	
बारामूरा जीटी (टी)	21
रोखिया जीटी (टी)	21
पांडिचेरी	
कराईकल (टी)	100
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	
रंगत बे	5

निजी क्षेत्र

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2
पंजाब	
गोइंदवाल साहिब (टी)	500
मध्य प्रदेश	
बीना (टी)	578
गुजरात	
जामनगर	500
महाराष्ट्र	
डाभोल-II (टी)	1444
तमिलनाडु	
नैवेली जीरो (टी)	250
आंध्र प्रदेश	
पेदापुरम	78
वेमागिरि-1 (टी)	370
गौतमी-1 (टी)	464
रामागुण्डम (टी)	520
जेगरूपाडु विस्तार (टी)	230
कोनासीमा (टी)	445

1	2
कर्नाटक	
हासन (टी)	189
कनीमिंके (टी)	108
बिहार	
भीता (टी)	135
झारखंड	
जोजोबेरा-II (टी)	120
द्वीप समूह	
बम्बू फ्लैट डीजी	20

विश्व बैंक की सहायता से विद्युत क्षेत्र में सुधार

2492. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने विश्व बैंक सहायता से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार अथवा विश्व बैंक की सहायता से विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने हेतु उड़ीसा में ऐसा कोई कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक की सहायता से विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग), उड़ीसा में सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड का पुर्नगठन किया गया है और विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए पृथक कंपनियां गठित की गई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग 1996 से कार्यरत हैं साथ ही 1999 में विद्युत वितरण का निजीकरण किया गया है।

विश्व बैंक ने प्रारंभिक रूप से पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए निवेशों का वित्तपोषण करने हेतु 1996 में उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया था। किन्तु, राजय सरकार द्वारा परियोजना के लिए लगातार निधि जारी नहीं किए जाने के कारण इस ऋण को जुलाई 2001 में निलंबित कर दिया गया। इसे उड़ीसा के इस आश्वासन पर जनवरी, 2002 में पुनः स्वीकृत किया गया कि निधियों को समय पर जारी किया जाएगा। उड़ीसा में घन समुपयोजन की संभाव्यता का मूल्यांकन कर अब यह राशि घटकर 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गई है। 30 जून, 2003 तक 183.876 मिलियन अमेरिकी डॉलर संवितरित किए गए हैं। परियोजना का काम जनवरी, 2004 में पूरा होना निर्धारित है।

आई०ओ०सी०एल० द्वारा पानी की पाइपलाइन

2493. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० किन्हीं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० ने कुछेक राज्यों में पानी की पाइपलाइनें बिछाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा शुरू की गई पानी की पाइपलाइनों की परियोजनाओं पर कितनी लागत आई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी हां। इंडियन आयल कारपोरेशन (आई०ओ०सी०) अपने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के तहत विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्य करती रही है। ये कार्य मुख्य रूप से स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और शिक्षा का विस्तार करने आदि के क्षेत्रों में हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध जनसंख्या के लाभ के लिए विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना के तहत कार्य सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) जी हां। आई०ओ०सी० ने महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में जल की पाइपलाइनें बिछाई हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष 2000-2001 के दौरान आई०ओ०सी० ने 4.53 करोड़ रुपए की लागत पर महाराष्ट्र राज्य में मनोरी क्रीक के पार मुंबई के समीप मार्वे से मनोरी तक पेयजल की एक पाइपलाइन बिछाई।

वर्ष 2001-2002 के दौरान आई०ओ०सी० ने 3.00 लाख रुपए की लागत पर 2 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन का प्रतिस्थापन करके गुजरात राज्य में गांव अलवा (बड़ौदा) में जल की एक पाइपलाइन बिछाई है।

वर्ष 2001 2002 के दौरान आई०ओ०सी० ने 3.98 लाख रुपए की लागत पर उत्तर प्रदेश राज्य में गांव बाड (मथुरा) में 2 किलोमीटर लंबी जल की एक पाइपलाइन बिछाई है।

इसके अलावा कंपनी 2.31 लाख रुपए प्रतिवर्ष के व्यय पर गुवाहाटी (असम) के नृनमती क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन और ऊपरी टैंक का रखरखाव कर रही है और इसने 4.5 लाख रुपए की लागत पर बड़ौदा जिले (गुजरात) में पावी जेतपुर पर पानी की पाइपलाइन के वाल्वों की मरम्मत और प्रतिस्थापन का कार्य भी किया है।

त्रिपुरा में ईआईएल द्वारा गैस आधारित उद्योगों की स्थापना करना

2494. श्री खगेन दास : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की त्रिपुरा में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना की व्यावहार्यता का पता लगाने हेतु ईआईएल द्वारा कराये गए सर्वेक्षण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कौन से उद्योगों को राज्य में स्थापित किए जाने की संभावनाओं की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा राज्य सरकार से प्राप्त उदारतापूर्वक सहायता से राज्य के सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में इनमें से किसी उद्योग के स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस के उपयोग संबंधी एक व्यावहार्यता अध्ययन रिपोर्ट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी, जिसके अनुसार निम्नांकित परियोजनाओं के लिए सिफारिश की गई थी :–

(1) यूरिया परिसर

(2) यूरिया मेथानोल परिसर

(3) सीएनएजी परियोजना

(4) घरेलू/वाणिज्यिक ईंधन

(ग) और (घ) उपरिवर्णित क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों की संभावनाएं संबंधित राज्य सरकार, निजी क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थाओं के अभिक्रमों पर निर्भर करती हैं। ये संबंधित क्षेत्र में उत्पादों के अंत्यत उपयोग की संभाव्यता पर भी निर्भर करती हैं। इन तथ्यों का इस प्रकार का मूल्यांकन इस प्रकार की इकाइयों की स्थापना के पहले किया जाता है।

मुनाफा कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2495. श्री अनंत गुढ़े : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान मुनाफा कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या में पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति को बनाए रखने हेतु सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001-02 संसद में 03.03.2003 को प्रस्तुत किया गया था और जिसमें 2001-02 की अवधि के लिए अद्यतन सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 उपक्रमों में से 119 उपक्रमों (50%) ने लाभ अर्जित किया, जबकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 250 उपक्रमों में से 123 उपक्रमों (49%) ने पिछले वर्ष 2000-01 के दौरान लाभ अर्जित किया था।

(ख) किसी विशेष वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सरकारी उपक्रमोंका कार्यनिष्पादन उस वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण में दिया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि स्वायत्तता प्रदान करना और नवरत्न/मिनीरत्न योजना के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, संयुक्त उद्यमों का गठन, निदेशक मण्डल का व्यावसायीकरण, क्रय अधिमानता, प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से मानव शक्ति का यौक्तिकीकरण आदि।

रेल दुर्घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट

2496. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में हुई प्रत्येक दुर्घटना के लिए जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी समितियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी भी समिति ने किसी दुर्घटना से संबंधित कोई तोड़फोड़ सम्बन्धी बात नहीं कही हैं जबकि सभी दुर्घटनाओं में त्रुटियां देखने में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारतीय रेलवे पर प्रत्येक गाड़ी दुर्घटना की जांच दुर्घटना की गम्भीरता के अनुसार ही या तो रेल अधिकारियों की समिति या रेलवे संरक्षा आयुक्त और या न्यायायिक आयोग द्वारा की जाती है। जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो विभिन्न दुर्घटनाओं की जांच और पूछताछ की जाती है और उसके बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इन रिपोर्टों में यदि कोई सिफारिश की गई हो तो उसकी वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच की जाती है और तत्पश्चात् उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी नहीं, वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03' के दौरान, क्रमश: 19, 14 और 18* परिणामी गाड़ी दुर्घटना के मामले तोड़-फोड़ के कारण हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में क्रमश: 293, 248 और 198* मामले रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण हुए हैं। (आंकड़े अनंतिम)

(ङ) भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) गतायु परिसंपत्तियों जैसे रेलपथ, पुल, चल स्टॉक और सिगनल गियरों के बकाया नवीकरण को 6 वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए 17,000/- करोड़ रुपए की एक व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापनपा की गई है। इस निधि का अक्टूबर 2001 से उपयोग हो रहा है।

(ii) उत्तर रेलवे पर प्रोटोटाइप टक्कर रोधी उपकरण (ए०सी०डी०) का विस्तारित फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और उत्तर रेलों पर लगभग 3500 मार्ग किलोमीटर पर टक्कर रोधी उपकरण की व्यवस्था संबंधी कार्य स्वीकृत हो चुका है। 10,000 मार्ग किलोमीटर के लिए भी टक्कर रोधी उपकरण संबंधी सर्वेक्षण स्वीकृत किया जा चुका है।

(iii) समूचे ''ए'', ''बी'', ''सी'', ''डी'' और ''डी'' स्पेशल'' मार्गों पर जहां गति 75 किमी० प्र०घं० से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है।

(iv) मुम्बई उपनगरीय खंडों पर सहायक चेतावनी प्रणाली कार्य कर रही है।

(v) 200 से अधिक ब्लॉक खण्डों पर धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच शुरू की गई है और धीरे-धीरे इसे और ब्लाक खंडों पर भी लागू किया जा रहा है।

(vi) रेलपथ स्ट्रेस और श्रांति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जब कभी अपेक्षित होता है रेलपथ संरचना को, कंक्रीट स्लीपरों पर 60 किलोग्राम भार वाली पटरियों का उपयोग करके योजनाबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाता है। रेल पटरियों के निर्माण में उपयोग लाई जाने वाली स्टील की किस्म को अपग्रेड किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय रेल यूनियन (यू०आई०सी०) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(vii) अनुरक्षण में सुधार और बेहतर परिसम्पत्ति विश्वसनीयता के लिए रेलें पटरियों की झलाई करके सभी इकहरी पटरियों को यथा संभव लम्बी झलाई युक्त पटरियों में बदल कर रेलपथ पर फिश प्लेट प्वाइंटों को निरंतर समाप्त कर रही हैं। पुन: लाइने बिछाने/नई लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन के दौरान यथासंभव कंक्रीट स्लीपरों पर लम्बी झलाई युक्त पटरियां बिछाई जाती हैं। टर्नआउटों को भी व्यवस्थित तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है।

(viii) सभी उत्पादन इकाईयों, अधिकांश कारखानों और कुछ शेडों/डिपो ने आई०एस०ओ० 9001 गुणवत्ता मानकों के अनुसार ''गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली'' विकसित और लागू की है। सभी अन्य महत्वपूर्ण विनिर्माण/अनुरक्षण इकाईयों को भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू करने के लिए कहा गया ह। धुरों में खराबियों को पता लगाने के लिए पराश्रव्य जांच उपस्कर का उपयोग किया जा रहा है।

(ix) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टेम्पिंग और ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। परिष्कृत ट्रैक रिकार्डिंग कारों, पराश्रव्य दोष पता लगाने, सेल्फ प्रोपेल्ड अस्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कारों, दोलनलेखी कारों और पोर्टेबल एक्सलरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(x) रेलपथ का यथापेक्षित जब नवीकरण किया जाना होता है तो उनका नवीकरण किया जाता है।

(xi) आधुनिक पुल निरीक्षण और प्रबंधकीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है जिससे नान-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तकनीक, पानी के अंदर जांच, फाइबर कंपोजिट रैपिंग, पैपिंग अननोन फाउंडेशन और इटेग्रेटी टेस्टिंग आदि हो सके।

(xii) मानसून, ग्रीष्म काल और शीत काल के दौरान भेद्य स्थलों पर रेलपथ पर गहन रूप से गश्त लगाई जाती है।

(xiii) समपारों पर अंतर्पाशन, चौकीदार वाले समपारों पर टेलीफोन की व्यवस्था जैसे कुछ अन्य संरक्षा उपाय रेलों पर संस्थापित किए जा रहे हैं।

(xiv) बेहतर संरक्षा और सिगनल प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए नए प्रौद्योगिकीय इनपुट जैसे सालिड स्टेट अंतर्पाशन, अंकीय धुरा काउंटर, हाई परफारमेन्स मशीनों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

(xv) तीव्र संचार के लिए सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी मुहैया कराये गये हैं। ड्राइवरों और गार्डों को परम्परागत मिट्टी के तेल से जलने वाले सिगनल लैम्पों के बदले उत्तरोत्तर बेहतर दृश्यता वाले एल०ई०डी० आधारित इलेक्ट्रोनिक फ्लैशिंग लैम्प और हैंड सिगनल लैम्प भी मुहैया कराए जा रहे हैं।

(xvi) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा जा रहा है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का इस्तेमाल करना भी शामिल है। प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 73 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं और आपदा प्रबंधन माड्यूल भी विकसित किए जा रहे हैं।

(xvii) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कमियां पाई जाती है उन्हें क्रैश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है। पुनश्चर्या पाठयक्रम के लिए प्रतीक्षित संरक्षा कर्मचारियों को गाड़ी की ड्यूटी करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

(xviii) विभिन्न विभागों की टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की आवधिक संरक्षा संबंधी जांच शुरू की गई है। अंत: रेलवे निरीक्षण और रेलवे बोर्ड की टीमों द्वारा निरीक्षण करना भी शुरू किया गया है।

(xix) ड्राइवरों की ड्यूटी पर आने के समय उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ब्रीथलाइजर जांच की जाती है और दोषियों की पहचान करने के लिए अचानक जांच भी की जाती है।

(xx) अचानक निरीक्षण और छद्म जांच करने पर जोर दिया जाता है। शॉर्ट कट तरीके अपनाने को रोकने के लिए रात के समय निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और दोषी पाये जाने वालों पर कार्रवाई की जाती है।

(xxi) दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए एंटी-क्लाइम्बिग फीचर वाले सवारी डिब्बें शुरू किए गए हैं। सेंटर बफर कपलर (सी०बी०सी०) वाले सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है।

(xxii) सामग्री, अग्नि रोधी तकनीक आदि के संबंध में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाते हुए अग्नि रोधी सवारी डिब्बों का विकास किया जा रहा है।

(xxiii) ऐसे सवारी डिब्बों के अभिकल्प का विकास किया जा रहा है जिन पर दुर्घटनाओं के समय कम से कम असर हो और जहां यात्री बैठते हैं उस क्षेत्र में भी कम से कम असर हो।

(xxiv) रेल भर्ती बोर्डों के पुनर्गठन से रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से चयनित किए जा रहे कर्मचारियों की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है।

(xxv) सवारी डिब्बों की फर्निशिंग के लिए अग्नि रोधी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

(xxvi) अग्नि रोधी पी०वी०सी० फलोरिंग, अंदरूनी पैनेलिंग, सीलिंग, अपहोलेस्ट्री आदि का प्रयोग किया जा रहा है।

(xxvii) बिजली संबंधी फिटिंगों, फिक्सचरों जैसे एस०सी०बी०, लाइट फिटिंग, टर्मिनल बोर्डो, कनेक्टरों आदि में उपयोग की गई सामग्री में सुधार।

(xviii) ज्वलनशील सामान ले जाने से यात्रियों को रोकने के लिए गहन प्रचार अभियान चलाए जाना।

अनुसूचित जातियों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

2497. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री खगेन दास :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक देश में अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी कार्यों के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का योजनावार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु निर्धारित धनराशि को अन्य शीर्षों में लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य द्वारा भविष्य में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु निर्धारित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के संबंध में एक कार्य समूह का गठन किया। योजनाएं राज्यवार तैयार नहीं की जाती बल्कि देश भर के लिए तैयार की जाती हैं।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निर्मुक्त निधियों के विपथन के किसी मामले की सूचना नहीं है। यद्यपि उपयोग प्रमाण पत्र अक्सर देर से भेजे जाते हैं जिसके कारण कार्यक्रमों का वित्तपोषण प्रभावित होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

1. यह मंत्रालय पिछली निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही अनुदान निर्मुक्त करता है।
2. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की जाती है।
3. मंत्रालय के अधिकारी क्षेत्रीय दौरे भी करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करना

2498. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारी उद्योग की इकाई-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में राज्य वार बन्द किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारी उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों और भारी उद्योगों को पुनः चालू करने हेतु बी०आई०एफ०आर० को भेजा गया और बी०आई०एफ०आर० द्वारा अभी तक उनमें से कितने उपक्रमों और उद्योगों को स्वीकृत कियागया है;

(घ) सरकार द्वारा उनकी राज्यवार, इकाईवार बहाली हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) इन इकाइयों के बन्द होने के कारण इकाईवार कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(च) प्रत्येक इकाई में राज्यवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 119 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम 3.3.2003 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001-02 के खण्ड-I के विवरण संख्या 7(क) में दिए गए हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रम बंद कर दिए गए हैं, जिनमें से 7 उपक्रम पश्चिम बंगाल में तथा एक-एक उपक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित थे।

(ग) दिनांक 31.3.2003 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 68 उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत थे तथा इनमें से 2 उपक्रमों को 'रूग्न नहीं रहे' के रूप में घोषित किया गया है।

(घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन के लिए उद्यम सापेक्ष उपाए किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए सामान्य उपायों में सरकारी क्षेत्र के लगातार घाटा उठाने वाले जिन औद्योगिक उपक्रमों की निविल परिसंपत्तियां ऋणात्मक हो गई हैं, उन्हें पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन के लिए बी०आई०एफ०आर० को सौंपना, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, वित्तीय व व्यापार पुनर्गठन, नए सिरे से धनराशि लगाना, प्रौद्योगिकी का समुन्नयन, बेहतर विपणन रणनीति, क्रय अधिमानता नीति, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण तथा लागत नियंत्रण उपाय इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/पृथक्करण योजना के माध्यम से कर्मचारियों को पृथक करने के बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किया जाता है।

(च) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	उद्यम का नाम	राज्य का नाम	31.3.2002 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या
1.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	पश्चिम बंगाल	536
2.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	पश्चिम बंगाल	1039
3.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	पश्चिम बंगाल	2814
4.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	पश्चिम बंगाल	6086
5.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	पश्चिम बंगाल	2209
6.	रेरोल बर्न लि०	पश्चिम बंगाल	264
7.	वेबर्ड इंडिया लि०	पश्चिम बंगाल	395
8.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	कर्नाटक	950
9.	टेंनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लि०	उत्तर प्रदेश	1550
10.	नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	महाराष्ट्र	1323
11.	सदर्न पेस्टीसाइड्स लि०	आंध्र प्रदेश	209*
		जोड़	17375

*केवल वर्ष 2001-02 के लिए अनंतिम।

गुजरात में बिजली की मांग

2499. **श्री पी०एच० गढ़वी :**
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005 तक देश में राज्यवार विशेषकर गुजरात में बिजली की अनुमानत: कितनी मांग होगी;

(ख) क्या वर्तमान विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली की मांग की पूर्ति किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विद्यमान विद्युत संयंत्रों की राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) सन् 2005 तक देश में गुजरात समेत, राज्यवार विद्युत की अनुमानित मांग संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान ऊर्जा की कमी और व्यस्ततम कालीन कमी क्रमश: 48085 मि० यूनिट (8.8%) तथा 9945 मे०वा० (12.2%) थी।

(ग) वर्तमान मौजूदा संयंत्रों की राज्य-वार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार पश्चिमी क्षेत्र अथवा अन्य केन्द्रों से अंतर राज्य उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित कोटे से विद्युत प्रदान करने का केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है। गुजरात को पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से 1537 मे०वा० सुनिश्चित आबंटन प्राप्त होता है। इसके अलावा गुजरात को पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित कोटे से 164 मे०वा० और पूर्वी क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० पावर स्टेशनों के अनाबंटित कोटे/सरेण्डर किए गए हिस्से से 80 मे०वा० का आबंटन किया गया है।

विवरण-I

2004-05 में अखिल भारत में विद्युत की अनुमानित मांग

(मिलियन कि०वा०घं०)

राज्य	ऊर्जा आवश्यकता (मि०यू)	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)
1	2	3
दिल्ली	22991.00	3860.00
हरियाणा	22089.00	4203.00
हिमाचल प्रदेश	4437.00	844.00
जम्मू व कश्मीर	8072.00	1706.00
पंजाब	36596.00	6730.00
राजस्थान	35216.00	5912.00
उत्तर प्रदेश	61681.00	9907.00
चण्डीगढ़	1765.00	336.00
गोवा	2004.00	322.00
गुजरात	54970.00	9470.00
मध्य प्रदेश	46765.00	7737.00
महाराष्ट्र	94650.00	14801.00
दादरा और नागर हवेली	1119.00	188.00
दमन एवं दीव	761.00	123.00
आंध्र प्रदेश	60633.00	9888.00
कर्नाटक	39467.00	6826.00
केरल	19378.00	3626.00
तमिलनाडु	49478.00	7978.00
पांडिचेरी	2265.00	386.00
बिहार	17932.00	3320.00
उड़ीसा	16157.00	2673.00
सिक्किम	204.00	52.00
पश्चिम बंगाल	28114.00	5265.00
अरूणाचल प्रदेश	264.00	85.00
असम	4558.00	853.00
मणिपुर	857.00	208.00
मेघालय	811.00	168.00
मिजोरम	433.00	119.00
नागालैंड	335.00	85.00
त्रिपुरा	832.00	211.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194.00	40.00
लक्षद्वीप	37.00	8.80
अखिल भारत	635065.00	102160.80

विवरण-II

31.3.2003 के अनुसार (अनंतिम) राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

राज्य/यूटी	कुल
1	2
हरियाणा	3127.32
हिमाचल प्रदेश	864.80
जम्मू व कश्मीर	1233.63
पंजाब	5655.94
राजस्थान	4560.12
उत्तर प्रदेश	7602.60
उत्तरांचल	1286.15
चण्डीगढ़	64.00
दिल्ली	3323.40
केन्द्रीय क्षेत्र (अनाबंटित)	884.00
गुजरात	8861.78

1	2
मध्य प्रदेश	4220.21
छत्तीसगढ़	1898.00
महाराष्ट्र	15208.27
गोवा	454.76
दमन एवं दीव	14.20
दादरा और नागर हवेली	15.50
केन्द्रीय क्षेत्र (अनाबंटित)	891.30
आंध्र प्रदेश	9617.24
कर्नाटक	5893.37
केरल	3043.44
तमिलनाडु	9392.91
पांडिचेरी	174.50
केन्द्रीय क्षेत्र (अनाबंटित)	610.00
बिहार	3059.16
झारखंड	1815.89
उड़ीसा	3406.48
पश्चिम बंगाल	6550.84
सिक्किम	60.80
केन्द्रीय क्षेत्र (अनाबंटित)	1803.51
असम	1119.49
मणिपुर	154.11
मेघालय	285.96
नागालैंड	101.46
त्रिपुरा	220.46
अरूणाचल प्रदेश	162.43
मिजोरम	86.30
केन्द्रीय क्षेत्र (अनाबंटित)	179.20
लक्षद्वीप	9.97
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	59.30
कुल (अखिल भारत)	107972.80

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी मेच

2500. श्री राम सजीवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में खेले गये हॉकी मैचों के सीधे प्रसारण हेतु कोई प्रबंध नहीं किए यद्यपि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस समय भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आगामी चैम्पियन ट्रॉफी हेतु भारतीय हॉकी टीम द्वारा खेले जाने वाले मैचों के सीधे प्रसारण के लिए कोई प्रबंध किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को भारत के बाहर खेले जाने वाले भारतीय हॉकी टीम के मैचों का प्रसारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन ऐसे अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

"गेल" के अधिकारियों के विरुद्ध सी०बी०आई० के मामले

2501. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 19 दिसम्बर, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने "गेल" के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के साथ भारतीय दंड संहित की धारा 120ख

के अंतर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 2002 के मामला सं० 63(क)/2002 दिल्ली के अंतर्गत अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यवाहियों के कारण कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या गेल के कार्यकरण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने हेतु ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कोई समय-सीमा नियत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह मामला अभी जांच-पड़ताल के तहत है। इसके विषय में कार्रवाई जांच-पड़ताल के परिणाम के अनुसार कानून के मुताबिक की जाएगी। उठाई गई कुल हानि का अनुमान जांच-पड़ताल के पूरा होने पर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) कानून के अनुसार ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। तथापि, इस जांच-पड़ताल को यथा संभव शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

उड़ते विमान में ईंधन भरने की सुविधा

2502. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का विचार उड़ते विमानों में ईंधन भरने की सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो वायुसेना में ईंधन भरने वाले कितने विमान शामिल किए जाने हैं;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना के सभी विमानों में इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु उपस्कर लगाए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उड़ते विमानों में ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारत वायुसेना में छह आई०एल०-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग वायुयान शामिल किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) सूचना प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

मुस्लिम कन्याओं के लिए आई०टी०आई०

2503. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ काउंसिल ने सरकार से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मुस्लिम कन्याओं के लिए आई०टी०आई० भवन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री तट सीमा की सुरक्षा संबंधी चौकसी बढ़ाना

2504. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने समुद्री तट सीमा की सुरक्षा संबंधी चौकसी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है ताकि पश्चिमी तट पर संयुक्त रूप से गश्त लगाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर तटीय सीमा की सुरक्षा करने के अतिरिक्त भार को उठाने हेतु तमिलनाडु को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों द्वारा मछली पकड़ने वाले ट्रालरों को किराए पर लेकर महाराष्ट्र तथा गुजरात के समुद्रतटों की संयुक्त तटीय गश्त की मौजूदा व्यवस्था कारगर नहीं समझे जाने पर तटरक्षक बल की अतिरिक्त क्षमता बढ़ा कर इसे संयुक्त तटीय गश्त करने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाने हेतु इसे अधिक सुदृढ़ करने के लिए रक्षा मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में चार चरणों में 15 अंतरारोधक नौकाओं का अधिग्रहण सम्मिलित

है। गृह मंत्रालय ने 323.16 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी का व्यय वहन करने की पेशकश की है। रक्षा मंत्रालय को अनुमानित राजस्व व्यय वहन करने की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय वर्तमान में इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) सीमापार से गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए देश के तटों के अनुरक्षित होने के मद्देनज़र तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों सहित तटीय राज्यों की सरकारों को तटीय सुरक्षा हेतु संदर्शी योजनाएं बनाने की सलाह दी गई थी जिसके लिए कतिपय सांकेतिक मानदंडों की पहचान करके उन्हें उनके पास भेजा गया था। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु यथाव्यवहार्य सहायता मुहैया कराएगी।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूल की स्थापना

2505. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सैनिक स्कूल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर सरकारी संगठनों को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन स्कूलों को प्रत्येक वर्ष कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है और आज की तारीख के अनुसार देश में स्थानवार ऐसे कितने स्कूल चल रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : : (क) जी, नहीं। देश में रक्षा मंत्रालय के अधीन पांच मिलिटरी स्कूल पहले से ही चलाए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में चलाए जा रहे पांच मिलिटरी स्कूलों को प्रति वर्ष लगभग 6.4 करोड़ रुपए आबंटित किए जाते हैं। ये स्कूल राजस्थान में अजमेर और धौलपुर, कर्नाटक में बेलगाम और बेंगलूर तथा हिमाचल प्रदेश में चैल में चल रहे हैं।

प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि

2506. डा० (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गैस के मूल्यों में 12 प्रतिशत वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस वृद्धि से विद्युत प्रशुल्क में भारी वृद्धि होगी और उर्वरकों पर करोड़ों रुपये की अतिरिक्त राजसहायता का बोझ पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैस के मूल्यों में वृद्धि करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत, गैस और उर्वरकों के आम उपभोक्ताओं पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (च) सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल्यों के संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए श्री के०सी० पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। सरकार मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान देगी तथा मामले पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात इस मुद्दे पर निर्णय लेगी। उर्वरक क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र पर गैस मूल्य में किसी वृद्धि का असर, गैस मूल्य में वास्तविक वृद्धि पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

गोल्डन टेम्पल मेल रेलगाड़ी की दुर्घटना की जांच में विलम्ब

2507. श्री रामजीवन सिंह :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1998 में गोल्डन टेम्पल मेल (जिसे पहले फ्रंटियर मेल के नाम से जाना जाता था) के खन्ना और चौपाल स्टेशन के बीच पटरी से उतर जाने की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस दुर्घटना की जांच पूरा करने में हुए असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जांच को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। न्यायमूर्ति जी०सी० गर्ग आयोग, जिसका गठन इस दुर्घटना की जांच करने के लिए किया गया था, को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) और (घ) दुर्घटना की जांच न्यायायिक आयोग द्वारा की जा रही है, न कि रेलवे प्रशासन द्वारा बहरहाल, आयोग से अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

सिलेण्डर फटने के मामले

2508. श्री राधा मोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस सिलेंडरों के फटने के कारण अनेक मौतें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान हुई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस लीक होने के मामलों का पता चलने के बाद गैस डीलर और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को बचाने हेतु तुरन्त नहीं आती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ङ) क्या रसोई गैस आधारित सभी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु गुणवत्तापरक नियंत्रण संबंधी और अधिक उपाय किये जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2002-03 के दौरान 100 एल०पी०जी० सिलेंडर दुर्घटनाएं सूचित की है, जिनके परिणामस्वरूप 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अधिकांश एल०पी०जी० दुर्घटनाएं ग्राहक द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने या उपभोक्ताओं द्वारा घटिया एल०पी०जी० स्टोवों/गैस ट्यूबों आदि का उपयोग करने से संबंधित होती हैं।

(ग) और (घ) कार्य घंटों के दौरान तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नियुक्त प्रशिक्षित मैकेनिक रिसाव की सारी शिकायतें देखते हैं। तेल विपणन कंपनियां कार्य घंटों के बाद और अवकाश के दिनों में रिसाव की शिकायतें देखने के लिए आपात सेवा प्रकोष्ठों को प्रचालन करती है। तेल विपणन कंपनियों ने चौबीसों घंटें रिसाव की शिकायतें देखने के लिए चुनिंदा स्थानों पर हेल्प लाइनें भी स्थापित की हैं। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और एल०पी०जी० के सुरक्षित उपयोग और ईंधन के संरक्षण के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए नियमित सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा मुद्रण और श्रव्य दृश्य प्रचार माध्यमों के द्वारा एल०पी०जी० प्रयोक्ताओं को सुरक्षा के संदेश भी दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) भरण संयंत्रों में सुपुर्द सिलेंडरों को डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रेषित करने से पहले इनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा के लिए जांच की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे उपभोक्ताओं को प्रत्येक सिलेंडर की सुपुर्दगी करने से पहले उसकी जांच करें।

[अनुवाद]

किसानों को टैंकरों के माध्यम से डीजल की आपूर्ति

2509. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामों में किसानों के द्वार पर डीजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तेल कंपनियों ने हरियाणा में टैंकरों के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करने हेतु प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग किस हद तक सफल रहा है;

(ग) क्या यह योजना अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जुलाई, 2003 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) ने हरियाणा में सिरसा जिले में गांवों में लोगों के द्वार पर डीजल की आपूर्ति के लिए प्रायोगिक आधार पर 9 किलोलीटर (के०एल०) क्षमता वाले एक टैंकर की शुरूआत की है।

(ख) से (घ) प्रारंभिक रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि स्थानीय ग्रामीणों/किसानों ने इस योजना की प्रशंसा की है। उपभोक्ता सेवा में

सुधार उन स्थानों पर डीजल उपलब्ध करवाना जहां इसकी मांग है, तेल विपणन कंपनियों द्वारा किसी ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी क्रिया का भाग है।

कर्नाटक में विद्युत की कमी

2510. **श्री शशि कुमार :**
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विद्युत की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों से कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2002 तथा अप्रैल-जून, 2003 के दौरान कर्नाटक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है–

अप्रैल-जून, 2002				अप्रैल-जून, 2003			
ऊर्जा (मि०यू)		व्यस्ततमकालीन (मेगावाट)		ऊर्जा (मि०यू)		व्यस्ततमकालीन (मेगावाट)	
आवश्यकता	7717	व्यस्ततम मांग	5286	आवश्यकता	8267	व्यस्ततम मांग	5085
उपलब्धता	6797	व्यस्ततम पूर्ति	4346	उपलब्धता	7216	व्यस्ततम पूर्ति	4913
कमी	920	कमी	943	कमी	1051	कमी	172
%	11.9	%	17.8	%	12.7	%	3.4

(ग) कर्नाटक की कोई भी विद्युत परियोजना जो कि गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई थी, विश्व बैंक की सहायता से निर्मित नहीं की गई हैं।

रेलमार्ग की स्थिति के कारण दुर्घटना

2511. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 55 प्रतिशत से अधिक रेल दुर्घटनाएं मानव चूक से होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलगाड़ी चालक बहुधा रेलमार्ग की स्थिति की शिकायत करते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार परिचालन कर्मचारियों द्वारा की गई प्रत्येक शिकातयों पर ध्यान देने के बारे में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने का है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा परिचालन कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के बारे में ध्यान न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में ''कर्मचारियों की विफलता'' के कारण लगभग 60% रेल दुर्घटनाएं हुई, ''रेल कर्मियों से इतर की विफलता के कारण लगभग 25% रेल दुर्घटनाएं हुई। मानव संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रशिक्षण तथा और अधिक प्रभावशाली तथा कुशल पर्यवेक्षण किया जा रहा है।''

(ग) से (छ) रेलपथ की हालत के बारे में ड्राइवरों की शिकायतों के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। रेलपथ में खराबी से संबंधित रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है, उन्हे मंडल नियंत्रण कार्यालय को भेजा जाता है तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक उपाय किए जाते हैं।

यात्रियों को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करना

2512. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम रूप दी गई योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत यात्रियों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों को शामिल किया जाएगा अथवा सभी स्टेशनों की समग्र समीक्षा की जाएगी ताकि सभी स्टेशनों पर यात्रियों को न्यूनतम अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कौन-कौन से स्टेशनों को शामिल किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टेशनों पर सेवाओं में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) चालू वर्ष अर्थात् 2003-04 में भारतीय रेलवे में ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के लिए योजना बनाई गई है जिसमें गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर की सुविधाओं संबंधी विभिन्न क्षेत्रों जैसे, संरक्षा, सुरक्षा, समय-पालन, स्टेशनों और रेल गाड़ियों को साफ करने के लिए आधुनिक प्रणाली के उपयोग से साफ-सफाई में सुधार करना, टिकटों को जारी करने के लिए कंप्यूटरीकरण और सुविधाएं प्रदान करके, धन वापसी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण, आरक्षित टिकटों की इंटरनेट बुकिंग का विस्तार, पूछताछ प्रणाली में सुधार आदि बहुत से उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ) स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है जिन्हें स्टेशन की श्रेणी और निधि की उपलब्धता के आधार पर मुहैया कराया जाता है।

अड्डूर में एल०पी०टी० केन्द्र का अनुरक्षण

2513. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अड्डूर में प्रस्तावित एल०पी०टी० अनुरक्षण केन्द्र शुरू करने में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल के दक्षिणी भाग में एल०पी०टी० केन्द्र के अनुरक्षण के बिना सभी एल०पी०टी० केन्द्र समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) केरल में अड्डूर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अनुरक्षण केन्द्र को स्टॉफ की संस्वीकृति न हो पाने के कारण परिचालित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) केरल के दक्षिणी भाग में स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को कोचीन और तिरूनेल्वेली के अनुरक्षण केन्द्रों द्वारा संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है।

यात्री सूचना और दूरसंचार सुविधाएं

2514. **श्री अनन्त नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों पर यात्री सूचना और दूरसंचार सुविधाओं को बढ़ाने और सुधारने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्री सूचना और दूरसंचार सुविधाओं को बढ़ाने और इनमें और अधिक सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उइाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) कटक और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न सूचना और दूरसंचार सुविधाओं जैसे इंटरेक्टिव वॉयस रिसपांस प्रणाली, मैनुअल इंक्वारी और रेल गाड़ी के समय की सूचना दर्शाने वाले इलैक्ट्रॉनिक प्रदर्श बोर्डों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर स्पर्श स्टल सुविधा की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशनों पर यात्री सूचना और दूरसंचार संबंधी सुविधाएं जो यात्री यातायात और व्यवहार्यता पर निर्भर करती हैं, को बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने के लिए रेलवे का निरंतर प्रयास रहता है। इस सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है।

आकाशवाणी द्वारा कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण

2515. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी बेंगलूर द्वारा अपने विविध भारती के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारित किए जा रहे कन्नड़ कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक नवम्बर, 2002 से कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर कोई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कन्नड़ प्रसारण समय को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी, बंगलौर विविध भारती के माध्यम से विभिन्न प्रारूपों में कन्नड़ में प्रतिदिन कई कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इन कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(i) अपर्णा, (ii) चेतना, (iii) नंदना, (iv) कामना बिल्लू, (v) मिश्रा माधुर्व, (vi) गीतापुष्पा, (vii) इंचारा, (viii) रसगंगे (ix) वृंदावन और (x) नदनीनादा।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 1 नवम्बर, 2002 से प्रतिदिन प्रात: 10.05 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ''कामना बिल्लू'' नामक एक विविध कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसमें फिल्मी गीत, भगवत गीता, भक्ति गीत, नाटक, फीचर, साक्षात्कार और सूचना कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पी०जी०सी०आई० और एन०टी०पी०सी० द्वारा पारेषण लाइनों का बिछाया जाना

2516. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०टी०पी०सी० और पावर ग्रिड कारपोरेशन देश भर में विद्युत उत्पादन केन्द्रों से लेकर विद्युत खपत स्थलों तक पारेषण लाइनें बिछा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एन०टी०पी०सी० और पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे वर्तमान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों संगठनों द्वारा पारेषण लाइनें बिछाते समय और पारेषण टावर बनाते समय मानव बस्तियों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए किए गए सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य करते समय लागू होने वाले नियमों और दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) पावरग्रिड केन्द्रीय सेक्टर उत्पादक केन्द्रों और अन्त:क्षेत्रीय तथा ग्रिड सुदृढ़ीकरण पारेषण लाइनों से सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण करता है। एन०टी०पी०सी० पावर पारेषण लाइनें नहीं बिछाता है।

(ख) उत्पादक परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित की जा रही पारेषण परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय विद्युत नियमावली, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा संगत भारतीय मानकों के अनुसार पावरग्रिड पारेषण लाइनों का निर्माण करता है। पावरग्रिड के पास परिहार तथा सिद्धांत के आधार पर भलीभांति परिभाषित ''पर्यावरणीय समाज नीति तथा पद्धति (ई०एस०पी०पी०)'' विद्यमान है ताकि निर्माणाधीन टावरों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव को समझा जा सके। पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन के समय आवास स्थलों और कृषि भूमि से बचने/नुकसान न होने देने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में विद्युत पारेषण के लिए पारेषण लाइनों के निर्माण के समय पावरग्रिड मार्गाधिकार संरक्षण को ध्यान में रखता है। फसल को नुकसान होने की दशा में किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है।

विवरण

इस समय पावरग्रिड के तहत केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादक केन्द्रों के साथ सहबद्ध पारेषण लाइनें

1.	**टिहरी पारेषण प्रणाली**	
	800 के०वी० टिहरी-मेरठ टीएल-I एस/सी	186
	800 के०वी० टिहरी-मेरठ टीएल-II एस/सी	184
	400 के०वी० मेरठ-मुजफ्फरनगर पारेषण लाईन	36
2.	**ऊंचाहार पारेषण प्रणाली**	
	220 के०वी० डीसी/पनकी-नौबस्ता एलआईएलओ लाईन	30
3.	**धौलीगंगा पारेषण प्रणाली**	
	400 के०वी० डी/सी धौलीगंगा (एनएचपीसी)-बरेली (यूपीपीसीएल) लाईन	481
4.	**चमेरा-II पारेषण प्रणाली**	
	400 के०वी० एस/सी चमेरा-I का एलआईएलओ-चमेरा-2 में किशनपुर लाइन	70
5.	**दुलहस्ती कम्बाइंड ट्रांसमिशन प्रणाली**	
	400 के०वी० डी/सी किशनपुर-थाथेर लाईन	210
	400 के०वी० डी/सी थाथेर-वगूरा लाईन	158

6. रिहन्द-II पारेषण प्रणाली

400 के०वी० डी/सी रिहंद-इलाहबाद लाइन 596

400 के०वी० डी/सी इलाहाबाद-कानपुर लाईन 406

400 के०वी० डी/सी कानपुर-मैनपुरी लाईन 404

400 के०वी० एस/सी पुरूलिया-मलेरकोटला पटियाला और कैथल में नालागढ़ हिसार का एलआईएलओ 146

मैनपुरी-बल्लभगढ़ लाईन 460

7. तारापुर-3 और 4 पारेषण प्रणाली 330

400 के०वी० डी/सी तारापुर 3 व 4-बायसोर पारेषण लाईन 24

400 के०वी० डी/सी तारापुर 3 व 4-पड़धे पारेषण लाईन 216

220 के०वी० डी/सी तारापुर 3 व 4-बायसोर पारेषण लाईन 12

400 के०वी० एस/सी गांधार-पड़धे का एलआईएलओ 68

400 के०वी० एस/सी गांधार-पड़धे का वापी में एलआईएलओ 10

8. 400 के०वी० डी/सी कैगा-नरेन्द्रा टीएल 220

9. रामागुण्डम III पारेषण प्रणाली

400 के०वी० डी/सी रामागुण्डम-हैदराबाद लाइन 392

400 के०वी० एस/सी हैदराबाद-कर्नूल-गुटी लाईन 307

400 के०वी० एस/सी गुटी-नीलमंगला लाईन 254

400 के०वी० एस/सी खम्माम-नागार्जुन सागर लाईन 145

10. ताला एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली को पूर्वोत्तर इंटरकनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली

400 के०वी० ताला-सिलीगुडी लाईन-I 194

400 के०वी० ताला-सिलीगुडी लाईन-I 234

सिलीगुड़ी में मालदा-बोंगईगांव 400 केवी का एल आईएलओ 12

पूर्णिया में मालदा-बोंगईगांव 400 केवी का एलआई एलओ 124

400 केवी डी/सी गोरखपुर (पावरग्रिड)-गोरखपुर (यूपीपीसीएल) 50

400 केवी डी/सी लखनऊ-उन्नाव 140

न्यू एस/एस दिल्ली में दादरी-बल्लभगढ़ 400 केवी डी/सी का एलआईएलओ 80

400 केवी डी/सी सिलीगुड़ी-पूर्णिया (क्वाड कंडक्टर) 324

400 केवी डी/सी पूर्णिया-मुजफ्फरपुर (क्वाड कंडक्टर) 484

400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर (क्वाड कंडक्टर) 466

400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर(न्यू)-मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) 40

400 केवी डी/सी गोरखपुर-लखनऊ (द्वि बंडल) 554

400 केवी डी/सी बरेली-मंडोला (द्वि बंडल) 474

11. 132 केवी रंगानदी-जीरो टीएल 40

रेलवे पुलों की मरम्मत हेतु योजना

2517. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस वर्ष के भीतर पुलों की मरम्मत के लिए योजना तैयार करने के लिए वर्ष 1988 तक प्रत्येक जोनल रेलवे में विशेष प्रकोष्ठ के सृजन और विस्तृत तकनीकी निरीक्षण हेतु पृथक प्रकोष्ठ के सृजन के बारे में रेलवे सुधार समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जोनल रेलवे प्रशासनों के पास पुलों के निर्माण वर्ष के बारे में सूचना नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेल सुधार समिति द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी। बहरहाल, रेल सुधार समिति (अप्रैल, 1982) की सिफारिश पर रेल मंत्रालय द्वारा पुराने रेल पुलों के पुर्ननिर्माण पर एक उप समिति बनाई गई है। उप समिति ने अपनी 1988 की रिपोर्ट में सिफारिश की है कि रेलवे पुलों के पुर्ननिर्माण संबंधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। उप समिति की दूसरी सिफारिश एक निरीक्षण संगठन के सृजन के

लिए थी जो कि मुख्य पुल इंजीनियर के तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

पुनर्स्थापन संबंधी कार्य संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर किए जाते हैं और इसमें 2001 में स्थापित विशेष रेल संरक्षा निधि के गठन के बाद काफी बढ़ोत्तरी हुई। यह भी विनिश्चय किया गया है कि मौजूदा संगठन के द्वारा ही निरीक्षण किया जाएगा और पहले के बने स्टील गर्डरों तथा डिस्ट्रेस्ड पुलों इत्यादि के निरीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए।

(घ) और (ङ) लाइन के चालू होने के वर्ष को ही पुलों के निर्मित होने का वर्ष माना गया है। तदनुसार, पुल निरीक्षण रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है।

भटिंडा में गोला बारूद डिपो

2518. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने 5 नवंबर, 2001 को अधिसूचित किया था कि भटिंडा, पंजाब में गोला बारूद डिपो से दो हजार गज के क्षेत्र को भवनों/ढांचों से मुक्त रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिसूचना से इस क्षेत्र के भीतर आने वाली घनी आबादी वाली आवासीय कालोनियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थलों, धार्मिक और शिक्षण संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोल्लिखित सभी स्थापनाओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या पश्चिमी कमान को इस दूरी को 1200 गज तक करने की शक्ति प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस दूरी को बिल्कुल समाप्त न करने के क्या कारण हैं ताकि अनेक लोगों के जीवन में बाधा न पड़े और मुआवजा संबंधी सरकारी खर्च को बचाया जा सके?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय इससे कोई वैध मौजूदा निर्माण प्रभावित नहीं होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मुआवजे के मूल्यांकन के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आश्रम स्कूल

2519. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित आश्रम स्कूलों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) ठीक ढ़ंग से काम कर रहे और काली सूची में शामिल किए गए गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं और राज्य-वार काली सूची में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इस समय राज्य-वार कौन-कौन सी और कितनी कम्प्यूटर संस्थाएं चलाई जा रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना संबंधी योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। मंत्रालय आश्रम स्कूलों के लिए भवन निर्माण हेतु राज्य सरकारों को 50:50 की भागीदारी के आधार पर निधियां उपलब्ध कराता है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कंप्यूटर संस्थाओं के राज्यवार नाम और संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कंप्यूटर संस्था का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नव भारत सोसिओ-एकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, अनन्तपुर
2.	आंध्र प्रदेश	सोसाइटी फॉर वेलफेयर अवेकनिंग एंड रूरल इन्वायरमेंट, अनन्तपुर
3.	आंध्र प्रदेश	नवोदय सेवा संगम, महबूबनगर
4.	असम	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नगांव

1	2	3
5.	गुजरात	विद्या भारती एजूकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, राजकोट
6.	जम्मू और कश्मीर	सेन्टर फॉर स्लॅम डेवलपमेंट, पुलवामा
7.	जम्मू और कश्मीर	हिलाल इंस्टीट्यूट, अनन्तनाग
8.	कर्नाटक	सोसल, एजूकेशनल एंड वोकेशनल एसोसिएशन (सेवा), रायचूर
9.	मध्य प्रदेश	शान्ति निकेतन शिक्षा प्रसार समिति, मोरेना
10.	मध्य प्रदेश	सेवा भारती, उज्जैन, सुसनेर, महिदपुर, बुद्धनगर
11.	मध्य प्रदेश	लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास, उज्जैन
12.	मध्य प्रदेश	विवेकानन्द समाज सेवा संस्थान, भिंड
13.	मध्य प्रदेश	सेवा भारती मध्य भारत, भोपाल
14.	महाराष्ट्र	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर
15.	महाराष्ट्र	बाल विकास महिला मंडल, संभाजी नगर, लातूर
16.	महाराष्ट्र	श्री सेवा दास शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड़
17.	महाराष्ट्र	के०आई०बी०बी०टी०यू०एस०, पुणे
18.	महाराष्ट्र	कागल एजूकेशन सोसाइटी, कोल्हापुर
19.	महाराष्ट्र	ग्राम विकास संस्थान, भंडारा
20.	महाराष्ट्र	वांगेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला
21.	महाराष्ट्र	क्रान्ति ज्योति सावित्री बाई महिला बहुद्देश्यीय संस्थान, जलगांव
22.	महाराष्ट्र	स्वामसिद्ध महिला विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, अहमदनगर
23.	महाराष्ट्र	नेशनल फ्रेन्ड्स एसोसिएशन, पुणे
24.	महाराष्ट्र	जय महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, औरंगाबाद
25.	उड़ीसा	एसोसिएशन फॉर सोसल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टीविटीज, कटक
26.	उत्तर प्रदेश	विविधा, लखनऊ
27.	उत्तरांचल	उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, चमोली

छत्तीसगढ़ में रेल लाइन बिछाना

2520. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने छत्तीसगढ़ में रायपुर-खरैरा-पलारी-बलैदा बाजार-रसगौल-सरसीवा-सारंगगढ़-झागसुगरा रेलमार्ग के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) रायपुर से-झागसुगडा तक नई लाइन के लिए टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 310 कि०मी० लम्बी नई लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित 1060.27 करोड़ रुपए आंकी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा अभियान

2521. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे पर रेलगाड़ियों के बेहतर रख-रखाव के लिए दबाव बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने एक मासिक सुरक्षा अभियान की शुरूआत की है जिसके दौरान ड्राइवरों की नजदीक से निगरानी की जाएगी और ब्रेकों के कार्य करने पर नजर रखी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसमें सरकार किस सीमा तक सफल रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर रेलपथ अनुरक्षण संबंधी कार्यकलाप सुव्यवस्थित है। चल स्टॉक (रेल इंजन, सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे) संबंधी कार्य निर्धारित अनुसूची तथा आवश्यकता आधारित अनुरक्षण के तहत निवारक रख-रखाव के लिए किया जाता है। बहरहाल, अनुचित रख-रखाव

के कारण अनुभव तथा रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर चिह्नित कमियों यदि कोई हैं, को दूर करने के लिए तथा अनुरक्षण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ख) से (घ) मंडल/क्षेत्रीय रेलवे/भारतीय रेलों पर संरक्षा संबंधी अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं। हाल ही में, एक महीने तक संरक्षा संबंधी अभियान चलाया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

प्राथमिक तथा गौण अनुरक्षण के बाद कोचिंग रेकों की अचानक जांच, ब्रेक पावर प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद कोचिंग तथा माल स्टॉक के ब्रेक पावर की अचानक जांच, ब्लॉक्ज परीक्षणों सहित ब्रेक प्रणाली पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ रेल इंजन का रख-रखाव, ब्लॉकेज परीक्षणों के निष्पादन की गहन निगरानी, ड्राइविंग क्यूज के निष्पादन की गहन निगरानी, ड्राइवरों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा, मार्ग में सचल श्वांस परीक्षण मशीनों के जरिए श्वांस परीक्षण जांचे इत्यादि अभियान के नतीजों के आधार पर यदि जरूरी हुआ तो आवश्यक निवारक उपाय भी उठाएं जाएंगे।

मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की स्थापना

2522. **श्री के० येरननायडू :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना सेनाकर्मियों और उनके परिवारों के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए अन्य कौन-से कल्याणकारी उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना कल्याण शिक्षा समिति समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय है जिसने दंत चिकित्सा, इंजीनियरी, विधि, प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा शिक्षा के क्षेत्र में सेना कार्मिकों के आश्रितों/युद्ध विधवाओं के लिए व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की है।

(ख) सेना कल्याण शिक्षा समिति के तत्वाधान में चलाए जा रहे सेना दंत चिकित्सा कॉलेज तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों का ब्यौरा निम्नवत् है :

(i) सेना दंत चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, सिकंदराबाद;

(ii) राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता;

(iii) प्रबंध अध्ययन संकाय, जबलपुर;

(iv) सेना विधि संस्थान, मोहाली;

(v) सेना होटल प्रबंधन तथा भोजन प्रबंध प्रौधोगिकी संस्थान, बेंगलूर;

(vi) सेना शिक्षा केंद्र, पंचमढ़ी;

(vii) सेना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे;

(viii) सेना शिक्षा संस्थान, दिल्ली

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चिकित्सा

सेवारत कार्मिकों के लिए अस्पतालों का एक अच्छा संगठन है। सभी सैन्य अस्पतालों में सेवारत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की रोजमर्रा की चिकित्सा जरूरतों का उपचार किया जाता है।

विशेष चिकित्सा उपचार

(क) रिसर्च और रैफरल अस्पताल : विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार की जरूरत वाले सेवारत सैनिकों के लिए नई दिल्ली में एक सुपर विशेषज्ञ अस्पताल उपलब्ध है।

(ख) अधरांगघात पुनर्वास केंद्र : निशक्त सैनिकों के पुनर्वास हेतु किरकी तथा मोहाली में दो अधरांगघात पुनर्वास केन्द्र उपलब्ध हैं।

(ग) संत डंस्टन ऑफ्टर केयर संगठन : यह संगठन दृष्टि-बाधित सेवारत कार्मिकों को दृष्टि बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून में प्रशिक्षण मुहैया कराता है।

(घ) कृत्रिम अंग केंद्र : निशक्त सैनिकों को बनावटी अंग मुहैया कराने के लिए पुणे में एक कृत्रिम अंग केंद्र है।

2. अब, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम नाम से एक चिकित्सा स्कीम मंजूर की गई है सिजमें निशक्तता पेंशन तथा परिवार पेंशन-धारियों सहित किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे भूतपूर्व सैनिकों और उनकी पत्नी/पति तथा वैध बच्चों तथा पूर्णतया आश्रित माता-पिता को व्यापक चिकित्सा कवर मुहैया कराने के लिए व्यवस्था है। इस स्कीम में सैन्य स्टेशनों में 104 संवर्धित जांच कक्ष तथा गैर-सैन्य स्टेशनों में 123 नए पॉलिक्लीनिकों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह अंशदायी प्रकृति की योजना 1 अप्रैल, 2003 से शुरू की गई है तथा मार्च 2008 तक यह पूर्णतया लागू हो जाएगी।

3. फिलहाल, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के शुरू होने तक सेवा अस्पताल पात्रता उपचार जारी रखेंगे तथा सेना सामूहिक बीमा

विस्तारित चिकित्सा योजना तथा चिकित्सा उपचार के लिए एजी की कल्याण निधि और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से वित्तीय सहायता तथा चिकित्सा उपचार भी जारी रखी जाएंगी।

वित्तीय सहायता

4. वृद्धों, अशक्तों, पुत्रियों का विवाह, मकानों की मरम्मत, चिकित्सा उपचार आदि के लिए भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा उनके आश्रित सदस्यों को रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि तथा सेना समूह कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा

5. दूर-दराज के क्षेत्रों में नियुक्त/तैनात सेना कार्मिकों के बच्चों को स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए 116 आर्मी स्कूल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वायुसेना ने वायु सैनिकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधा मुहैया कराने के लिए अधिकांश यूनिटों में 148 स्कूलों की स्थापना की है तथा नौसेना ने 9 नौसेना पब्लिक स्कूलों की स्थापना की है। वायुसेना पत्नी कल्याण संघ द्वारा मानसिक तथा शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के लिए 7 स्कूलों की स्थापना की गई है।

शैक्षिक रियायतें

6. युद्ध में वीरगतिप्राप्त अथवा कार्रवाई के दौरान पूर्णरूप से निशक्त हो गए रक्षा कार्मिकों के शिक्षा विभाग के अधीन संस्थानों में पढ़ रहे बच्चे को सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा संस्था द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों से पूर्ण छूट दी जाती है।

7. सेना, नौसेना तथा वायुसेना द्वारा सेवारत सैनिकों के आश्रितों को गुणावगुण तथा साधनों के आधार पर शैक्षिक छात्रवृत्तियों प्रदान की जाती हैं।

8. सेवारत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अन्नामलाई विश्वविद्यालय में एम०बी०बी०एस० में 28, बी०डी०एस० में 1, इंजीनियरिंग में 2 तथा सात आई०आई०टी० में दो-दो सीटें (संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर) मुहैया करायी जाती हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

9. तीनों सेना मुख्यालय अपने से संबंधित सेवारत सैनिकों के लिए, उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, सेवानिवृति के बाद पुनर्वास हेतु, विभिन्न सिविल संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं।

आवास

10. सेना कल्याण आवास संगठन सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों को चुनिंदा स्टेशनों में उचित लागत पर सीमित संख्या में मकान मुहैया कराता है। वायुसेना, नौसेना हाउसिंग बोर्ड द्वारा वायुसेना तथा नौसेना कार्मिकों को इसी प्रकार की आवासीय सुविधाएं मुहैया कराई जाती है।

11. विभिन्न राज्य सरकारों ने गृह स्थलों/गृहों के आबंटन में सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों/आश्रितों को आरक्षण दिया हुआ है।

12. अपनी पढ़ाई चालू रखने के लिए युद्ध पीड़ितों के आश्रितों तथा निशक्त कार्मिकों को आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए 37 युद्ध स्मारक हॉस्टलों का निर्माण किया गया है।

ट्रांजिट सुविधाएं

13. ड्यूटी पर अथवा छुट्टी जाने/छुट्टी से आने पर सेवारत व्यक्तियों के रुकने के लिए 252 से अधिक सैनिक आराम गृहों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, चुनिंदा स्टेशनों पर भी 15 अवकाश गृहों की स्थापना की गई है।

14. जम्मू-कश्मीर के लेह सेक्टर से ड्यूटी संबंधी यात्रा करने अथवा छुट्टी पर जाने और आने के लिए सेवारत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को हवाई यात्रा मुहैया करायी जाती है।

15. कतिपय वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की पत्नियों को एक अन्य साथी के साथ इंडियन एअरलाइंस की घरेलू उड़ानों में यात्रा भाड़ा में तथा रेल भाड़ा में 75% की रियायत दी जाती है।

कैंटीन सुविधाएं

16. कैंटीन स्टोर विभाग तथा यूनिट चालित कैंटीनों के माध्यम से सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों को रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं रियायती दरों पर मुहैया करायी जाती है।

मनोरंजन संबंधी सुविधाएं

17. सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिए अधिकांश सैन्य स्टेशन ऑडिटोरियमों (इंडोर/आऊटडोर) से सुसज्जित हैं सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिए सभी सैन्य स्टेशनों पर खेल-कूद संबंधी पर्याप्त सुविधाएं भी मुहैया करायी जाती हैं।

चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2523. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपनी चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) कर्नाटक में कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और उनकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(च) कर्नाटक को परियोजनाओं का पूरा करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में अब तक दी गई सहायता/ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(छ) विद्युत संकट को दूर करने में ये परियोजनाएं किस सीमा तक लाभदायक है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि० कर्नाटक सरकार (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) की विद्युत उत्पादन कंपनी ने अपनी चालू विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की मांग नहीं की है।

(घ) से (छ) राज्य में के०पी०सी०एल० द्वारा क्रियान्वित की जा रही निर्माणाधीन और नई परियोजनाएं निम्नवत हैं–

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	अलमाटी बांध विद्युत गृह	290
2.	बेल्लारी थर्मल पावर प्लांट	500
3.	बिदादी कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट	1400
4.	रायचुर थर्मल पाधर स्टेशन यूनिट-8	210
5.	वाराही चरण-II	230
	कुल	2630

कर्नाटक में राज्य क्षेत्र में 10वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में बेल्लारी और अलमाटी परियोजनाएं सम्मिलित हैं। 10वीं योजना में मूल लक्ष्य में किसी कमी को पूरा करने के लिए, राचयूर और बिदादी में बैक-अप परियोजनाओं के रूप में 1610 मेगावाट तक की अतिरिक्त क्षमता पर विचार किया जा रहा है।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने अलमाटी बांध विद्युत गृह और बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र के लिए कुल 2012 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। अलमाटी बांध विद्युत गृह हेतु 500 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि में से अब तक 105 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र के लिए सिद्धांत रूप में 1512 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके लिए कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि० ने अभी प्रलेखन पूरा करना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत (न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के) कैगा परमाणु विद्युत केन्द्र (220 मेगावाट) भी निर्माणाधीन है और 2006-07 तक शुरू किया जाएगा।

लकड़ी के स्लीपरों की खरीद

2524. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अब भी लकड़ी के स्लीपरों की खरीद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या लकड़ी के स्लीपरों में लगे क्लिप धीरे-धीरे ढीले हो जाते हैं जिससे रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं अक्सर हुआ करती है;

(ग) यदि हां, तो लकड़ी के स्लीपरों की खरीद के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में रेलवे द्वारा अब तक कितनी मात्रा में लकड़ी के स्लीपरों की खरीद की गई; और

(ङ) इस पर कितना व्यय किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग तकनीकी कारणों से स्टील गर्डर पुलों तथा अन्य विर्निदिष्ट स्थलों जैसे गैर-मानक टर्न आउट्स, डायमंड क्रासिंग्स तथा परिसर लेआउट्स में ही किया जाता हैं। लकड़ी के स्लीपरों का उपयोग स्टील गर्डर पुलों तथा विर्निदिष्ट स्थलों पर किया जाता है जो कि समस्त विश्व में एक सुव्यवस्थित मानक प्रक्रिया है। अत: रेलवे न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे स्थलों पर उपयोग के लिए लकड़ी के स्लीपरों की खरीद कर रही है।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल 13444 क्यूबिक मीटर लकड़ी के स्लीपरों की खरीद की गई है। वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कोई खरीद नहीं की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, अगले दो वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 40,000 क्यूबिक मीटर लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए एक निविदा फिलहाल बोर्ड के विचाराधीन है।

(ङ) वर्ष 2002-03 में 13,444 क्यूबिक मीटर साल की लकड़ी के बने विशेष स्लीपरों की खरीद पर कुल 23,84,61,463.00 रु०

(तेइस करोड़, चौरासी लाख इकसठ हजार चार सौ तरेसठ रु०) खर्च हुए हैं।

पावरग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों का निजीकरण

2525. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पावरग्रिड ट्रांसमिशन लाइनों के निजीकरण पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन राज्य विद्युत बोर्डों के निजीकरण पर भी गंभीरता से विचार कर रही है जो संतोषप्रद ढंग से काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) पावरग्रिड की वर्तमान पारेषण लाइनों के निजीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, इनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए पावरग्रिड नई पारेषण लाइनों/इंटरकनेक्शनों के निर्माण में निजी क्षेत्र को निवेश का प्रबंध कर रहा है। पावरग्रिड ने ताला एच०ई०पी०, पूर्वी-उत्तरी इंटरकनेक्टर तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अंतर्गत कुछ पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स टाटा पावर के साथ एक संयुक्त उद्यम गठित किया है। पावरग्रिड ने एक पायलट परियोजना, अर्थात् बिना-नागदा-देहगाम पारेषण लाईन भी अभिज्ञात की है जिसका कार्यान्वयन स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनी (आई०पी०टी०सी०) के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) और (घ) वितरण क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए राज्यों में विद्युत के वितरण का निजीकरण किया जाना एक विकल्प के रूप में अपेक्षित है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन

2526. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री प्रदीप यादव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और झारखंड में योजना-वार, कितने लोगों के लिए पेंशन स्वीकृत की गई है;

(ख) लाभार्थियों की पहचान और पेंशन स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) इन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल कितनी राशि देय है;

(घ) क्या पहचान किए गए लाभार्थियों को प्रति माह नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाखों लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/जाने वाले हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क आवासीय विद्यालय

2527. **श्री मानसिंह पटेल :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और छात्राओं के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नि:शुल्क आवासीय विद्यालयों को खोलने की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने हेतु एक योजना पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमान 2003-04 में 10.00 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

रूसी टीम का दौरा

2528. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग (बॉइसॅन) इंजन में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के मद्देनजर मिग विमानों के मूल निर्माता मिग मैपों की ओर से एक रूसी टीम ने मई, 2003 में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच०ए०एल०), नासिक का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रूसी टीम द्वारा क्या निर्णय किया गया; और

(घ) इन विमानों को ऑपरेशनल ड्यूटी पर आई०ए०एफ० के हाथों में सौंपे जाने से पहले विस्तृत जांच-पड़ताल और व्यापक परीक्षण उड़ान घण्टों के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्रभाग द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी के अनुसार आवश्यक जांच तथा नियमित उड़ान परीक्षण किए जा रहे हैं। तत्पश्चात्, विमानों को भारतीय वायु सेना के बेसों में नियमित उड़ान के लिए शामिल किए जाने से पहले उनकी स्वीकार्यता के लिए नासिक में ग्राहक पायलटों द्वारा परीक्षण उड़ान भरी जाती है।

केन्द्रीय समन्वय समिति

2529. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्सन विद डिसएबिलिटी (पी०डब्ल्यू०डी०) एक्ट, 1995 की नीति निर्धारक निकाय केन्द्रीय समन्वय समिति की बैठक छह महीने में एक बार होने की बजाय इसकी अब तक केवल एक बार बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय समन्वय समिति (सी०सी०सी०) के वर्ष 1997 में प्रारंभिक गठन से इसकी छः बैठकें हुई हैं।

'एम्पलॉमेण्ट न्यूज़' में झूठे विज्ञापन

2530. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी संस्थानों द्वारा रोजगार मुहैया कराने के कुछ झूठे विज्ञापनों के 'एम्पलॉयमेण्ट न्यूज़' में छपने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-2003 के दौरान और आज की तारीख में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए; और

(ग) ऐसे झूठे विज्ञापनों को छापने के लिए निजी संस्थानों और 'एम्पलॉयमेण्ट न्यूज़' के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मैसूर द्वारा जारी किए जाने वाले एक विज्ञापन को रोजगार समाचार के 5-11 अप्रैल, 2003 के अंक में प्रकाशित किया गया था। तथापि, बारीकी से इसकी जांच किए जाने पर यह पाया गया कि उक्त विज्ञापन-दाता एक असली संगठन नहीं है। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त दायित्व के निर्धारण हेतु एक प्रशासनिक जांच कराई गयी है।

रिक्त पदों को भरा जाना

2531. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से रेलवे में सुरक्षा श्रेणियों के 20000 पद रिक्त पड़े हुए है;

(ख) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटना को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य मात्र से रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 3500 कांस्टेबलों को नियोजित करने के अलावा इन रिक्तियों को भरने का निर्णय किया है;

(ग) क्या दुर्घटना के प्रमुख कारकों में मानवीय विफलता ही पाई गई है;

(घ) रेलवे सुरक्षा के नाम पर पहले से ही अधिक संख्या में नियुक्त श्रमशक्ति और वित्तीय संकट के बावजूद बड़ी संख्या में कार्मिकों की भर्ती के द्वारा रेलवे की पटरियों की तोड़-फोड़ की बढ़ती घटनाओं से किस तरह जूझने की योजना है;

(ङ) क्या रेलवे ने अपनी पुरानी और समय से अधिक चल चुकी परिसम्पत्तियों को समय सीमा के भीतर बदलने का भी निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) शरारती गतिविधियों से रेलपथ और पुलों की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकार को संवैधानिक जिम्मेदारी है। बहरहाल, यात्रियों की संरक्षा के दृष्टिगत रेलवे ने तोड़-तोड़ संभावित खंडों पर गश्त लगाने का विनिश्चय किया है। इसमें पहचाने गए पुलों पर चौकीदार की तैनाती और चिन्हित खंडों पर रेल सुरक्षा बल और गैंगमैन के संयुक्त दल द्वारा औचक चल गश्त लगाना शामिल है। रेलपथ संरक्षा के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल अधिकारियों की राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) जी हां।

(च) रेलपथ, पुलों, चल स्टॉक और सिगनलिंग गियरों जैसी गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव के बकाया कार्यों को छह वर्षों की निर्धारित समयावधि में समाप्त करने के लिए एक व्यपगत न होने वाली 17,000 करोड़ रुपए की विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का अक्तूबर, 2001 से उपयोग हो रहा है।

9वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

2532. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान भारत में विद्युत क्षेत्र में हुए कुल विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान भारत को विदेशी मदद के रूप में कोई सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जुबली और कोको पम्पस पर एम०एस०/ एच०एस०डी० की स्टॉक हानि

2533. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंजीडेंट आफीसर्स द्वारा पायी गयी पूरे देश में प्रत्येक जुबली और कोको पम्पस पर एम०एस० और एच०एस०डी० की वास्तविक स्टॉक हानि का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या बाहर स्थित ऐसे पेट्रोल पंपों के आपरेटरों व ठेकेदारों को वास्तविक भुगतान आदेश/ड्राफ्ट प्रशुल्क का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल निगमों द्वारा ऐसे पंपों पर स्टॉक रोकड़ आदि का बीमा किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो आग और लूट के कारण होने वाली हानियों हेतु क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या आप्रेटरों के पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत वेतन और मजदूरी खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) आयल कार्पोरेशनों ने अधिकांश जुबिली तथा कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कार्य ठेकेदार नियुक्त किए हैं, जो मानवशक्ति उपलब्ध करा रहे हैं तथा दिन प्रतिदिन के प्रचालनों की देखभाल कर रहे हैं। नीतिवश इन तेल कार्पोरेशनों के द्वारा वहन की गई अनुमेय स्टाकगत हानि एम०एस० के लिए 0.59 प्रतिशत तक तथा एच०एस०डी० के लिए 0.15 प्रतिशत तक है। अनुमेय सीमा के अतिरिक्त कोई हानि कार्य ठेकेदार के लेखे के नामे डाली जाती है।

(ख) ठेकेदार द्वारा उपगत वास्तविक बैंक गारंटी प्रभारों/डी०डी० प्रभारों/की अदायगी उन्हें तेल कार्पोरेशन दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। बी०पी०सी०एल० के सिवाए अन्य तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम०सीज) के कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्टाक एवं नकदी इत्यादि का आग दुर्घटना, लूट, इत्यादि के प्रति बीमा होता है। चूंकि बी०पी०सी० एल० केवल नकदी का बीमा करती है, इसलिए आग एवं लूट के कारण स्टाक इत्यादि से संबंधित हानियों का उत्तरदायित्व स्वयं कारपोरेशन का होगा।

(ङ) और (च) कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन योजना के अनुसार पारिश्रमिक को उद्योग आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। इस पारिश्रमिक में खुदरा बिक्री केन्द्र पर कार्यरत कामगारों के वेतन, मजदूरियों के विषय में संबंधित राज्यों में लागू न्यूनतम मजदूरियों के अनुसार ध्यान रखा जाता है।

सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना

2534. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) उन क्षेत्रों और राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां मीटर लगाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ग) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाए जाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या शत प्रतिशत विद्युत उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो 31 मार्च, 2003 के अनुसार राज्यों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा इस योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) जी नहीं। जिन राज्यों में उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने का कार्य पूरा नहीं हुआ है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ग) दिसम्बर, 2004 तक।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपरोक्ता/फीडर मीटरों की व्यवस्था के लिए त्वरित विद्युत/विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को स्वीकृत/संवितरित राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं। विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा धनराशि का संवितरण यूटिलिटियों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाता है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	अरूणाचल प्रदेश
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	जम्मू और कश्मीर
9.	झारखण्ड
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	मिजोरम
15.	नागालैण्ड
16.	उड़ीसा
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	सक्किम
20.	तमिलनाडु
21.	त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश
23.	उत्तरांचल
24.	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

राज्यों को स्वीकृत/संवितरित निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	पीएफसी (संवितरित)	आरईसी (संवितरित)	एपीडीआरपी (स्वीकृत)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34.34	362.54	193.32
2.	बिहार	—	—	87.035
3.	छत्तीसगढ़	0.82	—	37.31

1	2	3	4	5
4.	दिल्ली	—	—	54.115
5.	गोवा	—	—	12.48
6.	गुजरात	1.68	69.66	130.215
7.	हरियाणा	19.60	64.47	70.65
8.	झारखण्ड	—	—	42.62
9.	कर्नाटक	319.14	43.65	168.655
10.	केरल	—	65.70	29.345
11.	मध्य प्रदेश	214.03	—	34.905
12.	महाराष्ट्र	59.16	235.60	132.00
13.	उड़ीसा	—	—	69.54
14.	पंजाब	—	40.14	125.375
15.	राजस्थान	148.36	122.52	48.205
16.	तमिलनाडु	293.95	—	90.585
17.	उत्तर प्रदेश	116.16	28.00	13.025
18.	पश्चिम बंगाल	61.76	—	30.37
19.	असम	—	—	70.86
20.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	18.19
21.	हिमाचल प्रदेश	8.21	—	25.32
22.	जम्मू व कश्मीर	—	—	6.99
23.	मणिपुर	—	4.41	5.10
24.	मेघालय	—	—	7.96
25.	मिजोरम	—	—	2.47
26.	नागालैंड	—	—	11.17
27.	सिक्किम	—	—	6.38
28.	त्रिपुरा	—	—	12.27
29.	उत्तरांचल	—	—	61.84
	कुल	1277.21	1036.69	1598.30

तमिलनाडु के पन विद्युत केन्द्र का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

2535. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण हेतु चिन्हित तमिलनाडु के पन विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्रवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) भारत सरकार द्वारा तलिमनाडु के 21 विद्यमान जल विद्युत स्टेशनों को नवीकरण, आधुनिकीकरण, उच्चीकरण और जीवन विस्तार किये जाने हेतु अभिज्ञात किया गया है। इन जल विद्युत स्टेशनों की सूची उनकी अधिष्ठापित क्षमता समेत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उपरोक्त 21 जल विद्युत स्टेशनों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के पूरा होने के पश्चात छः (6) जल विद्युत स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता 343 मे०वा० से बढ़कर 407.5 मे०वा० हो जाने की प्रत्याशा है। स्टेशनवार अधिष्ठापित क्षमता अभिवृद्धि संलग्न विवरा-III में दी गई है।

विवरण-I

तमिलनाडु में नवीकरण आधुनिकीकरण उच्चीकरण और जीवन विस्तार हेतु अभिज्ञात किये गये जल विद्युत स्टेशन

क्रम सं०	विद्युत स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (यूनिटों की संख्या × मे०वा. में प्रत्येक यूनिट की क्षमता)
1	2	3
	VIII योजना	
1.	करदमपराई	4×100
2.	कुंडा-III	3×60
3.	मोयार	3×12
4.	शोलयार-I	2×35

1	2	3
	X वीं योजना	
5.	मेत्तूर बांध पीएच	4×10
6.	पापनासम	4×7
7.	पाइकारा	3×6.65 + 1×11 + 2×14
8.	शोलयार-I	2×35
	XI वीं योजना	
9.	अलियार	1×60
10.	कोडयार पीएच-1	1×60
11.	कोडयार-II	1×40
12.	कुंडा चरण-I	3×20
13.	कुंडा चरण-II	5×35
14.	कुंडा चरण-III	3×60
15.	कुंडा चरण-4	2×50
16.	कुंडा चरण-5	2×20
17.	मेत्तूर टनल	4×50
18.	मोयार	3×12
19.	पेरियार	4×35
20.	सरकारपथी	1×30
21.	शोलयार-II	1×25

विवरण-II

तमिलनाडु में विद्यमान जल विद्युत स्टेशनों के नवीकरण आधुनिकीकरण उच्चीकरण और जीवनविस्तार की वर्तमान स्थिति

क्रम सं०	स्कीम, आरंभ का वर्ष टीजी यूनिटों का प्रकार, अधिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत करोड़ रु० में (वास्तविक लागत)	स्कीम श्रेणी	प्रत्याशित लाभ		पूरा करने वर्ष	वर्तमान स्थिति
				मे०वा	मि०यू०		
1	2	3	4	5	6	7	8
	आठवीं योजना की स्कीमें						
1.	कदमराई, तमिलनाडु 1987-88 बोकिंग, यू०के० (यू-1)-(टी) जीईसी, यू०के० (यू-1) भेल (यू-2, 3 व 4) (टी) और (जी) 4×100 मेगावाट	23.17 (33.69)	आर०ई०एस०	200 (आर०ई० एस०)	61	1993-95	पूरी हो गई
2.	कुंडा-3, तमिलनाडु 1965-78 वेंकावूर (यू-1 व 2) (टी) डॉमिनियन (यू-3) (टी) डब्ल्यू० हाऊस (यू-1 व 2) (जी) 3×60 मेगावाट	5.45 (3.20)	आर एंड एम	–	8.12	1991-92	पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मोयर तमिलनाडु 1952-53 बोविंग, यू०के० (टी) वीकर्स, यू०के० (टी) 3x12 मेगावाट	1.62 (1.30)	आरएम एंड एलई	36.0	115.0	1990-91	पूरी हो गई
4.	शोलयार-1 1971 लिस्तोत्रोज, यूगोस्लाविया (टी) रैड कोंकर, यूगोस्लाविया (जी) 2x35 मेगावाट	1.40 (0.85)	आरएंडएम	—	91.80	1994-95	पूरी हो गई
	10वीं योजना स्कीम						
5.	मेत्तूर बांध (तमिलनाडु) 1937-48 ईई, यू०के० (टी) मैट्रो वीकर्स, यू०के० (जी) 4x10 मेगावाट	27.37	आरएमयू एंड एलई	40 (एलई) 10 (यूआर)	111.98	2004-05 (9/04)	निर्माणाधीन
6.	पपनासम 1944-51 ईई, यू०के० (टी) ब्रिटिश थॉम्पसन यू०के० (जी) (4x7 मेगावाट यूनिट)	22.79	आरएमयू एंड एलई	28.0 (एलई) 4.0 (यूआर)	105 (9/04)	2004-05	निर्माणाधीन
7.	पाइकारा तमिलनाडु 1934-54 एशॉर वीज, स्विटजरलैंड (टी) मैट्रो वीकर्स, यू०के० (जी) 3x6.65 + 1x11 + 2x14 मेगावाट	26.06	आरएम एंड एलई	58.95 (एलई)	268.16	2003-04 (9/03)	निर्माणाधीन
8.	शोलयार,-1 1971 मै० लिस्तोत्रोज, यूगोस्लाविया (टी)/मै० रेड कोंकर, यूगोस्लाविया (जी) 2x35 मेगावाट	40.68	आरएमयू एंड एलई	70 (एलई) 14 (यूआर)	268	2006-07	निविदा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8
	11वीं योजना की स्कीमें						
9.	अलियार, 1970 मै० निरपिक, फ्रांस (टी एंड जी) 1x60 मेगावाट	30.00@	आरएम एंड एलई	60 (एलई)	175	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2005-06 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
10.	खोडयार, फेज-1 1970 मै० वैवी इंजीनियरिंग वर्क्स फ्रांस (टी) मै० एलस्थॉम फ्रांस (जी) 1x60 मेगावाट	30.00@	आरएम एंड एलई	60 (एलई)	100	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2005-06 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
11.	खोडयार-II टीएनईबी 1971 मै० लितोस्त्रोज, यूगो० (टी)/रैड कोंकर, यूगोस्लाविया (जी) 1x40 मेगावाट	19.94	आरएमयू एंड एलई	40 (एलई) 6 (यूआर)	96	XI योजना	के०वि०प्रा० द्वारा मूल्यांकन कर दिया गया है इस स्कीम को मेत्तूर बांध और पापनासम आर एंड एम निमार्णाधीन स्कीमों के पूरा होने के पश्चात आरंभ किया जायेगा।
12.	कुंडा चरण-1 1960-64 डॉमिनन इंजीनियरिंग वर्क्स, कनाडा (टी)/वेस्टिंग हाऊस 3x20 मेगावाट	50.00@	आरएम एंड एलई	60 (एलई)	150	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
13.	कुंडा चरण-2 1960-64 डॉमिनन इंजीनियरिंग वर्क्स, कनाडा (टी)/वेस्टिंग हाऊस 5x35 मेगावाट	75.00@	आरएम एंड एलई	175 (एलई)	437	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
14.	कुंडा चरण-3 1965-78 वैंकावूर आयरन एंड इंजीनियरिंग	70.00@	आरएम एंड एलई	180	300	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्क्स (यूनिट-1 व 2) एवं डॉमिनन इंजीनियरिंग वर्क्स, (यू-3) टी हेतु/ कनाडा (टी) वेस्टिंग हाऊस) (यू-1 व 2) एवं कनाडियन जनरल इलेक्ट्रिक (यू-3), जी हेतु 3x60 मेगावाट						
15.	कुंडा चरण-2 1966-78 कनाडियन वीकर्स डॉमिनन इंजीनियरिंग (टी)/ कनाडियन जनरल इलेक्ट्रिक (जी) 2x50 मेगावाट	35.00@	आरएम एंड एलई	100 (एलई)	250	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है
16.	कुंडा चरण-5 1964-88 डॉमिनो इंजीनियरिंग (यूनिट-1)/भेल (यूनिट-2) टी कनाडियन वेस्टिंग हाऊस (यू-1)/भेल (यू-2) जी 2x20 मेगावाट	13.00@	यू-I के लिए आरएम एंड एलई यू-II के लिए आर एंड एम	20 (एलई)	50	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है
17.	मेत्तूर टनल 1965-66 मैकिन एक्सपोर्ट मास्को (टी)/इलेक्ट्रोसिला, यूएसएसआर (जी) 4x50 मेगावाट	100@	आरएम एंड एलई	200 (एलई)	451	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है
18.	मोयार, 1952-53 बोविंग, यू०के० (टी एंड जी) 3x12 मेगावाट	18.00@	आरएम एंड एलई	36 (एलई)	115	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पेरियार 1958-65 मै० वोईथ वेस्ट जर्मनी यू-1 से 3 तथा मै० लितोस्त्रोज यूगोस्लाविया यू-4 टी हेतु मै० वोईथ, वेस्ट जर्मनी, यू-1 से 3 और मै० रैड कोंकर, यूगोस्लाविया यू-4, जी हेतु 4x35 मेगावाट	73.80	आरएमयू एंड एलई	140 (एलई) 28 (यूआर)	534	XI योजना (2007-08)	डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य 2004-05 में शुरू किये जाने है।
20.	सरकारीपथी, 1966 मै० हिताची जापान (टी एंड जी) 1x30 मेगावाट	15.00@	आरएम एंड एलई	30 (एलई)	162	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य पहले ही पूरे किये जा चुके हैं। यूनिट अब बिना किसी बाधा के चल रही है। आर एम एंड एल ई 11वी योजना के मध्य में आरंभ की जायेगी।
21.	शोलायार-II, टीएनईबी 1971 मै० लितोस्त्रोज यूगोस्लाविया (टी) मै० रैड कोंकर, 2x35 मेगावाट	18.99@	आरएमयू एंड एलई	25 (एलई) 2.5 (यूआर)	66	XI योजना	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है

संकेताक्षर

आर एंड एम – नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, आरएम एंड यू – नवीकरण आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण, आरएम एंड एलई – नवीकरण आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार, आरइएस – पूर्वस्थितिकरण, @ – राष्ट्रीय संदर्शी योजना के अनुसार, एलई – जीवनविस्तार, यूआर – उच्चीकरण।

विवरण-III

तमिलनाडु में नवीकरण आधुनिकीकरण उच्चीकरण और जीवन विस्तार के पश्चात जल विद्युत स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा० में)	प्रभावी क्षमता मे०वा० में		उच्चीकरण के कारण क्षमता में वृद्धि (मे०वा०)	अभ्युक्तियां
			आर एंड एम से पूर्व	आर एंड एम के पश्चात		
1	2	3	4	5	6	7
आठवीं योजना			**-शून्य-**			

1	2	3	4	5	6	7
10वीं योजना						
1.	मेत्तूर बांध	4x10	40	50	10	निर्माणाधीन
2.	पपनासम	4x7	28	32	4	निर्माणाधीन
3.	शोलयार-1	2x35	70	84	14	निविदा प्रदान किया जाना प्रगति पर है
11वीं योजना						
4.	कोदयार	1x40	40	46	6	के०वि०प्रा० द्वारा मूल्यांकन कर दिया गया है इस स्कीम को मेत्तूर बांध और पापनासम आर एंड एम निमार्णाधीन स्कीमों के पूरा होने के पश्चात आरंभ किया जायेगा।
5.	पेरियार	4x35	140	168	28	डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य 2004-05 में शुरू किये जाने है।
6.	शोलयार-II	1x25	25	27.5	2.5	आरएलए अध्ययन कार्य 2004-05 में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
		कुल	343	407.5	64.5	

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

2536. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में विद्यमान विद्युत संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को की गई विद्युत आपूर्ति और इसकी आवश्यकता के बीच अंतर कितना है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस वित्त संकट से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी सहायता तथा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2003 के दौरान मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

अप्रैल-जून 2003

	ऊर्जा (मि०यू०)	व्यस्तम कालीन (मांग)	
आवश्यकता	7502	अधिकतम मांग	4919
उपलब्धता	5803	अधिकतम मांग की पूर्ति	3357
अभाव	1699	अभाव	1562
%	22.6	%	31.8

(ग) जी हां।

(घ) पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों की विद्युत मांग की पूर्ति उनके स्वयं के स्रोतों तथा पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में उनके हिस्से से की जाती है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में 1140 मे०वा० के आवंटन के अलावा (नीचे (iii) समेत) मध्य प्रदेश को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :

(i) पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में एनटीपीसी के अनावंटित कोटे से 26% (207 मे०वा०)

(ii) पूर्वी क्षेत्र के एन०टी०पी०सी० केन्द्रों के अनावंटित कोटे से 350 मेगा वाट।

(iii) छत्तीसगढ़ के हिस्से में से अस्थाई रूप से 90 मे०वा० विद्युत म०प्र० को दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र के पं० बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम तथा पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए पूर्वी क्षेत्र के दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से भी समय-समय पर द्विपक्षीय सहायता प्राप्त हो रही है।

[अनुवाद]

रेल वस्तुओं का आयात

2537. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 2003 तक आयात की गयी रेल वस्तुओं के नाम और इनकी मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितना व्यय हुआ है और इन वस्तुओं का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में घटिया स्तर की वस्तुओं का आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सभी रेल वस्तुओं का देश में उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

2538. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में मई, 2003 तक रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों की स्वीकृति हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त आवेदकों में से कितने आवेदकों को नौकरी दी गई है और कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं तथा कितने व्यक्तियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं; और

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के संबंध में वर्तमान मानदंड क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) अनुकंपा के आधार पर नौकरियां दिए जाने के संबंध में विद्यमान मानदंड कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 9 अक्तूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं० 14014/6/94-स्था(घ) के तहत जारी की गई अनुकंपा नियुक्ति की योजना में निर्धारित किए गए अनुसार हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना

2539. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवनयापन करने में अक्षम नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना लागू करने पर विचार किया है अथवा विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विकलांग व्यक्तियों को पेंशन/अनुरक्षण भत्ता प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हाइड्रोजन का उपयोग

2540. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और ईंधन के रूप में उपयोग सहित इसके विभिन्न पहलुओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) घरेलू उपयोग हेतु एक सुरक्षित वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी हां। मंत्रालय, घरेलू और अन्य अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में हाईड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और उपयोगिता सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर व्यापक आधार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) विभिन्न संस्थाओं में मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन के प्रयोग को स्थायी, पोर्टेबल और वाहनिक अनुप्रयोगों के लिए दोपहिया वाहनों, विद्युत उत्पादन इकाईयों, कैटालाइटिक बर्नरों और ईंधन सैलों में प्रदर्शित किया गया है। घरेलू, वाणिज्यिक और परिवहन अनुप्रयोगों के लिए इन युक्तियों के शीघ्र वाणिज्यीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बाड़मेर में दूरदर्शन केन्द्र का उन्नयन

2541. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने पाकिस्तान के भारत विरोधी दुष्प्रचार से निपटने के लिए फरवरी, 1992 के दौरान बाड़मेर (पश्चिमी राजस्थान) में 10 किलोवाट उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन द्वारा इस ट्रांसमीटर की ऊंचाई मूल 300 मीटर से घटाकर 100 मीटर कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस ट्रांसमीटर का अपनी क्षमता का दसवां हिस्सा ही कार्य कर रहा है और अपनी परिकल्पित क्षेत्र के आधे हिस्से से भी कम में कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस असंगति तथा ट्रांसमीटर और टावर की ऊंचाई के बीच क्षमता समन्वय की कमी की वजह से इस पर किया गया खर्च काफी अनुत्पादक सिद्ध हुआ है और इससे उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर को स्थापित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के भारत विरोधी दुष्प्रचार से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सरकार इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी मूल ऊंचाई 300 मीटर करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) फरवरी, 1993 में 10 किवॉ का एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बाड़मेर में प्रतिष्ठापित किया गया था और इसे मार्च 1997 में अस्थायी टॉवर के साथ 1 किवॉ शक्ति पर चालू कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बाड़मेर में प्रतिष्ठापित ट्रांसमीटर फिलहाल 1 किवॉ की शक्ति पर कार्यशील है। इस समय ट्रांसमीटर का कवरेज रेंज लगभग 60 किमी जिसके, 100 मीटर के टॉवर की प्रतिष्ठापना के फलस्वरूप 10 किवॉ के पूरी शक्ति के ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर, बढ़कर 110 किमी हो जाने की आशा है।

(ङ) और (च) बाड़मेर में 300 मीटर के टॉवर की प्रतिष्ठापना का कार्य फरवरी, 1997 में मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि० को सौंपा गया था। स्तल की प्राकृतिक ऊंचाई और कम आबादी वाले क्षेत्र के कारण परिणामी कवरेज में मामूली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए टॉवर की ऊंचाई को घटाकर 100 मीटर करने का निर्णय किया गया है। 100 मीटर के टॉवर की प्रतिष्ठापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

पेट्रोल पंपों का बंद किया जाना

2542. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बंद किए गए पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान अनेक नए खुदरा बिक्री केन्द्र भी खोले गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-01 से वर्ष 2002-2003 तक उत्तर प्रदेश राज्य समेत देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों को 319 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल पंप) गैर-निष्पादन, मिलावट एवं कदाचारों, बेनामी प्रचालन, डीलरशिप करार के अतिक्रमण, त्यागपत्र, अनधिकृत पुनरस्थापना आदि जैसे विभिन्न कारणों से बंद कर दी गई थी।

इस अवधि के दौरान देश भर में 2271 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें चालू की गई थी।

[हिन्दी]

नांदेड़ में एफ०एम० रेडियो

2543. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के नांदड़े में निजी एफ०एम० रेडियो का प्रसारण शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में एफ०एम० स्टेशनों, कवरेज की सीमा, भावी आयोजनों आदि के बारे में दिसम्बर, 2002 में संसद सदस्य, श्री विजय दर्डा से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्र का उत्तर जनवरी, 2003 में दे दिया गया था जिसमें अपेक्षित ब्यौरा देने के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि एफ०एम० रेडियो स्टेशनों के निजीकरण का प्रथम चरण पूरा हो गया है और चरण-II को अभी प्रारंभ किया जाना है।

चरण-II हेतु सिफारिशें करने के लिए दिनांक 24 जुलाई, 2003 के एक आदेश के द्वारा एक समिति का गठन कर लिया गया है।

[अनुवाद]

वृत्तचित्रों का प्रसारण न किया जाना

2544. श्री खगेन दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी दूरदर्शन केन्द्रों ने वर्ष 2001 से रायल्टी कार्यक्रमों के रूप में वृत्तचित्रों और टेलीफिल्मों का प्रसारण रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर के समान समस्याओं वाले राज्य जम्मू व कश्मीर के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण पुन: शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2001-2002 में रॉयल्टी शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर स्थित दूरदर्शन केन्द्र रॉयल्टी पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर सके।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2003-04 के दौरान रॉयल्टी शीर्ष के अंतर्गत निधियां प्रदान कर दी गई हैं।

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए बोगियों की आवश्यकता

2545. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनाज के वितरण हेतु राज्यों को आवंटित खाद्यान्न ढुलाई के लिए आवश्यक रेल बोगियों की कमी के कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने खाद्यान्नों की तत्काल ढुलाई के लिए रेलवे से बोगियां उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ग) अपेक्षित संख्या में बोगियां उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों तथा खाद्यान्नों की तत्काल ढुलाई करने के लिए बोगियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न के परिवहन हेतु रेलें रेक मुहैया कराती हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे भारतीय खाद्य निगम से संपर्क बनाए रखती है।

रेलवे स्टेशनों पर प्रकाश सुविधाएं

2546. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर ऐसी सुविधाओं की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे स्टेशनों विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। उन सभी रेलवे स्टेशनों पर, जो विद्युतीकरण के मानदंडों को पूरा करते हैं, पहले ही पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है।

(ग) रेलवे स्टेशनों के लिए प्रकाश व्यवस्था के मापदंड के अनुसार प्रकाश व्यवस्था का अनुशंसित स्तर इस प्रकार है :

स्टेशनों की श्रेणी	अनुशंसित प्रकाश व्यवस्था का स्तर
कोटि क – क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय और राज्य की राजधानी।	50 लक्स०
कोटि ख – रेलवे मंडल मुख्यालय और राज्य जिला मुख्यालय।	30 लक्स०
कोटि ग – अन्य छोटे स्टेशन।	20 लक्स०

दक्षिण मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था का उपुर्यक्त स्तर सामान्यत: बनाए रखा जा रहा है।

झारखंड में रेलपथ के किनारे बाड़ लगाना

2547. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने झारखंड राज्य में रेलपथ के उन खंडों में बाड़ लगाने की योजना बनाई है जहां तेज रफ्तार गाड़ियों से बार-बार हाथी टकरा जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। विगत में हावड़ा-नागपुर मार्ग पर चक्रधरपुर मण्डल के गोयलकेरा-मनोहरपुर खण्ड के बीच चलने वाली रेलागड़ियों से हाथियों के टकराने के कुछ मामले हुए हैं। हाल ही में इस वन क्षेत्र को वन विभाग द्वारा "हाथियों के लिए आरक्षित" घोषित किया गया है। असुरक्षित स्थानों में वन विभाग तथा रेलवे द्वारा लागत की 50:50 की भागीदारी के आधार पर पटरी के दोनों ओर बाड़ लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) हाथियों को रोकने के लिए बाड़ के निर्माण का कार्य लागत की 50:50 की भागीदारी के आधार पर स्वीकृत हो गया है। जैसे ही वन विभाग द्वारा धनराशि जमा करा दी जाएगी, कार्य शुरू कर दिया जाएगा और तत्पश्चात् यह कार्य दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

नियंत्रण रेखा पर कंटीले तार लगाना

2548. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :**
डॉ० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :
डा० बी०बी० रमैया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोह और आतंकवाद को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कंटीले तार सीमा पार से बिना किसी व्यवधान के लगाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक नियंत्रण रेखा के कितने हिस्से पर तार लगाए जा चुके हैं और अभी नियंत्रण रेखा के कितने हिस्से पर कंटीले तार लगाए जाने शेष हैं; और

(ग) तार लगाने के शेष कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए उपाय के रूप में जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण-रेखा पर चुनिंदा स्थानों पर तार-बाड़ लगाने का काम शुरू किया है। कतिपय क्षेत्रों में जहां तार-बाड़ नियंत्रण-रेखा के समीप है पाकिस्तान तार-बाड़ के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है।

(ख) और (ग) जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण-रेखा पर कुल 523 कि०मी० तक तार-बाड़ की बनाई गई योजना में से लगभग 110 कि०मी० सीमा पर तार-बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है तथा इसके वर्ष 2004 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है। तदुपरांत, शेष कार्य शुरू किया जाएगा।

लकड़ी स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट स्लीपर प्रतिस्थापित करना

2549. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का पांच वर्षों की अवधि में सभी लकड़ी के स्लीपरों को कंक्रीट के स्लीपरों से चरणबद्ध ढंग से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिस्थापन के लिए चुने गए मुख्य रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रतिस्थापन के लिए चुने गए रेलमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन रेलपथों पर लकड़ी के स्लीपरों के प्रतिस्थापन का कार्य पूरा हो गया है। उनका जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उपर्युक्त अवधि में इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (च) स्लीपरों को बदलने का कार्य, रेलपथ नवीकरण के सामान्य कार्य के भाग के रूप में रेलवे की आयु एवं हालत के आधार पर, योजित/निष्पादित किया जाता है, जिसकी योजना राज्य के बजाय जोनल रेलवे के आधार पर बनाई जाती है। कंक्रीट स्लीपर मुख्य लाइनों तथा मानक टर्नआउटों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलों पर बेकार लकड़ी के स्लीपरों को उपलब्धता के आधार पर स्टील चैनल स्लीपरों अथवा लकड़ी के स्लीपरों से बदला जाता है। यह विनिश्चय किया गया है कि लकड़ी के स्लीपरों की खरीद केवल गर्डर पुलों पर तथा विशेष स्थानों जैसे अवमानक टर्नहाउटों, डायमंड क्रासिंग आदि पर इस्तेमाल के लिए ही की जाएगी, जिसके लिए प्रति वर्ष 20000 घन मीटर लकड़ी (अनुमानत: 1.4 लाख स्लीपर) के आयात की अनुमति दी गई है। विगत तीन वर्षों में किया गया रेलपथ का नवीकरण तथा उस पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :–

वर्ष	किया गया रेलपथ नवीकरण (रेलपथ किमी)	किया गया खर्च करोड़ रु० में
2002-03	4776	3298 (अनंतिम)
2001-2002	3620	2475
2000-2001	3250	2245

तेल डिपुओं को जम्मू से उधमपुर स्थानांतरित किया जाना

2550. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
डा० चरणदास महंत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०पी०सी०एल० ने हाल ही में अपने तेल डिपुओं को जम्मू से उधमपुर स्थानांतरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में कार्यरत तेल कंपनियों को विगत कुछ वर्षों से आतंकवादी धमकियां मिल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और बी०पी०सी०एल० तथा अन्य तेल कंपनियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में अपने प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन डिपो के परिसर के बाहर 26.3.2003 को टैंक ट्रक में विस्फोट हुआ। सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे और जब भी स्थिति के अनुसार जरूरी होता है स्थानीय/जिला प्रशासन की सहायता से सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जाते हैं।

पंजाब में नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना

2551. श्री भान सिंह भौरा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में नए विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में वर्ष 2020 में ऊर्जा की मांग के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान योजना इस मांग के अनुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) 10वीं योजना क्षमता संवृद्धि कार्यक्रम में पंजाब में राज्य सेक्टर में नए सिरे से 1166 मे०वा० क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सेक्टर की किसी विद्युत परियोजना पर अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) 10वी योजना के दौरान क्षमता संवृद्धि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य में 10वीं योजना अर्थात 2006-07 के अंत तक 25.9% ऊर्जा कमी और 34.8% व्यस्ततम कालीन कमी का अनुमान है।

दुर्घटना राहत के लिए कार्यबल

2552. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री भास्करराव पाटिल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर राहत सुनिश्चित करने के लिए ''कार्यबल'' का गठन किया है अथवा गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल दुर्घटना पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण कई व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो राहत उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं और बिना किसी विलम्ब के पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन, भारतीय रेलों की आपदा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए हाल ही में पांच सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति ने 111 सिफारिशों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो स्वीकृत की गई है। कुछ सिफारिशें बचाव और राहत कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। दुर्घटना स्थल पर यथा संभव कम से कम समय के भीतर चिकित्सा राहत भेजने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किए जाते हैं। प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वनोदित चिकित्सा यानों की व्यवस्था की गई है। जब भी आवश्यकता होती है, सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों से भी सहायता ली जाती है। बचाव एवं राहत कार्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। चिकित्सा संबंधी राहत तथा बचाव उपस्करों के लिए परिष्कृत एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी भी शामिल की जा रही है।

रेलगाड़ियों में महिला डिब्बों का प्रावधान

2553. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुविधा के लिए सभी रेलगाड़ियों में महिला डिब्बों की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कतिपय रेलगाड़ियों में ''महिला'' डिब्बे की व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छेड़खानी की घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) रेलवे ने सभी यात्री मेल गाड़ियों में सुरक्षा/पुलिस सहित ''महिला'' डिब्बा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) यात्री रेलगाड़ियों में अधिकांशत: एक डिब्बा या यथा अपेक्षित संख्या में बर्थों/सीटों को केवल महिलाओं के प्रयोग हेतु आरक्षित किया जाता है। महिला यात्रियों के साथ छेड़-छाड़ को रोकने के लिए, रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस की सहायता से जांच की जाती है और पकड़े जाने वाले अपराधियों को कानून के अनुसार दण्ड दिया जाता है। इसके अलावा, महिला यात्रियों की सहायता के लिए कुछ स्थानों पर महिला टिकट जांच कर्मचारियों और महिला रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों के विशेष दस्ते बनाए गए हैं। कुछ उपनगरीय क्षेत्रों में महिला डिब्बों का महिला राजकीय रेल पुलिस और महिला रेल सुरक्षा बल द्वारा मार्ग-रक्षण किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अन्तर

2554. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर परियोजनाएं जल-विद्युत परियोजनाएं है;

(ग) यदि हां, तो क्या जल विद्युत परियोजनाओं की भंडारण क्षमता/कुल क्षमता पर प्रतिबंध के कारण राज्य में विद्युत की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) अप्रैल-जुलाई 2003 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है :–

ऊर्जा (मि०यू०)		व्यस्ततम (मे०वा०)	
	अप्रैल-जुलाई 2003		अप्रैल-जुलाई 2003
आवश्यकता	2328	व्यस्ततम मांग	1195
उपलब्धता	2147	व्यस्ततम पूर्ति	1070
कमी	173	कमी	125
%	7.4	%	10.5

(ख) जी, हां।

(ग) सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों में उपलब्ध कराई जा सकने वाली भंडारण क्षमता भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि, 1960 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। राज्य में वर्तमान में संचालित राज्य विद्युत योजनाओं में मौसमी भंडारण नहीं है।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र में 2798 मेगावाट की कुल क्षमता की 7 जल योजनाएं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपी हैं, जिनमें से दो योजनाओं, किशनगंगा (330 मेगवाट) और बरसार (1020 मेगावाट) के निर्माण में सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अंतर्गत भंडारण का विचार है।

ताप विद्युत और जल विद्युत का उत्पादन

2555. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना में ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों की यथा अभिकल्पित और दसवीं योजना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल विद्युत मांग कितनी है; और

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए 41110 मे०वा० क्षमता संवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सेक्टर वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्षेत्र	थर्मल	हाडड्रो	न्यूक्लियर	जोड़
केन्द्र	12790	8742	1300	22832
राज्य	6676	4481	–	11157
निजी (प्राईवेट)	5951	1170	–	7121
जोड़	25417	14393	1300	41110

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का ठहराव

2556. श्री आदि शंकर :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ी के ठहराव के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव के लिए राज्य सरकारों/विभिन्न संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) रेलगाड़ी का ठहराव गाड़ी एवं स्टेशन के स्तर, स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यातायात की मात्रा एवं स्वरूप, स्टेशन की यातायात संबंधी मांग के अनुरूप उपयुक्त वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता और अन्य परिचालनिक एवं वाणिज्यिक आधारों को ध्यान में रखते हुए, प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग) विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव के लिए अनुरोध सतत् आधार पर रेलों के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होते हैं यथा स्टेशनों, मंडलों, जोन, मंत्रालय, आदि, ये अनुरोध इतनी अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं कि इनको संकलित नहीं किया जा सकता और इनका रिकार्ड मंत्रालय में नहीं रखा जा रहा है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्यवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएवल एनर्जी

2557. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएवल एनर्जी" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थान रिन्यूएवल एनर्जी के क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जिला कपूरथला, पंजाब में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था के रूप में एक राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। संस्थान, अपारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करेगा।

(ग) और (घ) संस्थान सभी पूर्णत: प्रचालन में नहीं है। संस्थान के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और स्टाफ की भर्ती के प्रति कार्रवाई आरंभ की गई है। एक बार संस्थान के चालू होने के पश्चात् अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों को भी किया जाएगा।

सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं में भर्ती

2558. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय विभाग ने कठोर उपायों के रूप में अगस्त, 1999 में सभी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे;

(ख) क्या इस प्रतिबंध के बावजूद सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं ने अगस्त, 1999 तथा मार्च, 2002 के दौरान 'ग' और 'घ' श्रेणियों में 1500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनधिकृत भर्ती के परिणामस्वरूप मार्च, 2002 तक 12.62 करोड़ रुपये और अप्रैल 202 से प्रतिमाह 75.00 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता का व्यय हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या औचित्य हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मार्च 2002 तक इन कार्मिकों की परिलब्धियों के भुगतान में 12.65 करोड़ रुपए का व्यय हुआ तथा अप्रैल, 2002 से प्रतिमाह 75.73 लाख रुपए की अतिरिक्त देयता बढ़ गई है। सैन्य इंजीनियरी सेवा में 1500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती इसलिए की गई क्योंकि वहां कर्मचारियों की तात्कालिक आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, भर्ती पर रोक संबंधी अनुदेशों के इंजीनियर इन-चीफ द्वारा प्राप्त कर लिए जाने पर आगे की जाने वाली भर्ती की संपूर्ण कार्रवाई बंद कर दी गई थी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम

2559. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत कम साक्षरता दर वाले जिले में अनुसूचित जातियों से संबंधित बालिकाओं हेतु विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम का पैकेज तैयार करने के लिए 1996-97 में प्रयोग के आधार पर कोई योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा तथा उक्त कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना का प्राथमिक शिक्षा विभाग की चालू योजनाओं के साथ विलय करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के माध्यम से शैक्षिक निवेशों का पैकेज प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 1996-97 के दौरान प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित 48 जिलों की पहचान की गई जहां अनुसूचित जाति में महिला साक्षरता 2% से कम थी। यह योजना उन 48 जिलों को शामिल करने के लिए तैयार की गई। केवल कक्षा 1 के लिए 11,340/- रु० प्रति बच्चा प्रति वर्ष का पैकेज अनुदान प्रदान किया गया। यह योजना जिला परिषदों (जिला स्तरीय पंचायत) द्वारा कार्यान्वित की गई। तथापि, यह योजना वर्ष 2001-02 से रोक दी गई है।

(ग) और (घ) इस योजना को कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ करने का प्रस्ताव है।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

2560. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(घ) अब तक महाराष्ट्र के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) 31.03.2003 तक कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या 5,15,140 लाख है।

(घ) महाराष्ट्र में 100% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

[अनुवाद]

विद्युत सुधार की वर्तमान स्थिति

2561. श्री वाई०वी० राव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से विद्युत क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत सुधारों से कार्य निष्पादन में सुधार लाने में कितनी मदद मिली है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से सत्ताइस राज्यों के साथ राज्य विशिष्ठ समझौता ज्ञापन/समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है।

इक्कीस राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है। पंद्रह राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने टैरिफ आदेश निर्गत कर दिये हैं। नौ राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पृथक्कीकरण/निगमीकरण कर दिया है। दस राज्यों ने सुधार संबंधी अपने कानून अधिनियमित किए हैं।

विद्युत वितरण कार्य का उड़ीसा और दिल्ली में निजीकरण किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 नामक एक नए केंद्रीय विधान का अधिनियमन किया गया है जिसमें विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु उदार ढांचे का प्रावधान है।

अभिनिर्धारित वितरण सर्किलों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा नए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता रहा है। इसे अब राज्यों को अपनी नकद हानियों में कमी लाने के लिए अनुदान प्रोत्साहन में अमेलित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान महाराष्ट्र गुजरात और हरियाणा राज्यों की विद्युत युटिलिटियों ने वर्ष 2001-02 के लिए अपनी नकद हानियों में क्रमश: 579.75 करोड़ रु०, 1072.29 करोड़ रु० और 10.20 करोड़ रु० की कमी लायी/दर्शायी है। इन राज्यों को मार्च 31, 2003 को अंतरिम राहत स्वरूप क्रमश: 137.89 करोड़ रु० 236.37 करोड़ रु० और 5.01 करोड़ रु० प्रदान किए गए हैं।

देश के कुल 28 राज्यों में से 27 राज्यों के साथ हस्ताक्षरित त्रीपक्षीय करार के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय पिछले बकायों के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से भी राज्य यूटिलिटियों को राहत दी जाती है।

माल ढुलाई के लिए डबल डेकर वैगन

2562. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माल ढुलाई हेतु डबल डेकर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम ऐलाए मालगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वैगनों का देश में विनिर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इनका आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां से इन वैगनों का आयात किया जाना है और इसमें वित्तीय अड़चनें क्या हैं; और

(ङ) उन देशों के नाम क्या है जहां पर डबल देकर वैगन उपयोग में हैं तथा ये कितने उपयुक्त, किफायती और माल ढुलाई के लिए तत्काल उपलब्ध है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं। माल ढुलाई के लिए डबल डेकर स्टेनलैस स्टील और डबल डेकर एल्यूमीनियम मालगाड़ियों को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका में डबल डेकर मालडिब्बों को ऑटो कारों की ढुलाई हेतु प्रयोग किया जा रहा है। डबल डेकर मालडिब्बा

परम्परागत मालडिब्बे की तुलना में अधिक कारों को वहन कर सकता है, अत: इसमें लागत कम आती है।

रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों को सामान गाड़ी की सुविधा

2563. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों को अपने हल्के सामान को लाने और ले जाने के लिए सामान गाड़ी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां पर यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों को और कौन सी अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सुविधाएं यथा व्हील चेयर, बाधा रहित प्रवेश के लिए रेलिंग के साथ मानक रैंप, विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए कम से कम 2 पार्किंग स्थल, पार्किंग स्थल से इमारत तक न फिसलने वाला रास्ता, समुचित दृश्यता वाले संकेत, विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए निचली मंजित पर कम से कम एक पीने के पानी का नल और एक शौचालय का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा

2564. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार आयोग ने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनमें बढ़ोत्तरी करने के लिए व्यापक और समेकित सम्मेलन बुलाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समेकित संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन के विकास संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने हेतु 26 से 29 मई, 2003 तक नई दिल्ली में राष्ट्र मंडल एवं एशिया प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस मामले पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति की दूसरी बैठक में भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा और उसके सवंर्धन के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से "नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान हैं तथा जो उनके शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को भी दर्शाता है; तथा आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 पहले ही अधिनियमित किए गए हैं।

विदेश में प्रशिक्षण हेतु रेल विभाग का दल

2565. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे के कितने अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उक्त प्रशिक्षण का प्रयोजन क्या था तथा इस प्रशिक्षण से क्या लाभ प्राप्त हुए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक अधिकारी पर कितना खर्च किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2000-2002) रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के 168 अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था। उनको विभिन्न प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नई मशीनों/संयंत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण और तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कौशल उन्नयन के संबंध में भेजा गया था। इन प्रशिक्षणों से रेलवे को अपनी उत्पादन एवं अनुरक्षण प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के उन्नयन और प्रबंधकीय कुशलता में सुधार करने में भी सहायता मिली है।

(ख) 168 अधिकारियों में से, 29 अधिकारियों को सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया था जिस पर कोई खर्च नहीं हुआ। पिछले तीन वर्षों के दौरान, शेष 139 अधिकारियों पर लगभग 2,40,20,000 रु० का खर्च हुआ था। अत: 2000 से 2002 तक (तीन वर्ष) प्रत्येक अधिकारी पर लगभग 1,43,000 रु० का खर्च हुआ।

बायो-मास ऊर्जा का उत्पादन

2566. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बायो-मास ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक पंजाब को कितनी धनराशि जारी की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बायोमास विद्युत उत्पादन, खोई सहउत्पादन और बायोमास गैसीकरण पर कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक 593 मेवा० की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 775 मेगावाट के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। राज्यवार लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। पंजाब में खोई सहउत्पादन परियोजना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 8.78 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई निधियां जारी नहीं की गई।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच समझौता

2567. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ई०पी०सी० और विद्युत संयंत्र के रखरखाव के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कंपनी कब तक चालू हो जाएगी;

(घ) क्या विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए ऐसा कोई अन्य प्रस्ताव मंत्रालय के पास है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) भेल तथा एन०टी०पी०सी० ने इस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जे०वी०सी०) का गठन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलाप परिकल्पित हैं :–

- मुख्य विद्युत संयंत्र और इसकी सहायक उपस्करों के कार्यों को चलाना तथा देख-रेख करना।
- जिन उपक्रमों में प्रोमोटर कंपनियां रूचि नहीं लेती हैं उनमें अन्य कार्यों तथा अभियांत्रक सामग्री का प्रबंधन करना और निर्माण करना। प्रमोटर कंपनियां संयुक्त उद्यम की कंपनियों के संसाधनों का उपयोग/संयुक्त उद्यम की कंपनियों के लिए बाहर से काम दिलवाना।
- सभी संबंधित कार्यकलापों जैसे कि टाऊनशिप की देख-रेख, कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखना तथा माल उतारना और चढ़ाना इत्यादि।

(ग) यह समझौता ज्ञापन केवल एक वर्ष की अवधि या संयुक्त उद्यम की कंपनी का गठन होने तक, जो भी पहले हो, वैद्य है।

(घ) और (ङ) इसके अलावा इस समय मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नकली समाचार पत्रों का परिचालन

2568. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नकली समाचार पत्रों के परिचालन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्र कितने हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) जब कभी ऐसे समाचारपत्रों का प्रसार ध्यान में लाया जाता है, जो प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के अंतर्गत यथावश्यक वैद्य रूप से अधिप्रमाणित घोषणा के तहत प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं, तो संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाही करने की सलाह दी जाती है।

जहां तक समाचारपत्रों द्वारा प्रसार के झूठे दावे करने का मामला है, तो इस संबंध में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार-दावे की जांच कर सकते हैं।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 1679 समाचारपत्रों की प्रसार-जांच का कार्य पूरा किया गया। इनमें से, 301 समाचारपत्रों के दावे पूरी तरह से सही पाये गये, 807 समाचारपत्रों के दावे पूरी तरह से सही नहीं पाये गये और 571 समाचारपत्रों के दावे बिल्कुल सही नहीं पाये गये।

तकनीकी नियम पुस्तिका तथा संचालन संबंधी सामग्री का भारतीय भाषाओं में अनुवाद

2569. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अधिकांश तकनीकी नियम पुस्तिका तथा अन्य संचालन संबंधी सामग्री अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में है;

(ख) क्या रेलवे ने इस प्रकार की सामग्रियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने का कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि तकनीकी संचालन संबंधी नियम पुस्तिका उस भाषा में उपलब्ध हों, जिन्हें ईंधन चालक, गैंगमैन, फिटर इत्यादि द्वारा पढ़ा जा सके, हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) रेलों पर प्रयुक्त कुल 435 कोड/मैनुअलों/नियम पुस्तकों, आदि में से, 393 हिन्दी/अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषिक रूप में है। शेष 42 जो अंग्रेजी में है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

अनुवाद में	–	17
मुद्रण में	–	21
संशोधन में	–	04

(ख) केन्द्र सरकार की भाषा नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाना होता है। तदनुसार, कोड/मैनुअलों/नियम पुस्तकों, आदि को हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में तैयार किया जाता है।

(ग) केंद्रीय सरकार की भाषा नीति के अनुसार, शेष 42 कोड/मैनुअलों/नियम पुस्तकों आदि को भी हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कराने के लिए प्रयास जारी है।

(घ) कतिपय निम्न कोटियों के कम पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी नियम पुस्तकें बनाई जाती हैं।

गैसल में रेल दुर्घटना

2570. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैसल में हुई भयावह दुर्घटना जिसमें 600 से अधिक लोग मारे गए थे, का कारण मानवीय भूल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए संबद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गयी; और

(ग) उक्त दुर्घटना के शिकार लोगों के दावों के निपटान के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। इस दुर्घटना में 286 व्यक्ति मारे गए तथा अन्य 359 व्यक्ति घायल हुए। जी०एन० रे आयोग, जिसने दुर्घटना की जांच की है, ने निष्कर्ष निकाला कि 2.8.1999 को गैसल में जो 4055 डाउन डिब्रुगढ़-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल तथा 5610 अप अवध-असम एक्सप्रेस के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई, वह रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण हुई थी।

(ख) इस उद्देश्य के लिए गठित जी०एन० रे आयोग ने 35 रेल अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 15 और अधिकारियों को 'दोषी' ठहराया है। जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही की गंभीरता के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(ग) 609 दावे दर्ज किए गए थे तथा उनमें से 603 का निपटान कर दिया गया है। मुआवजे के रूप में 10.53 करोड़ रु० का भुगतान किया गया है। अनुग्रह राशि के रूप में 46.94 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनाएं

2571. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई०वी० राव :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 11,500 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हेतु हाल ही में अनेक विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत दी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की क्षमता का ब्यौरा क्या है और इनमें कुछ कितना निवेश किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2002 से 31 जुलाई, 2003 तक की अवधि के दौरान 46,455.174 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 11,681 मेगावाट की 21 विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 5062 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाएं तथा 6619 मेगावाट की 13 ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता, अनुमानित लागत और वर्तमान स्थिति के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा 1 अगस्त, 2002 से 31 जुलाई, 2003 तक विद्युत परियोजनाओं को दी गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के ब्यौरे

स्कीम/क्रियान्वयक एजेंसी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत	स्थिति
1	2	3	4
2002-03			
हाइड्रो			
अलाइन दुहंगन मै० राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, हिमाचल प्रदेश	2x96	922.355 करोड़ रुपये	परियोजना को 20.8.2002 को टीईसी दी गई। परियोजना द्वारा 11वीं योजना में लाभ प्रदान किया जाना अनुमानित है।
उहल चरण-3 एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	2x50	431.56 करोड़ रुपये	परियोजना को 19.09.2002 को टीईसी दी गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू किया जाना तय है।
सेवा चरण-2 एचपीएसईबी, जम्मू व कश्मीर	3x40	यूएस डालर 0.306 एम + 673.75 करोड़ रुपये	18.10.202 को टीईसी दी गई। बुनियादी कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना को 10वीं योजना में पूरा किया जाना निर्धारित है।
तीस्ता एलडी चरण-3 (एनएचपीसी), पश्चिम बंगाल	4x33	यूएस डालर 4.876 एम + 758.82 करोड़ रुपये	28.11.2002 को परियोजना को टीईसी दी गई। बुनियादी कार्य प्रगति पर है। परियोजना को 10वीं योजना में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी) अरुणाचल प्रदेश/असम	8x250	यूएस डालर 39.648 एम + 6418.37 करोड़ रुपये (12/02 पीएल)	परियोजना को 13.1.2003 को टीईसी दी गई। बुनियादी/सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना द्वारा 11वीं योजना में लाभ दिया जाना है।
जलापुट बांध टो जल विद्युत परियोजना मै० उड़ीसा पावर कंसोर्टियम लि०, उड़ीसा/आन्ध्र प्रदेश	3x6=18 मेगावाट	69.68 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	31.1.2003 को टीईसी दे दी गई है। इस परियोजना द्वारा 11वीं योजना में लाभ प्रदान किया जाना है।
करछम वांग्चू एचईपी (मै० जेपी करछम हाइड्रो कारपोरेशन लि०) हिमाचल प्रदेश	4x250	यूएस डालर 11744 एम + 5345.88 करोड़ रुपये	टीईसी 31 मार्च, 2003 को दी गई परियोजना द्वारा 11वीं योजना में लाभ प्रदान किया जाना है।

1	2	3	4
तिपाईमुख (नीपको), मणिपुर	6x250=1500	5163.86 करोड़ रुपये (12/02 पीएल)	टीईसी 2.7.203 को दी गई। परियोजना द्वारा 11वीं योजना में लाभ प्रदान किया जाना है।
कुल (हाइड्रो)	5062 मेगावाट	20576.695 करोड़	
थर्मल			
वलुथूर (पेरूंगलम) सीसीजीटी (टीएनईबी), तमिलनाडु	94	यूएस डालर 21.0 एम + 201.613 करोड़ रुपये	2.8.2002 को टीईसी दी गई। राज्य सरकार द्वारा परियोजना अनुमोदित। परियोजना को 10वीं योजना में अतिरिक्त परियोजना के रूप में पूरा करने हेतु अभिज्ञात किया गया है।
ताऊ देवी लाल टीपीएस (यूनिट 7 व 8)-चरण-5 (पानीपत) एचपीजीसीएल, हरियाणा)	2x250 = 500 मेगावाट	1785.36 करोड़ रुपये	8.8.2002 को टीईसी दी गई। परियोजना निर्माणाधीन है और इसे 10वीं योजना में चालू किया जाना है।
नैवेली टीपीएस-II विस्तार (एनएलसी)	2x250 = 500 मेगावाट	यूएस डालर 122.090 एम + 1664.952 करोड़ रुपये	19.8.2002 को सीईए द्वारा टीईसी दी गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू किया जाना है।
विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण-3 (एनटीपीसी), मध्य प्रदेश	2x500 = 1000 मेगावाट	यूएस डालर 465.500 एम + 1913.871 करोड़ रुपये (वर्तमान दिन की लागत)	27.8.2002 को टीईसी दी गई। परियोजना क्रियान्वयनाधीन है और 10वीं योजना में चालू किया जाना तय है।
सीपत एसटीपीएस चरण-II (एनटीपीसी), छत्तीसगढ़	1x660 = 660 मेगावाट	यूएस डालर 294.386 एम + 1131.666 करोड़ रुपये (वर्तमान दिन की लागत)	29.8.2002 को टीईसी दी गई। क्षमता को संशोधित कर 2x500 मे०वा० किया गया। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
संजय गांधी टीपीएस विस्तार (यूनिट-5) (एमपीएसईबी), मध्य प्रदेश	500 मेगावाट	2093.75 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	20.12.202 को टीईसी दी गई। परियोजना निर्माणाधीन है और इसे 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
कुट्टालम सीसीजीटी टीएनईबी, तमिलनाडु	100 मेगावाट	यूएस डालर 16.157एम + 232.749 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	27.12.202 को टीईसी दी गई। परियोजना निर्माणाधीन है और इसे 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
अनपारा "सी" टीपीएस (यूपीआरवीयूएनएल), उत्तर प्रदेश	2x500 = 1000 मेगावाट	35.657 बिलियन जापानी येन + 2100.233 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	16.1.2003 को सीईए ने टीईसी दी। 500 मे०वा० की एक यूनिट को 10वीं योजना में तथा 500 मे०वा० की दूसरी यूनिट को 11वीं योजना में पूरा किया जाना निर्धारित है।

1	2	3	4
विजयवाड़ा टीपीएस चरण-4 (एपीजेनको), आंध्र प्रदेश	1x660 = 660 मेगावाट	मिलियन यूरो 231.730 + 1600.609 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत) = 2705.73 करोड़ रुपये	28.02.2003 को टीईसी प्रदान की गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
कच्छ लिग्नाइट टीपीएस विस्तार (यूनिट-4) जीईबी, गुजरात	1x75 = 75 मेगावाट	304.69 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	6.3.2003 को टीईसी जारी। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
त्रिपुरा में नीपको (संशोधित प्रस्ताव) की मोनार्चक सीसीजीटी परियोजना (संशोधित प्रस्ताव)	280	यूएस डालर 99.55 एम + 504.156 करोड़ रुपये = 977.019 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	24.4.2003 को टीईसी प्रदान की गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
एनटीपीसी की बिहार में कहलगांव एसटीपीपी चरण-2 फेज-1 परियोजना	2x500 = 1000	यूएस डालर 373.548 एम + 2118.57 = 3930.285 करोड़ रुपये (वर्तमान दिन की लागत)	13.6.2003 को टीईसी प्रदान की गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
महाराष्ट्र में पारस विस्तार	1x250 = 250	1026.70 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत)	13.6.2003 को टीईसी प्रदान की गई। परियोजना को 10वीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है।
कुल थर्मल	6619 मेगावाट	25868.479 करोड़ रुपये	
कुल योग हाइड्रो+थर्मल	11681 करोड़ रुपये	46445.174 करोड़ रुपये	

*स्वीकृति, अनुमोदन, वित्तीय समापन आदि की शर्त पर।

वातानुकूलित कुर्सी यान के टिकट की कीमत

2572. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वातानुकूलित कुर्सी यान में यात्रियों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण कम दूरी वाली टिकटों की कीमतों का बहुत अधिक होना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने वातानुकूलित कुर्सीयान की टिकटों की कीमत की प्रतिस्पर्धात्मक और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तय करने का कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार जोनल प्राधिकारियों को बाजार के अनुसार कुर्सीयान की दर तय करने की अनुमति देने का है;

(च) यदि हां, तो 150 कि०मी० से कम दूरी की यात्रा के लिए वातानुकूलित कुर्सीयान की सीटों की कीमत तय करने के लिए जोनल प्राधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश क्या है; और

(छ) रेलवे जोनल प्राधिकारियों को इस मामले में पूरे अधिकार देने के लिए प्रस्तावित कदम क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) किरायों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए जन शताब्दी, शताब्दी तथा राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों की किराया संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

भटिण्डा-राजपुरा लाइन का दोहरीकरण

2573. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अन्तर्गत भटिण्डा और राजपुरा के बीच रेल पटरी के दोहरीकरण की योजना की काफी पहले स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत क्या है;

(ग) आज तक कुल स्वीकृत और जारी धनराशि कितनी है;

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षमता में वृद्धि तथा विस्तार हेतु विदेशी ऋण

2574. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत कंपनियों का विचार क्षमता में वृद्धि तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 650 मिलियन डालर जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों की विद्युत कंपनियों द्वारा कितना विदेशी ऋण प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में क्षमता वृद्धि के लिए कुल आवश्यकता को पूरा करने में यह पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विद्युत कंपनियों को इक्विटी और ऋण दोनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान उदारीकृत वातावरण में वे अपनी विस्तार योजनाओं के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु स्वदेशी और अंतरांष्ट्रीय दोनों बाजारों में पहुंच बना सकते हैं।

बारूदी सुरंग हटाने के बाद की स्थिति

2575. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारूदी सुरंग हटाए जाने के बाद सीमा क्षेत्रों की स्थिति पहले से अधिक खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के दौरान 20 प्रतिशत बारूदी सुरंगों का पता नहीं लगाया जा सका;

(ग) क्या सरकार ने आम नागरिकों को बारूदी सुरंग से बचाने के लिए विदेशी बारूदी सुरंग हटाने के उपकरण आयात किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी मशीन प्रभावी पाई गई है;

(च) क्या सैन्य कर्मियों को इस प्रकार की बारूदी सुरंग हटाने के अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को कब तक बारूदी सुरंगों से पूर्णत: मुक्त कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सुरंगें हटाने का कार्य चल रहा है और इस तरह सुरंग हटाए जाने के बाद की स्थिति के बारे में अभी कुछ बताना समय-पूर्व होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सुरंग हटाने वाले कुछ उपस्कर अभी हाल ही में आयात किए गए हैं, इसलिए फील्ड परिस्थितियों में इन उपस्कारों की क्षमता का आकलन करना अभी समय-पूर्व की बात होगी।

(च) और (छ) सशस्त्र बलों के कार्मिक सुरंग हटाने के कार्यों में प्रशिक्षित हैं।

(ज) सीमाएं कब तक पूरी तरह से सुरंगरहित हो जाएंगी, इसका सही समय निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह कई बातों जैसे मौसम की स्थिति, भू-भागीय संरचना, किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए नई पुलिस इकाइयां

2576. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों पर अत्याचार के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दलितों के लिए एक नई पुलिस इकाई गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त उद्देश्य पर खर्च होने वाली राशि का आधा हिस्सा देने की जिम्मेदारी ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

2577. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) 31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार जिन इकाइयों को महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो आबंटन के बावजूद गैस की खपत नहीं कर पा रही है; और

(घ) 31 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार प्राकृतिक गैस के लिए महाराष्ट्र में लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) मूल्य वर्धित तरल उत्पादों के निष्कर्षण के लिए संसाधन और ओ०एन०जी०सी० की आंतरिक खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जुलाई, 2003 माह के दौरान 9.6 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) गैस मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड को मुंबई में उरण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपलब्ध थी।

(ख) महाराष्ट्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस आबंटन का इकाईवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मुंबई क्षेत्र में केवल मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) अपने आबंटन की तुलना में 21.2.2003 से गैस का उपभोग नहीं कर रही है।

(घ) गैस के आबंटन के लिए महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। तथापि, 16.6 एम०एम० एस०सी०एम०डी० की आबंटित मात्रा के मुकाबले महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की औसत उपलब्धता जुलाई, 2003 के अनुसार केवल 9.6 एम०एम०एस०सी०एम०डी० है, जिसके कारण वर्तमान उपभोक्ताओं पर यथानुपात कटौती लगाने की आवश्यकता होगी, इसलिए महाराष्ट्र में मुंबई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए नए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

मुंबई क्षेत्र में गैस का उपभोक्ता-वार आबंटन

(एमएमएससीएमडी में)

उपभोक्ता	आबंटन/संविदागत मात्रा
1	2
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, थाल	3.00
हैवी वाटर प्लांट, थाल	0.15
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, थाल (कमी)	0.60
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ट्राम्बे	1.80
इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.75
विक्रम इस्पात	
फर्म	0.75
कमी	0.15
दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	0.60
इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	0.60
महानगर गैस लिमिटेड	1.50
एलपीजी-गेल, उसार	0.45
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	3.50

1	2
टाटा विद्युत कंपनी, ट्राम्बे	1.50
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहुल	0.15
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहुल	0.05
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, तलोजा	0.01
एच एंड आर जौनसन (कमी)	0.04
योग	16.60

राजधानी एक्सप्रेस का शीघ्र प्रस्थान

2578. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री रामजीवन सिंह :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 मई, 2003 को राजधानी एक्सप्रेस (बरास्ता पटना) अपने नियत समय से घंटों पहले स्टेशन से चल पड़ी थी जिससे आरक्षित यात्री रेलवे स्टेशन पर खड़े रह गए और उन्हें बहुत असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री पीछे छूट गए और रेल अधिकारियों द्वारा इन यात्रियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ग) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच कराई है जिनके कारण रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से घंटों पहले चल पड़ी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में और भविष्य में ऐसी घटना न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) मार्च 2003 में, पटना के रास्ते चलने वाली 2305/2306 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रद्द करने तथा गया के रास्ते चलने वाली 2301/2302 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरे 5 दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन करने का विनिश्चय किया गया था। बहरहाल, विभिन्न वर्गों से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा मांगों के दृष्टिगत यह विनिश्चय किया गया था कि 2305/2306 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा के रूप में चलेगी तथा 2301/2302 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पूर्ववर्ती निर्धारित प्रतिदिन सेवा के बजाय सप्ताह में 6 दिन चलेगी।

पटना के रास्ते 2305/2306 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को 19.5.2003 से पुन: चलाने की सूचना और मार्ग में किए गए परिवर्तनों, समय-क्रम आदि सहित प्रेस विज्ञप्तियां कोलकाता, धनबाद, रांची और पटना के अग्रणी समाचार पत्रों में 14.5.2003 और 15.5.2003 को अधिसूचित की गई थी। अग्रिम में विज्ञप्तियां प्रकाशित होने के बावजूद कुछ यात्री अपनी टिकटों पर छपे समय के अनुसार 25.5.2003 को हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे थे। लगभग 111 यात्रियों को, जिनकी मार्ग और समय में परिवर्तन के कारण 25.5.2003 को राजधानी एक्सप्रेस छूट गई थी, 231 अप हावड़ा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी में एक वाता०-2 टियर और एक वाता०-3 टियर डिब्बे लगाकर उनके गंतव्य तक भेजा गया था। जो यात्री अपनी यात्रा रद्द करना चाहते थे उन्हें हावड़ा स्टेशन पर ही पूरा धन वापस कर दिया गया था।

जब कभी, रेलगाड़ी के मार्ग में परिवर्तन के कारण गाड़ी के समय क्रम में अल्प सूचना पर परिवर्तन होता है तो यात्रियों को रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान/आगमन की आवश्यक सूचना देने के लिए संबंधित स्टेशनों पर और कार्यालयों में सूचना प्रदर्शित/घोषित की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

2579. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के प्रत्येक विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता में वार्षिक वृद्धि कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान बिहार में मौजूदा विद्युत स्टेशनों की क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) एन०टी०पी०सी० ने 10वीं योजना में लाभ हेतु कहलगांव में 2x500 मे०वा० चरण-II विस्तार फेज I के निष्पादन कार्य को हाथ में लिया है।

संस्थानों को अनुदान

2580. **श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2003 के दौरान केन्द्र सरकार ने कुछ संस्थानों को अनुदान संस्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे संस्थान कौन से हैं और उनको राज्यवार और जिलावार कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इन संस्वीकृतियों की मंजूरी, स्थानीय संसद सदस्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के धुलिया और नन्दुवार जिले के संसद सदस्यों की सिफारिशों के साथ वर्ष 2001-2002 में सरकार को प्राप्त पुराने मामलों को दरकिनार कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं और किसकी सिफारिशों पर यह अनुदान संस्वीकृत किया गया था; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को वाया पटना चलाना

2581. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का मार्ग पटना होकर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें अधिक सयम लगता है और यात्रियों की मार्ग में परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मामले की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) 19.5.2003 से गया के रास्ते 2301/2302 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन कर दिए गए हैं और पटना के रास्ते 2305/2306 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में दो बार से घटाकर सप्ताह में एक बार कर दिए गए हैं, चूंकि पटना के रास्ते हावड़ा-राजधानी द्वारा तय की जाने वाली दूरी गया के रास्ते चलने वाली हावड़ा-राजधानी एक्सप्रेस से अधिक है। 2301/2302 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में यह गाड़ी (2305/2306) अधिक समय लेती है। पटना के रास्ते की अधिक लंबी दूरी होने के कारण तुलनात्मक रूप से किराया भी अधिक है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एफ०एम० रेडियो-चैनलों संबंधी कृतिक बल

2582. **श्री पदमसेन चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफ०एम० रेडियो – चैनलों के बढ़ते हुए घाटे के मद्देनजर इसके सामने आ रही समस्याओं पर विचार करने हेतु एक कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त निर्णय कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 2003 के आदेश के तहत चरण-II के लिए रेडिया प्रसारण हेतु सिफारिशें करने की बाबत एक समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषयों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) आवृत्तियों के आवंटन हेतु अपनाई जाने वाली एक पारदर्शी और कारगार बोली/निलामी प्रक्रिया का निर्धारण करना।

(ii) विभिन्न शहरों के लिए व्यवहार्य लाइसेंस धारक शुल्क संरचना (एक बारगी प्रवेश शुल्क, निर्धारित लाइसेंस शुल्क, राजस्व हिस्सेदारी आदि) का मूल्यांकन सुपरिभाषित पैरामीटरों पर आधारित होगा।

(iii) चरण-I के लाइसेंस धारकों की लाइसेंस प्रणाली में आशोधन करने के लिए वांछनीयता एवं कानूनी अड़चनों का अध्ययन इस बात के लिए करना कि क्या चरण-II

के लिए एक अलग लाइसेंस प्रणाली का प्रस्ताव करना है।

(iv) मौजूदा प्रणाली की तुलना में प्रस्तावित की जाने वाली प्रणाली की कानूनी अड़चनों का निर्धारण करना।

विचारार्थ विषयों का ब्यौरा देने वाले आदेश की प्रति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू०एमआईबी० एनआईसी०इन में देखा जा सकता है।

(ग) समिति से अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2003 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

विस्फोटक कारतूसों का आयात

2583. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने सितम्बर, 1999 में 749.47 रु० के समतुल्य 17.45 अमरीकी डॉलर प्रति इकाई के मूल्य से 34,000 कारतूसों की वर्ष 1999 के दौरान ही आपूर्ति के लिए एक विदेशी फर्म के साथ एक संविदा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्तुत: इन कारतूसों की मार्च, 2000 में आपूर्ति की गई और विदेशी फर्म को जुलाई 2000 में 593.300 अमरीकी डालर का भुगतान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो आपूर्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) वायु सेना के पास पहले ही चार महीने का भंडार होने के बावजूद आदेश देने की क्या शीघ्रता थी;

(ङ) क्या स्वदेशी मूल्य की तुलना में इन कारतूसों के अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर आयात करने से 50.82 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया है, और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) कारतूस, परेषिती यूनिट में मार्च 2000 में प्राप्त किए गए थे तथा विक्रेता को 5,93,300 अमरीकी डॉलर का भुगतान जुलाई, 2000 में किया गया था।

(ग) पहले चरण में समुद्री मार्ग से और उसके बाद सड़क तथा रेल मार्ग से परिवहन किए जाने के कारण आपूर्ति में इतना लंबा समय लगा था।

(घ) कारतूसों का आयात युद्ध की योजना के अनुसार उड़ानों के लिए बनाई गई योजनाओं के कारण और वार वेस्टेज रिजर्व के लिए यथास्वीकृत मापदण्डों के अनुरूप करना पड़ा था।

(ङ) आयातित कारतूसों की भण्डारण (शेल्फ) अवधि 10 वर्ष है जबकि स्वदेशी कारतूसों की भण्डारण अवधि 6 वर्ष है। इस 40% अधिक भण्डारण अवधि से आयातित कारतूसों की अतिरिक्त लागत पूरी हो जाती है।

(च) भाग (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कार्पोरेट सुरक्षा योजना

2584. श्री नरेश पुगलिया :
श्री एन० जर्नादन रेड्डी :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2003 से 2013 तक की दस वर्षीय अवधि के लिए कार्पोरेट सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी नहीं। वर्ष 2003 से 2013 तक की दस वर्षीय अवधि के लिए एक कार्पोरेट संरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशी अखबारों के साथ सिंडीकेट की व्यवस्था

2585. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
डा० बी०बी० रमैया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजीकृत भारतीय अखबारों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर 'स्वचालित रूट' का उपयोग करते हुए विदेशी अखबारों के साथ सिंडिकेट व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए नए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है और इससे विदेशी अखबारों के भारत में पंजीकृत होने में कितनी मदद मिली है;

(ग) ये मार्गनिर्देश भारतीय अखबारों/पत्रिकाओं में विदेशी प्रकाशनों की सामग्री के पुन: प्रकाशन पर किस हद तक पाबंदी बनाए रखेंगे;

(घ) अब तक ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देश की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत पर विदेशियों द्वारा हमला न हो; और

(च) इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इसकी किस स्तर पर जांच की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय समाचारपत्र सिंडिकेड-समझौता करते आ रहे हैं और इन समझौते के अन्तर्गत भुगतान स्वरूप विदेशी मुद्रा भी भेजते रहे हैं जिनके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मामला दर मामला के आधार पर प्रदान की गई थी। समाचार पत्रों द्वारा सिंडिकेट-समझौतों हेतु दिशा-निर्देशों को इस मंत्रालय द्वारा 11 जून, 2003 को जारी कर दिया गया है। जिनका उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को उदार और कारगर बनाना है। दिशा-निर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के जारी होने के पश्चात समाचार पत्रों से मंत्रालय में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रिंट मीडिया, फिल्मों और प्रसारण से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है जिनमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान है कि विदेशियों द्वारा देश की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार न होने पाए। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेब साइट डल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू०एमआईबी० एनआईसी०इन पर उपलब्ध हैं।

विवरण

समाचार पत्र द्वारा सिंडिकेट-समझौता हेतु दिशा-निर्देश

सभी पंजीकृत समाचार पत्र (भारतीय प्रकाशन) निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन स्वचालित अनुमोदन माध्यम से विदेशी प्रकाशनों (विषय-वस्तु प्रदाता) से छायाचित्र, व्यंग्यचित्र, क्रासवर्ड पहेलियों, आलेखों और विशेष लेखों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री के अधिग्रहण हेतु सिंडिकेट-समझौता करने के लिए प्राधिकृत हैं :–

(i) इस प्रकार से अधिप्राप्त कुल सामग्री और भारतीय प्रकाशन के किसी अंक में वास्तव में मुद्रित सामग्री उस अंक के कुल मुद्रित क्षेत्र के 7.5 प्रतिशत भाग से अधिक न हों।

(ii) सिंडिकेट-समझौता के जरिए प्राप्त सामग्री में सम्पादकीय पृष्ठ में पूर्ण पृष्ठ अथवा विदेशी प्रकाशन का सम्मुख पृष्ठ शामिल नहीं है।

(iii) विषय वस्तु प्रदाता प्रकाशन के मस्तूल-शीर्ष का प्रयोग भारतीय प्रकाशन में न किया जाए।

(iv) विषय-वस्तु प्रदाता को श्रय भारतीय प्रकाशन में मुद्रक पंक्ति के रूप में अनिवार्य रूप से और प्रमुखता से दिया जाता है।

(v) सिंडिकेट-समझौते के अंतर्गत अधिप्राप्त सामग्री ऐसी हो जिसको विषय वस्तु प्रदाता प्रकाशन द्वारा पहले ही प्रकाशित किया जा चुका हो।

उपर्युक्त किसी भी शर्त को छूट देने के किसी भी मामले की जांच सूचना और प्रसारण द्वारा की जानी होगी और उपर्युक्त शर्तों के परे सिंडिकेट समझौते के अंतर्गत किसी भी सामग्री को वास्तव में अधिग्रहित और किए जाने के पहले भारतीय प्रकाशन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास आवेदन करना चाहिए ओर उसकी पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।

ये दिशा-निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी पत्रिका/समाचार पत्र के भारतीय संस्करण के प्रकाशन हेतु अपना अनुमोदन/अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय, श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.32 बजे

लोकसभा अपराह्न 1.32 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

अपराह्न 1.32½ बजे

(इस समय श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है, अपनी-अपनी जगहों पर जाकर कहिये। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जब यहां आकर बोलते हैं तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आप अपनी जगहों पर जाकर बोलिये।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.33 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2003 के खंड 7(1) के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और बजट के बारे में त्रैमासिक विवरण (अप्रैल-जून, 2003 की एक प्रति) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 7896/2003)

(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) छावनी बोर्डों के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिये* संख्या एल०टी० 7897/2003)

(व्यवधान)

अपराह्न 1.33¼ बजे

[अनुवाद]

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां – एक समीक्षा

महासचिव : महोदय, मैं 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (2002) – एक समीक्षा' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.33½ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2003-2004

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं वर्ष 2003-2004 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल०टी० 7896-ए/2003)

(व्यवधान)

अपराह्न 1.33¾ बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक* — पुर:स्थापित

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह जी विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.34 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे माने जाए।

[हिन्दी]

(एक) अंबाला कैंट स्थित तेल डिपो को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के अंतर्गत अम्बाला कैंट स्थित पेट्रोलियम डिपो शहर की घनी आबादी के बीच आ गया है। अम्बाला में वैसे भी सैनिक हवाई अड्डा है और रक्षा की दृष्टि से अम्बाला कैंट एक सामरिक महत्व का स्थान है। मेरठ नगर में एल०पी०जी० भंडारण गोदाम में हुए विस्फोट ने अम्बाला कैंट निवासियों की चिन्ता को बढ़ाया है। इस तेल डिपो से कई राज्यों को तेल की सप्लाई भी होती है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नगर की रक्षा की दृष्टि से इस तेल डिपो को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(दो) राजस्थान में ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में रज्जु मार्ग (रोपवे) सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का गढ़ है। नाहरगढ़, जयगढ़, गलता एवं आमेर सभी ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान है। देश-विदेश के पर्यटकों का जयपुर नगरी में आवागमन रहता है। उपरोक्त ऐतिहासिक स्थलों पर रोपवे (उड़नखटोला) होने से पर्यटकों को बड़ा आराम व आनंद मिलेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्यटकों की सुविधा हेतु ऐतिहासिक स्थलों पर रोपवे, उड़न खटौला की व्यवस्था की जाये।

(तीन) झारखंड में देवधर से गोड्डा होते हुए राजमहल तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य का गोड्डा जिला कोयला उत्पादन एवं भंडारण के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च स्थान पर है, फिर भी इस क्षेत्र में अब तक परिवहन मार्ग, रेलमार्ग या वायुयान मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे इस क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई है और विकास बहुत कम हुआ हैं।

अतएव इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एवं नागरिकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि देवधर से राजमहल वाया गोड्डा होते हुए रेल लाइन बिछया जाये।

[अनुवाद]

(चार) तमिलनाडु में एकमब्राकुप्पम रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा० एन० वेंकटस्वामी (तिरूपति) : एकमब्राकुप्पम रेलवे स्टेशन कई गांवों और तहसील मुख्यालयों का केन्द्र हैं। एकमब्राकुप्पम रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म अजीब ढ़ंग से बना हुआ है। वहां एक ऊपर और दूसरा नीचे दो प्लेटफार्म है। मद्रास हाल्ट की ओर जाने वाली रेलें निचले प्लेटफार्म से जाती है और चेन्नई से आने वाली रेलें ऊपर वाले प्लेटफार्म पर आती है। चेन्नई से आने वाले मात्रियों को शहर जाने के लिए नीचे आने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऊपरी प्लेटफार्म पूरा बना हुआ नहीं है। पक्का प्लेटफार्म भी

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 07.08.03 में प्रकाशित

**सभापटल पर रखे माने गए।

बनाया जाना है। वहां यात्रियों के ठहरने और बैठने के लिए बैंचों जैसी सुविधायें भी नहीं है।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अधिकारियों को रेलवे प्लेटफार्म के आधुनिकीकरण का कार्य करने के निर्देश दे ताकि यात्री आराम से आ जा सके।

आगे एकमब्राकुप्पम के लोगों का अनुरोध है कि तिरूपति से हैदराबाद जाने वाली सभी रेलों में 2 या 3 शायिका आरक्षित की जायें। टिकटें एकमब्राकुप्पम से ली जा सके और यात्री तिरूपति या रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन कहीं से भी चढ़ सकें।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में बागवानी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए नाबार्ड को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के मेहसी प्रखंड लीची, शहद एवं सीप उत्पादन के मामले में पूरे देश में अग्रणी है। इस क्षेत्र में वर्तमान में 35 हजार एकड़ में लीची का उत्पादन किया जा रहा है। पूर्वी चम्पारण जिले के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लीची उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ा जाए तो वर्तमान में 50 हजार एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में लीची उत्पादन हो रहा है, जो बिहार राज्य का सर्वाधिक है। यहां से प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक की लीची का व्यापार देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों में भी किया जाता है। यहां लीची के निर्यात के लिए सरकार द्वारा संरक्षित मंडी की स्थापना नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लीची उत्पादकों एवं किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मेहसी प्रखण्ड के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। सीप पर आधारित उद्योगों के मामले में भी मेहसी विश्व में दूसरा एवं भारत में अपना प्रथम स्थान रखता है। मेहसी के सीप के बटन आजादी के पूर्व ब्रिटेन में आपूर्ति किये जाते थे, परन्तु आज इसकी आपूर्ति अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया से लेकर खाड़ी देशों में की जाती है। मेहसी क्षेत्र में श्रृंगार की वस्तुएं जो सीप की बनी होती है, आज भी विदेशी पर्यटकों एवं विदेशों में काफी लोकप्रिय है।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मेहसी प्रखंड के अंतर्गत लीची, शहद एवं सीप उत्पादन के क्षेत्रों में व्यवसायिक बैंकों नाबार्ड, नेफेड, हार्टिकल्चर जैसी सरकार संस्थाओं को सहयोग देने हेतु निदेश देने की कृपा की जाए ताकि इस क्षेत्र के उत्पादकों को उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य दिलाया जा सके।

(छह) पालनपुर-श्यामखली और जोधपुर-भिलड़ी रेललाइन पर भूमिगत और उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर से श्यामखली एवं जोधपुर से भिलड़ी के बीच, जो रेलवे ब्राडगेज लाइन बन रही है, उसमें कई जगह ऐसी हैं, जहां पर भूमिगत पुल एंव उपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कई क्षेत्रों में रेलवे लाइन सड़क मार्गों से ऊंची है और कई जगह नीची है। इससे दो फायदे होंगे – एक तो आवागमन के यातायात में कोई बाधा नहीं नहीं होगी और दूसरी ओर न तो रेलवे गेट और न ही उन पर चौकीदार रखने की आवश्यकता होगी। यह रेलवे के हित में और जनता के हित में भी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि इन कार्यों पर गंभीरता से विचार किया जाये।

(सात) रक्सौल रेलवे स्टेशन के समीप स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन के डिपो को सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रक्सौल में रेलवे स्टेशन के पास इंडियन ऑयल कारपोरेशन का एक डिपो कार्यरत है, जिसके चारों और घनी आबादी है और व्यस्त बाजार भी है। इस डिपो से नेपाल के लिए पैट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। अगर इस डिपो में कोई दुर्घटना हो जाये तो बड़ी मात्रा में जानमाल की हानि हो सकती है। नेपाल में एक ड्राई पोर्ट का निर्माण हो चुका है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस डिपो को नेपाल के ड्राई पोर्ट में स्थानांतरित किया जाये, अगर यह भी संभव न हो तो इसे ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाये, जहां पर कम आबादी हो और कोई दुर्घटना के समय जानमाल की हानि न हो सके।

[अनुवाद]

(आठ) केरल में वायनाड में भूमिहीन जनजातियों को बसाने के लिए राज्य सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : केरल सरकार जनजातियों के लिए भूमि आवंटित करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु अथक प्रयासों के बावजूद भी सरकार भूमिहीन जनजातियों को बसाने हेतु पर्याप्त भूमि का बंदोबस्त नहीं कर पायी है। राज्य की वित्तीय स्थिति भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देती है। अधिकांश जनजातीय जनसंख्या वायनाड में रहती है। अकेले वायनाड में भूमिहीन जनजातियों की अनुमानित जनसंख्या

[श्री रमेश चेन्नितला]

13,303 है। वायनाड की लगभग 2184 जनजातियों के पास एक एकड़ से कम भूमि है। यदि वायनाड की भूमिहीन जनजातियों की समस्या हल की जा सके तो सरकार पुनर्वासित क्षेत्रों में अन्य गतिविधियां प्रारम्भ कर सकती है। केरल सरकार ने अप्रैल 2003 में भूमिहीन जनजातियों को बसाने के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से एक सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। फिर भी, ऐसा लगता है कि अभी तक केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भूमिहीन जनजातियों को बसाने के लिए तुरंत केरल सरकार को एक सौ करोड़ रु० जारी करें।

[हिन्दी]

(नौ) झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसल सूखे के कारण बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अंतर्गत कोडरमा लोक सभा क्षेत्र में गिरीडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले आते हैं। इन तीनों जिलों में वर्षा के अभाव के कारण भदई की फसल बरबाद हो गयी है और धान की अभी तक रोपाई नहीं हो पायी है। यदि अभी भी वर्षा नहीं हुई तो तीनों जिलों के किसानों के सामने बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो जायेगी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होगी। मेरी भारत सरकार से मांग है कि इन तीनों जिलों के किसानों को उनकी बरबाद हुई फसल का शीघ्र मुआवजा दिया जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

[अनुवाद]

(दस) सिंडीकेट बैंक के मुख्यालय को मणिपाल से बंगलौर स्थानान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : दक्षिण कन्नड़ को एक समय में निजी भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का उद्गम स्थल माना जाता था। ऐसे कई बैंक, जो निजी और ग्रामीण बैंकिंग के ध्वजवाहक थे, का अब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

उनमें से एक है सिंडिकेट बैंक अब जिसकी शाखाओं का नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है। यह बहुत से कृषि प्रधान जिलों में भी एक अग्रणी बैंक है? इसने छोटी बचतों के लिए लघु द्वार-संग्रहण कार्यक्रमों की भी शुरूआत की थी। वर्तमान में सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में हैं। इसका नाम मणिपाल के इतिहास से इतनी गहराई से जुड़ गया है। कि उस क्षेत्र के लोग मणिपाल और सिंडीकेट बैंक के नाम को एक दूसरे का पर्यायवाची और अविभाज्य मानते हैं।

इस परिदृश्य के विपरीत इस बैंक का प्रबंधन इसके निगमित मुख्यालय को मणिपाल से बंगलौर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है। मणिपाल बंगलौर की ही भांति सभी संचार नेटवर्क सुविधाएं और अन्य बैंकिंग अवसंरचना प्रदान करता है और मुख्यालय को बंगलौर स्थानांतरित करने का कोई उचित कारण नहीं है। इस प्रयास की सूचना मिलने से उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं सरकार से जनहित में इस प्रयास को रोकने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) गंगा नदी पर फरक्का पुल की मरम्मत किए जाने और वहां पर एक वैकल्पिक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर) : नदी पर बना फरक्का बैराज-सह-पुल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूर्वोत्तर व शेष भारत के बीच सम्पर्क का एकमात्र माध्यम है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 इस पुल से होकर गुजरता है और नाथु-ला दर्रे पर नेपाल, भूटान और भारत-चीन सीमा को भी जोड़ता है।

ऐसा महत्वपूर्ण पुल सकंट में है और फरक्का बैराज ब्रिज अथॉरिटी ने यह चेतावनी दी है कि यदि वाहनों का बोझ इसी प्रकार और बढ़ता रहा तो किसी भी समय कोई भी त्रासदी घटित हो सकती है। सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेलवे की भी प्रतिदिन 20 रेलें यहां से आती-जाती हैं।

तदनुसार, बैराज अथॉरिटी ने कई बार केन्द्र सरकार से 120 करोड़ रुपये की लागत से एक दूसरा वैकल्पिक बैराज बनाने हेतु सम्पर्क किया है। जब वर्तमान पुल का निर्माण हुआ था तब गंगा नदी पर एक और पुल बनाए जाने का प्रावधान था लेकिन केन्द्र ने धन की कमी के कारण जिस पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत आनी थी उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। वर्तमान पुल से पथ-कर के माध्यम से 20 करोड़ रुपये वार्षिक की आय हो सकती है और दूसरे पुल के लिए आरंभिक राशि वहां से जुटाई जा सकती है। वित्तीय संस्थाओं से भी धन लिया जा सकता है।

मैं केन्द्र सरकार से वर्तमान पुल की तत्काल मरम्मत कराने और दूसरे वैकल्पिक पुल का निर्माण कराने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए 190 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन को बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री राम नायडू दग्गुबाटि (बापतला) : महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंगित किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के

चरण-IV के लिए आन्ध्र-प्रदेश को 190 करोड़ रुपये के सामान्य वार्षिक आबंटन की तुलना में केवल 90 करोड़ रुपये दिए जाऐंगे। इसके लिए यह कारण दिया गया है कि राज्य में सम्पर्क-हीन बसावटों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश एक ग्रामीण बहुल राज्य है जिसकी 72.65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहां 67,505 बसावटें हैं जिनमें से केवल 53,986 बसावटें किसी न किसी प्रकार की सड़क से जुड़ी हुई हैं और 13,519 बसावटें सम्पर्कहीन हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अभी तक केवल 4380 बसावटों को ही सड़कों से जोड़ा जा सका है।

आन्ध्र प्रदेश में बहुत सी बसावटें मिट्टी और बजरी की सड़कों से जुड़ी हुई हैं। जोकि बहुत खराब हालत में हैं। राज्य में सड़कों के पूरे नेटवर्क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य मानकों के स्तर तक लाने हेतु 5422 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

इन परिस्थितियों में यदि सड़कों का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानदण्डों के अनुसार सभी मौसमों के अनुकूल बनाने के स्तर तक उन्नयन करना है तो वर्तमान 190 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन भी पर्याप्त नहीं है।

मैं भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश की सभी बसावटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने हेतु 190 करोड़ रुपये के आबंटन को बनाए रखने और इसकी स्थिति की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आगरा-कानपुर राजमार्ग का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र इटावा में आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के हो रहे निर्माण में विलम्ब से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मानक के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे पथ निर्माण का कार्य कमजोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय राजपथ का टिकाऊपन कम हो रहा है। पथों में गढ्ढे बनते जा रहे हैं। इटावा में बन रहे बाईपास रोड़ का निर्माण काफी समय से रूकने से काफी संकट है।

अस्तु उच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पथ निर्माण करवाने का माननीय मंत्री जी से आग्रह है, जिससे जनता की समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु में एन्नोर पत्तन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को चौड़ा करने और इसे चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री ए० कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर) : श्रीपेरुम्बुदुर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित एन्नोर पत्तन देश का पहला सीमित (लिमिटेड) पत्तन है जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० एम० करुणानिधि की अध्यक्षता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 02-02-2001 को किया था। इस पत्तन के कारण कंटेनर वाहनों की गतिविधियों की बजह से पत्तन से जुड़ी सड़कें बहुत व्यस्त रहती हैं। सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को एन्नोर पत्तन से जोड़ती है। अत: कृपया इस सड़क को चार लेन वाली यातायात सड़क में परिवर्तित किया जाए।

एन्नोर पत्तन मूलत: उस जिले के अंतर्गत आता है जहां पेरिनगर अन्ना का जन्म हुआ था। मैं सरकार से इस पत्तन का नाम एन्नोर पत्तन के स्थान पर ''पेरियंगर अन्ना पत्तन'' रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पंद्रह) हिमाचल प्रदेश के 'गिरिपार' क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के उस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें हाटी जनजाति में सम्मिलित सभी उपजातियों के लोग पिछले लगभग 25 सालों से इस क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने की मांग शांतिप्रिय ढंग से उठा रहे हैं।

गिरी नदी के इस पार उत्तरांचल का जौनसार बाबर क्षेत्र है, जिसे भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र घोषित कर रखा है, परन्तु ''गिरिपार'' का क्षेत्र जनजातीय के दर्जे से वंचित है। इन दोनों क्षेत्रों के रहन सहन, कला-संस्कृति, वेश-भूषा, खानपान, रस्मोरिवाज, बोलचाल और मेले-त्यौहार एक दूसरे के अनुरूप हैं। समान समस्याओं एवं परम्पराओं वाले ये दोनों ही क्षेत्र एक ही साथ जनजातीय क्षेत्र घोषित होने चाहिए थे, परन्तु ऐसा न हो सका। भारतीय संविधान पर पूर्ण आस्था लिए आज भी इस समुदाय के पारस्परिक विवादों का समाधान इन गांवों की पंचायतों 'खुमली' में ही होता है, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है। इसके अतिरिक्त 'हाटी' जनसमुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ी जनजाति है, जिसका

[कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य]

प्रमाण हाल ही के हुए सर्वेक्षण से भी देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता होने पर भी यहां कोई उद्योग नहीं है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु संवैधानिक संशोधन करवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या यह उचित है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा को अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.31 बजे

(इस समय, श्री नरेश पुगलिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हमें लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003 पर आगे विचार करना है। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह आप अपनी बात कह रहे थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 8 डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री पी०सी० थामस द्वारा 6 अगस्त, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए वाद-विवाद के दौरान बोल रहे थे, यानि :–

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह यह विधेयक 6 अगस्त, 2003 को विचारार्थ लिया गया था और आप बोल रहे थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह आप इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं या नहीं। क्या आप कृपया मुझे बताऐंगे? अन्यथा मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, आप बोल रहे थे अब आप बोलिए। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 8 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.34 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 8 अगस्त, 2003/17 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।